



# मध्यप्रदेश राजपत्र

## प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 26]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 29 जून 2012—आषाढ़ 8, शक 1934

### विषय-सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं,

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं, (2) सांख्यिकीय सूचनाएं.

भाग 4.—(क) (1) मध्यप्रदेश विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक, (ख) (1) अध्यादेश, (2) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम, (ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम.

## भाग १

### राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग  
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 12 जून 2012

क्र. ई-5-560-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री मोहम्मद सुलेमान, आयएएस., सचिव, मध्यप्रदेश शासन, ऊर्जा विभाग को दिनांक 13 से 20 जून 2012 तक आठ दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

(2) श्री मोहम्मद सुलेमान की अवकाश अवधि में श्री शैलेन्द्र सिंह, भाप्रसे, प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश खनिज विकास निगम तथा पदेन सचिव, मध्यप्रदेश शासन, खनिज साधन विभाग को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, ऊर्जा विभाग का प्रभार सौंपा जाता है.

(3) अवकाश से लौटने पर श्री मोहम्मद सुलेमान को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न सचिव, मध्यप्रदेश शासन, ऊर्जा विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्री मोहम्मद सुलेमान द्वारा सचिव, मध्यप्रदेश शासन, ऊर्जा विभाग का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री शैलेन्द्र सिंह, ऊर्जा विभाग के प्रभार से मुक्त होंगे.

(5) अवकाशकाल में श्री मोहम्मद सुलेमान को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री मोहम्मद सुलेमान अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

क्र. ई-5-771-आयएस-लीव-एक-5.—(1) डॉ. नवनीत मोहन कोठारी, आयएस., कलेक्टर, जिला खरगोन को दिनांक 18 से 30 जून 2012 तक तेरह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा इस अवकाश के साथ दिनांक 16, 17 जून एवं 1 जुलाई 2012 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है। साथ ही यह भी निर्देशित किया जाता है कि महेश्वर उप चुनाव की संपूर्ण प्रक्रिया समाप्त होने की स्थिति में आयुक्त, इन्दौर संभाग को अवगत कराकर ही अवकाश पर जाये।

(2) डॉ. नवनीत मोहन कोठारी की अवकाश की अवधि में श्री आनन्द जैन, अपर कलेक्टर, जिला खरगोन को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, कलेक्टर, जिला खरगोन का प्रभार सौंपा जाता है।

(3) अवकाश से लौटने पर डॉ. नवनीत मोहन कोठारी को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न कलेक्टर, जिला खरगोन के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(4) डॉ. नवनीत मोहन कोठारी द्वारा कलेक्टर, जिला खरगोन का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री आनन्द जैन, कलेक्टर जिला खरगोन के प्रभार से मुक्त होंगे।

(5) अवकाशकाल में डॉ. नवनीत मोहन कोठारी को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि डॉ. नवनीत मोहन कोठारी अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

भोपाल, दिनांक 14 जून 2012

क्र. ई-1-210-2012-5-एक.—श्री प्रदीप खरे, भाप्रसे (1992), कमिश्नर, शहडोल संभाग, शहडोल द्वारा कमिश्नर, रीवा संभाग, रीवा का कार्यभार ग्रहण करने के साथ-साथ आगामी आदेश तक कमिश्नर, शहडोल संभाग, शहडोल का अतिरिक्त प्रभार भी सौंपा जाता है।

क्र. ई-1-208-2012-5-एक.—श्रीमती पुष्पलता सिंह, भाप्रसे (1998) अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन को अस्थाई रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग पदस्थ किया जाता है।

क्र. ई-5-846-आयएस-लीव-5-एक.—(1) श्रीमती रेनू तिवारी, आयएस. उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, गृह विभाग को दिनांक 18 से 29 जून 2012 तक बारह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

(2) अवकाश से लौटने पर श्रीमती रेनू तिवारी को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, गृह विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्रीमती रेनू तिवारी को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती रेनू तिवारी अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करती रहतीं

क्र. ई-5-801-आयएस-लीव-5-एक.—श्री जी. पी. श्रीवास्तव, भाप्रसे, (1997), संचालक, कौशल विकास, मध्यप्रदेश तथा अपर आयुक्त (राजस्व) जबलपुर संभाग के दिनांक 30 मई 2012 से लघुकृत अवकाश पर रहने के फलस्वरूप उनके अवकाश अवधि में, संचालक, कौशल विकास, मध्यप्रदेश का प्रभार श्री सुखवीर सिंह, भाप्रसे (1997), अध्यक्ष-सह-प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत् वितरण कंपनी लिमिटेड, जबलपुर को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है।

क्र. ई-5-726-आयएस-लीव-एक-5.—(1) श्री आर. के. श्रीवास्तव, आयएस., आयुक्त, जनसंपर्क एवं प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश माध्यम तथा पदेन सचिव, मध्यप्रदेश शासन, जनसंपर्क विभाग तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य कृषि उद्योग विकास निगम, भोपाल को दिनांक 18 से 23 जून 2012 तक छः दिन का एक्स इंडिया अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है उक्त अवकाश के साथ दिनांक 16, 17 एवं 24 जून 2012 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति दी जाती है।

(2) श्री आर. के. श्रीवास्तव की अवकाश की अवधि में उनका प्रभार श्री सुरेश तिवारी, अपर संचालक, मध्यप्रदेश माध्यम, भोपाल को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, सौंपा जाता है।

(3) अवकाश से लौटने पर श्री आर. के. श्रीवास्तव को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न आयुक्त, जनसंपर्क एवं प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश माध्यम तथा पदेन सचिव, मध्यप्रदेश शासन, जनसंपर्क विभाग तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य कृषि उद्योग विकास निगम, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(4) श्री आर. के. श्रीवास्तव द्वारा आयुक्त, जनसंपर्क एवं प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश माध्यम तथा पदेन सचिव, मध्यप्रदेश शासन, जनसंपर्क विभाग तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य कृषि उद्योग विकास निगम, भोपाल का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री सुरेश तिवारी, उक्त प्रभार से मुक्त होंगे।

(5) अवकाशकाल में श्री आर. के. श्रीवास्तव को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री आर. के. श्रीवास्तव अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

भोपाल, दिनांक 15 जून 2012

क्र. ई-5-464-आयएएस-लीव-एक-5.—(1) श्री जयदीप गोविन्द, आयएएस., मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी एवं पदेन प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, विधि एवं विधायी कार्य (निर्वाचन) विभाग को दिनांक 18 से 27 जून 2012 तक दस दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। उक्त अवकाश के साथ दिनांक 16, 17 जून 2012 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति दी जाती है।

(2) श्री जयदीप गोविन्द की अवकाश की अवधि में श्री एस. एस. बंसल, भाप्रसे, संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी तथा पदेन अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, विधि एवं विधायी कार्य (निर्वाचन) विभाग को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी एवं पदेन प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, विधि एवं विधायी कार्य (निर्वाचन) विभाग का प्रभार सौंपा जाता है।

(3) अवकाश से लौटने पर श्री जयदीप गोविन्द को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी एवं पदेन प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, विधि एवं विधायी कार्य (निर्वाचन) विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(4) श्री जयदीप गोविन्द द्वारा मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी एवं पदेन प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, विधि एवं विधायी कार्य (निर्वाचन) विभाग का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री एस. एस. बंसल, मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी एवं पदेन प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, विधि एवं विधायी कार्य (निर्वाचन) विभाग के प्रभार से मुक्त होंगे।

(5) अवकाशकाल में श्री जयदीप गोविन्द को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री जयदीप गोविन्द अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

क्र. ई-5-757-आयएएस-लीव-एक-5.—(1) श्री अरूण कोचर, आयएएस., आयुक्त, लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश तथा पदेन सचिव, मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग को दिनांक 18 जून से 20 जुलाई 2012 तक तैंतीस दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा उक्त अवकाश के साथ दिनांक 16, 17 जून 2012 एवं

21, 22 जुलाई 2012 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति दी जाती है।

(2) श्री अरूण कोचर की अवकाश की अवधि में श्रीमती सुनीता त्रिपाठी, भाप्रसे, अपर परियोजना संचालक, माध्यमिक शिक्षा अभियान को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, आयुक्त, लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश तथा पदेन सचिव, मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग का प्रभार सौंपा जाता है।

(3) अवकाश से लौटने पर श्री अरूण कोचर को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न आयुक्त, लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश तथा पदेन सचिव, मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(4) श्री अरूण कोचर द्वारा आयुक्त लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश तथा पदेन सचिव, मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग का कार्यभार ग्रहण करने पर श्रीमती सुनीता त्रिपाठी, आयुक्त, लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश तथा पदेन सचिव, मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग के प्रभार से मुक्त होंगे।

(5) अवकाशकाल में श्री अरूण कोचर को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अरूण कोचर अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

क्र. ई-1-212-2012-5-एक.—(1) श्री आनंद कुमार शर्मा, भाप्रसे (2002), अपर आयुक्त, वाणिज्यिक कर, इन्दौर की सेवाएं अस्थाई रूप से, आगामी आदेश तक, अतिरिक्त संचालक, नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण, इन्दौर के पद पर नियुक्ति के लिये नर्मदा घाटी विकास विभाग को सौंपी जाती है।

(2) उपरोक्तानुसार श्री आनंद कुमार शर्मा, भाप्रसे (2002) द्वारा कार्यभार करने दिनांक से राज्य शासन भाप्रसे (वेतन) नियमावली, 2007 के नियम 9 के अन्तर्गत अतिरिक्त संचालक, नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण के असंवर्गीय पद को प्रतिष्ठा एवं जिम्मेदारी में ऊपर दर्शित नियमों की अनुसूची-II-बी में सम्मिलित उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन के संवर्गीय पद के समकक्ष घोषित करता है।

क्र. ई-1-209-2012-5-एक.—श्रीमती सूरज डामोर, भाप्रसे (1994), सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, सचिव आदिमजाति कल्याण तथा अनुसूचित जाति कल्याण विभाग तथा सचिव, विमुक्त, घुमक्कड़ एवं अर्धघुमक्कड़ जाति कल्याण विभाग (अतिरिक्त प्रभार) को केवल सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के प्रभार से मुक्त किया जाता है।

क्र. ई-5-736-आयएस-लीव-एक-5.—(1) श्री अरूण कुमार भट्ट, आयएस., आयुक्त, मध्यप्रदेश गृह निर्माण मण्डल, भोपाल को दिनांक 18 से 23 जून 2012 तक छः दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। उक्त अवकाश के साथ दिनांक 16, 17 एवं 24 जून 2012 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है।

(2) श्री अरूण कुमार भट्ट की अवकाश की अवधि में श्री के. सी. गुप्ता, भाप्रसे, आयुक्त-सह-संचालक, नगर एवं ग्राम निवेश, भोपाल को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, आयुक्त मध्यप्रदेश गृह निर्माण मण्डल, भोपाल का प्रभार सौंपा जाता है।

(3) अवकाश से लौटने पर श्री अरूण कुमार भट्ट को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न आयुक्त, मध्यप्रदेश गृह निर्माण मण्डल, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(4) श्री अरूण कुमार भट्ट द्वारा आयुक्त, मध्यप्रदेश गृह निर्माण मण्डल, भोपाल का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री के. सी. गुप्ता, आयुक्त, मध्यप्रदेश गृह निर्माण मण्डल, भोपाल के प्रभार से मुक्त होंगे।

(5) अवकाशकाल में श्री अरूण कुमार भट्ट को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अरूण कुमार भट्ट अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

भोपाल, दिनांक 18 जून 2012

क्र. ई-1-191-2012-5-एक.—श्री लक्ष्मीकांत द्विवेदी, भाप्रसे (2001) उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन, संस्कृति विभाग को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक स्थानापन्न उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन, नर्मदा घाटी विकास विभाग पदस्थ किया जाता है।

भोपाल, दिनांक 19 जून 2012

क्र. ई-5-802-आयएस-लीव-5-एक.—श्री आर. ए. खण्डेलवाल, आयएस., आयुक्त-सह-संचालक, भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपैथी, भोपाल को इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 29 मई 2012 द्वारा दिनांक 11 से 15 जून 2012 तक पांच दिन का स्वीकृत अर्जित अवकाश एतद्वारा निरस्त किया जाता है।

क्र. ई-5-860-आयएस-लीव-5-एक.—सुश्री छबि भारद्वाज, आयएस., मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, दमोह को इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 19 अप्रैल 2012 द्वारा दिनांक 2 अप्रैल 2012 से एक सौ अस्सी दिन के स्वीकृत प्रसूति अवकाश में आंशिक संशोधन करते हुए अब दिनांक 26 मार्च 2012 से 20 सितम्बर 2012 तक एक सौ उन्यासी दिन का प्रसूति अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 19 अप्रैल 2012 की शेष कंडिकाएं यथावत रहेंगी।

क्र. ई-5-290-आयएस-लीव-5-एक.—श्री एम. के. राय, आयएस., अध्यक्ष, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, भोपाल को इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 25 मई 2012 द्वारा दिनांक 22 से 26 मई 2012 तक पांच दिन का स्वीकृत अर्जित अवकाश एतद्वारा निरस्त किया जाता है।

भोपाल, दिनांक 21 जून 2012

क्र. ई-1-218-2012-5-एक.—(1) इस विभाग के आदेश क्रमांक ई-1-2010-2012-5-एक, दिनांक 14 जून, 2012 जिसके द्वारा श्री प्रदीप खरे, भाप्रसे (1992), कमिश्नर, रीवा संभाग, रीवा को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ कमिश्नर, शहडोल संभाग, शहडोल का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है, के अनुक्रम में इस विभाग के आदेश क्रमांक ई-1-206-2012-5-एक, दिनांक 13 जून, 2012 की तालिका-1 के पद 12, जिसके द्वारा श्री रघुवीर श्रीवास्तव, भाप्रसे (1992), आयुक्त, पिछड़ा वर्ग कल्याण को कमिश्नर, शहडोल संभाग, शहडोल पदस्थ किया गया है, एतद्वारा स्थगित किया जाता है। श्री श्रीवास्तव आगामी आदेश तक यथावत आयुक्त, पिछड़ा वर्ग कल्याण का कार्य संपादित करते रहेंगे।

(2) इस विभाग के आदेश क्रमांक ई-1-206-2012-5-एक, दिनांक 13 जून, 2012 की तालिका-1 के पद 15 जिसके द्वारा श्री जगदीश मालपानी, भाप्रसे (1994), सचिव, राज्यपाल सचिवालय को आयुक्त, अनुसूचित जाति कल्याण तथा पिछड़ा वर्ग कल्याण पदस्थ किया गया है। श्री मालपानी की मूल पदस्थापना आयुक्त, अनुसूचित जाति कल्याण है। अतः आदेश दिनांक 13 जून, 2012 में उल्लेखित पिछड़ा वर्ग कल्याण की पदस्थापना को एतद्वारा आगामी आदेश तक स्थगित किया जाता है।

क्र. ई-5-794-आयएस-लीव-एक-5.—(1) श्री रघुराज एम. आर., आयएस., कलेक्टर, जिला टीकमगढ़ को दिनांक 25 जून

2012 से 13 जुलाई 2012 तक उन्नीस दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा इस अवकाश के साथ दिनांक 24 जून 2012 एवं 14, 15 जुलाई 2012 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है।

(2) श्री रघुराज एम. आर. की अवकाश की अवधि में श्री पी. एल. सोलंकी, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, टीकमगढ़ को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, कलेक्टर, जिला टीकमगढ़ का प्रभार सौंपा जाता है।

(3) अवकाश से लौटने पर श्री रघुराज एम. आर. को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न कलेक्टर, जिला टीकमगढ़ के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(4) श्री रघुराज एम. आर. द्वारा कलेक्टर, जिला टीकमगढ़ का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री पी. एल. सोलंकी, कलेक्टर जिला टीकमगढ़ के प्रभार से मुक्त होंगे।

(5) अवकाशकाल में श्री रघुराज एम. आर. को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री रघुराज एम. आर. अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

क्र. ई-5-844-आयएएस-लीव-एक-5.—(1) श्री अशोक कुमार सिंह, आयएएस., कलेक्टर, जिला कटनी को दिनांक 20 से 30 जून 2012 तक ग्यारह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा इस अवकाश के साथ दिनांक 1 जुलाई 2012 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है।

(2) श्री अशोक कुमार सिंह की अवकाश की अवधि में श्री तेजस्वी एस. नायक, अनुविभागीय अधिकारी, कटनी को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, कलेक्टर, जिला कटनी का प्रभार सौंपा जाता है।

(3) अवकाश से लौटने पर श्री अशोक कुमार सिंह को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न कलेक्टर, जिला कटनी के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(4) श्री अशोक कुमार सिंह द्वारा कलेक्टर, जिला कटनी का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री तेजस्वी एस. नायक, कलेक्टर जिला कटनी के प्रभार से मुक्त होंगे।

(5) अवकाशकाल में श्री अशोक कुमार सिंह को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अशोक कुमार सिंह अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
आर. परशुराम, मुख्य सचिव.

भोपाल, दिनांक 12 जून 2012

क्र. ई-5-650-आयएएस-लीव-5-एक.— श्री हरिरंजन राव, आयएएस., प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य इलेक्ट्रॉनिक विकास निगम तथा सचिव, मुख्य मंत्री एवं सचिव, मध्यप्रदेश शासन सूचना प्रौद्योगिकी विभाग को इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 21 मई 2012 द्वारा दिनांक 28 मई 2012 से 5 जून 2012 तक नौ दिन के स्वीकृत अर्जित अवकाश में आंशिक संशोधन करते हुए उन्हें अब दिनांक 28 मई 2012 से 4 जून 2012 तक आठ दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 21 मई 2012 की शेष कंडिकाएं यथावत रहेंगी।

भोपाल, दिनांक 15 जून 2012

क्र. ई-5-726-आयएएस-लीव-5-एक.— श्री आर. के. श्रीवास्तव, आयएएस., आयुक्त, जनसंपर्क एवं प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश माध्यम तथा पदेन सचिव, मध्यप्रदेश शासन, जनसंपर्क विभाग तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य कृषि उद्योग विकास निगम, भोपाल को इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 14 जून 2012 द्वारा दिनांक 18 से 23 जून 2012 तक छः दिन का एक्स इंडिया अर्जित अवकाश, दिनांक 16, 17 एवं 24 जून 2012 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति के साथ स्वीकृत किया गया है तथा अवकाश अवधि में उनका प्रभार श्री सुरेश तिवारी, अपर संचालक, मध्यप्रदेश माध्यम, भोपाल को सौंपा गया है।

(2) उक्त आदेश दिनांक 14 जून 2012 के पद-2 में आंशिक संशोधन करते हुए, श्री आर. के. श्रीवास्तव की उक्त अवकाश अवधि में उनका प्रभार श्री सुरेश तिवारी, अपर संचालक, मध्यप्रदेश माध्यम, भोपाल के स्थान पर अब श्री मनोज श्रीवास्तव, भाप्रसे प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री तथा प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, विमानन विभाग को सौंपा जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
व्ही. एस. तोमर, अवर सचिव "कार्मिक".

भोपाल, दिनांक 13 जून 2012

क्र. ई-1-206-2011-5-एक.—नीचे तालिका के खाना (2) में दर्शाए भाप्रसे के अधिकारियों को उनके नाम के समक्ष खाना (3) में दर्शाए गए पद पर, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से पदस्थ किया जाता है :—

क्रमांक	अधिकारी का नाम तथा वर्तमान पदस्थापना	नवीन पदस्थापना	खाना (3) में अंकित पद असंवर्गीय होने की दशा में संवर्गीय पद जिसके समक्ष घोषित किया गया
(1)	(2)	(3)	(4)
1	श्री सुदेश कुमार ( 1984 ), प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सार्वजनिक उपक्रम विभाग तथा आयुष विभाग.	प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, संसदीय कार्य एवं जनशिकायत निवारण विभाग.	-
2	श्री विनोद चन्द्र सेमवाल ( 1985 ), प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, पर्यटन, संस्कृति, संसदीय कार्य विभाग तथा ट्रस्टी सचिव, भारत भवन एवं आयुक्त पर्यटन (अतिरिक्त प्रभार).	प्रमुख सचिव, राज्यपाल	प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन.
3	श्री के. पी. सिंह ( 1985 ), वि. क. अ.-सह-पंजीयन महानिरीक्षक एवं अधीक्षक मुद्रांक.	प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सार्वजनिक उपक्रम विभाग.	-
4	श्रीमती सलीना सिंह ( 1986 ), प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम.	प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, मछलीपालन विभाग तथा प्रबंध संचालक, मत्स्य महासंघ का अतिरिक्त प्रभार.	-
5	श्री अजय तिकी ( 1987 ), प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य सहकारी विपणन संघ.	प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, चिकित्सा शिक्षा एवं श्रम विभाग.	-
6	डॉ. एम. मोहन राव ( 1987 ), वि.क.अ.-सह-आयुक्त, अनुसूचित जाति कल्याण.	प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, अनुसूचित जाति कल्याण विभाग एवं प्रबंध संचालक, अनुसूचित जाति वित्त विकास निगम का अतिरिक्त प्रभार.	-
7	श्री आशीष उपाध्याय ( 1989 ), आयुक्त-सह-संचालक, आदिमजाति क्षेत्रीय विकास योजनाएं मध्यप्रदेश तथा आयुक्त, आदिवासी विकास (अतिरिक्त प्रभार).	आयुक्त, अनुसूचित जनजाति कल्याण तथा आयुक्त-सह-संचालक, आदिमजाति क्षेत्रीय विकास योजनाएं मध्यप्रदेश का अतिरिक्त प्रभार.	-
8	श्री टी. धर्मारव ( 1989 ), कमिश्नर, रीवा संभाग, रीवा.	आयुक्त, कोष एवं लेखा, मध्यप्रदेश एवं पदेन सचिव मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग.	-
9	श्री शिवनारायण मिश्रा ( 1990 ), सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग.	प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश खनिज विकास निगम तथा पदेन सचिव, मध्यप्रदेश शासन, खनिज साधन विभाग.	सचिव, मध्यप्रदेश शासन

(1)	(2)	(3)	(4)
10	श्री अशोक वर्णवाल ( 1991 ), आयुक्त-सह-संचालक, राज्य शिक्षा केन्द्र तथा पदेन सचिव, मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग.	प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य सहकारी विपणन संघ.	संभागीय कमिश्नर
11	श्री पंकज अग्रवाल ( 1992 ), आयुक्त, कोष एवं लेखा तथा पदेन सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग.	सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग	-
12	श्री रघुवीर श्रीवास्तव ( 1992 ), आयुक्त, पिछड़ा वर्ग कल्याण	कमिश्नर, शहडोल संभाग, शहडोल.	-
13	श्री प्रदीप खरे ( 1992 ), कमिश्नर, शहडोल संभाग, शहडोल.	कमिश्नर, रीवा संभाग, रीवा.	-
14	श्रीमती रश्मि अरूण शमी ( 1994 ), संचालक, उद्यानिकी मिशन संचालक, उद्यानिकी.	आयुक्त-सह-संचालक, राज्य शिक्षा केन्द्र तथा पदेन सचिव, मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग.	सचिव, मध्यप्रदेश शासन
15	श्री जगदीश मालपानी ( 1994 ), सचिव, राज्यपाल सचिवालय	आयुक्त, अनुसूचित जाति कल्याण, पिछड़ा वर्ग कल्याण.	-
16	श्रीमती पुष्पलता सिंह ( 1998 ), संचालक, ग्रामीण रोजगार.	अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन.	-
17	श्री जी. पी. कबीरपंथी ( 1998 ), अपर सचिव, श्रम विभाग.	कलेक्टर, दतिया	-
18	श्री अशोक देशवाल ( 2000 ), कलेक्टर, दतिया	अपर आयुक्त, आबकारी ग्वालियर.	-
19	श्रीमती सोनाली एम. वायंगणकर ( 2000 ), कलेक्टर, शाजापुर	अपर आयुक्त वाणिज्यिक कर, इन्दौर.	-
20	श्री राजेश बहुगुणा ( 2002 ), संचालक, जल एवं भूमि प्रबंधन संस्थान (वाल्मी) तथा प्रबंध संचालक, लघु सिंचाई एवं कृषि मध्यप्रदेश, भोपाल.	कलेक्टर, छतरपुर	-
21	श्री निशांत बरबड़े ( 2003 ), कलेक्टर, होशंगाबाद.	उप सचिव, मुख्यमंत्री	-
22	श्री आर. के. जैन ( 2003 ), अपर आयुक्त, आबकारी, ग्वालियर.	कलेक्टर, शिवपुरी	-

(1)	(2)	(3)	(4)
23	श्री प्रमोद कुमार गुप्ता ( 2003 ), अतिरिक्त संचालक, नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण, इन्दौर.	कलेक्टर, शाजापुर	-
24	श्री जॉन किंग्सली ए. आर. ( 2004 ), कलेक्टर, शिवपुरी.	संचालक, ग्रामीण रोजगार एवं राज्य कार्यक्रम अधिकारी समग्र स्वच्छता अभियान.	-
25	श्री राहुल जैन ( 2005 ), कलेक्टर, छतरपुर.	कलेक्टर, होशंगाबाद	-

(2) नीचे तालिका के खाना (2) में दर्शाए भाप्रसे के अधिकारियों को प्रमुख सचिव वेतनमान में पदोन्नत करते हुए, उनके नाम के समक्ष खाना (3) में दर्शाए गए पद पर अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से पदस्थ किया जाता है :-

क्रमांक	अधिकारी का नाम तथा वर्तमान पदस्थापना	नवीन पदस्थापना	खाना-3 में अंकित पद असंवर्गीय होने की दशा में संवर्गीय पद जिसके समकक्ष घोषित किया गया
(1)	(2)	(3)	(4)
1	श्री प्रवीण गर्ग ( 1988 ), कमिश्नर, भोपाल संभाग	वि.क.अ.-सह-कमिश्नर, भोपाल संभाग.	प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन
2	श्री शैलेन्द्र सिंह ( 1988 ) प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश खनिज विकास निगम तथा पदेन सचिव, मध्यप्रदेश शासन, खनिज साधन विभाग.	प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, अनुसूचित जनजाति कल्याण, विमुक्त घुमक्कड़, अर्धघुमक्कड़ जाति कल्याण विभाग.	-
3	श्रीमती वीरा राणा ( 1988 ), आयुक्त-सह-संचालक, हाथकरघा तथा प्रबंध संचालक हस्तशिल्प एवं हाथकरघा विकास निगम, (अतिरिक्त प्रभार).	आयुक्त-सह-संचालक, हाथकरघा तथा प्रबंध संचालक हस्तशिल्प एवं हाथकरघा विकास निगम, (अतिरिक्त प्रभार).	प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन.

(3) श्री के. के. सिंह, भाप्रसे ( 1985 ), प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक निर्माण विभाग को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ आगामी आदेश तक संस्कृति विभाग एवं ट्रस्टी सचिव, भारत भवन का अतिरिक्त प्रभार सौंपा जाता है.

(4) श्री एस. पी. एस. परिहार, भाप्रसे ( 1986 ), प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ आगामी आदेश तक पर्यटन विभाग तथा आयुक्त, पर्यटन का अतिरिक्त प्रभार सौंपा जाता है.

(5) उपरोक्तानुसार श्रीमती सलीना सिंह द्वारा प्रबंध संचालक, प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, मछलीपालन विभाग तथा प्रबंध संचालक, मत्स्य महासंघ का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री प्रभांशु कमल, भाप्रसे ( 1985 ), प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन पशुपालन विभाग, मछलीपालन विभाग तथा प्रबंध संचालक, मत्स्य महासंघ केवल प्रमुख सचिव, मछलीपालन विभाग एवं प्रबंध संचालक, मत्स्य महासंघ के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त होंगे.



(6) श्री सुदेश कुमार, भाप्रसे ( 1984 ) द्वारा प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, जनशिकायत निवारण विभाग का कार्यभार ग्रहण करने पर डॉ. जे. टी. एक्का, भाप्रसे ( 1986 ), प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, जेल विभाग तथा जनशिकायत निवारण विभाग तथा सामान्य प्रशासन विभाग (मानव अधिकार) केवल प्रमुख सचिव जन शिकायत निवारण विभाग के प्रभार से मुक्त होंगे.

(7) श्री प्रवीर कृष्ण, भाप्रसे ( 1987 ), प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा भोपाल गैस त्रासदी विभाग को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ आगामी आदेश तक, प्रमुख सचिव, आयुष विभाग का अतिरिक्त प्रभार सौंपा जाता है.

(8) श्री मनीष रस्तोगी, भाप्रसे ( 1994 ), आयुक्त, बजट तथा पदेन सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ पंजीयन महानिरीक्षक एवं अधीक्षक, मुद्रांक का अतिरिक्त प्रभार सौंपा जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
आर. परशुराम, मुख्य सचिव.

भोपाल, दिनांक 14 जून 2012

क्र. एफ-ए-5-16-2011-एक (1).—राज्य शासन द्वारा माननीय न्यायाधिपति महोदय श्री एस. एन. अग्रवाल, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, ग्वालियर, खण्डपीठ, ग्वालियर को निम्नांकित विवरण अनुसार अवकाश स्वीकृत किया जाता है :—

अ. क्र. (1)	अवकाश अवधि (2)	कुल दिन (3)	अवकाश का प्रकार (4)	अभियुक्ति (5)
1	दिनांक 18-4-2012 से 20-4-2012 तक	3 दिन	पूर्ण वेतन तथा भत्तों सहित कम्प्यूटेड अवकाश	अवकाश के पश्चात् में दिनांक 21 एवं 22-4-2012 तक के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति सहित.

क्र. एफ-ए-5-27-2011-एक (1).—राज्य शासन द्वारा माननीय न्यायाधिपति महोदय श्री एस. सी. सिन्हों, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर को निम्नांकित विवरण अनुसार अवकाश स्वीकृत किया जाता है :—

अ. क्र. (1)	अवकाश अवधि (2)	कुल दिन (3)	अवकाश का प्रकार (4)	अभियुक्ति (5)
1	दिनांक 12-3-2012 से 22-3-2012 तक	11 दिन	पूर्ण वेतन तथा भत्तों सहित अवकाश.	अवकाश के पूर्व में दिनांक 8, 9, 10 एवं 11-3-2012 तथा अवकाश के पश्चात् में दिनांक 23, 24 एवं 25-3-2012 तक के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति सहित.

भोपाल, दिनांक 15 जून, 2012

क्र. एफ-ए-5-35-2012-एक (1).—राज्य शासन द्वारा माननीय न्यायाधिपति महोदय श्रीमती विमला जैन, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर को निम्नांकित विवरण अनुसार अवकाश स्वीकृत किया जाता है :—

अ. क्र. (1)	अवकाश अवधि (2)	कुल दिन (3)	अवकाश का प्रकार (4)	अभियुक्ति (5)
1	दिनांक 16-4-2012 से 27-4-2012 तक	12 दिन	पूर्ण वेतन तथा भत्तों सहित.	-

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
अजय शर्मा, उपसचिव.

## विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 14/18 जून 2012

फा. क्र. 3 (बी)6-2012-इक्कीस-ब(एक).—रिट याचिका क्रमांक 17204/2007 (एस) श्री देव शर्मा विरुद्ध मध्यप्रदेश शासन एवं अन्य में माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 12 जनवरी 2012 के आलोक में राज्य शासन, उच्च न्यायालय के परामर्श से इस विभाग के आदेश क्रमांक 35895-5260-इक्कीस-ब, दिनांक 29 सितम्बर 1964 को निरस्त करते हुए, श्री देव शर्मा को दिनांक 17 नवम्बर 1964 के पूर्वाह्न से व्यवहार न्यायाधीश के पद पर मात्र पेशनरी लाभों के लिये औपचारिक रूप से बहाल करता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
के. डी. खान, प्रमुख सचिव.

भोपाल, दिनांक 19 जून 2012

फा. क्र. 1 (सी)-23-2008-इक्कीस-ब (दो).—राज्य शासन इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 28 सितम्बर 2011 को निरस्त करते हुए लोकायुक्त संगठन के पत्र क्रमांक 4903, दिनांक 18 जून 2012 के अनुक्रम में माननीय उच्च न्यायालय, खंडपीठ इन्दौर में विशेष पुलिस स्थापना लोकायुक्त संगठन भोपाल मध्यप्रदेश के दाण्डिक प्रकरणों, अपील पुनरीक्षण एवं अन्य विविध दाण्डिक प्रकरणों में विशेष पुलिस स्थापना (लोकायुक्त संगठन) भोपाल की ओर से पैरवी हेतु श्री अरविन्द गोखले, अधिवक्ता, इन्दौर को रुपये 18,000/- (रुपये अठारह हजार) (जिसमें संगठन द्वारा प्रदत्त दाण्डिक से भिन्न मामलों का पारिश्रमिक भी शामिल है) के मासिक पारिश्रमिक पर, दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 24 (8) के अन्तर्गत एक वर्ष की अवधि के लिये विशेष लोक अभियोजक नियुक्त करता है. इसके अलावा वे संबंधित प्रकरण का स्टेशनरी आदि का अनुषांगिक व्यय भी पा सकेंगे. प्रत्येक माह के बिल की राशि का भुगतान विशेष पुलिस स्थापना लोकायुक्त संगठन भोपाल मध्यप्रदेश करेगा.

उक्त अवधि में दोनों पक्ष एक माह का सूचना-पत्र देकर संविदा समाप्त करने के लिये स्वतंत्र होंगे.

(नोट : विशेष लोक अभियोजक विधि विभाग नियमावली के अंतर्गत दाण्डिक अपील व पुनरीक्षण प्रस्तुति के पूर्व अनुमति प्राप्त होना सुनिश्चित करेंगे).

भोपाल, दिनांक 20 जून 2012

फा. क्र. 17(ई) 205-2008-इक्कीस-ब(दो).—दिनांक 30 जुलाई 2008 द्वारा श्री बसंत कुमार नाग, अधिवक्ता, निवासी रघुनाथ कॉलोनी,

तहसील लखनादौन, जिला सिवनी, मध्यप्रदेश को तहसील लखनादौन, जिला सिवनी में नोटरी व्यवसाय करने हेतु नोटरी व्यवसाय प्रमाण-पत्र जारी किया गया था परन्तु माननीय उच्च न्यायालय, जबलपुर द्वारा रिट याचिका क्रमांक 12261/08, श्रीमती रोशनी मंडेला विरुद्ध मध्यप्रदेश राज्य में पारित आदेश दिनांक 8 मई 2009 के पालन में तहसील लखनादौन में उनका नोटरी व्यवसाय करने का नोटरी व्यवसाय प्रमाण-पत्र निरस्त किया जाता है तथा उनका नाम नोटरी पंजीयन सूची से विलोपित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
अनिल वर्मा, सचिव.

## उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 14 जून 2012

क्र. एफ-5-4-2012-अट्टावन.—राज्य शासन, मध्यप्रदेश फल पौध रोपणी (विनियमन) अधिनियम, 2010 की धारा 8 (1) ख के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मध्यप्रदेश फल पौध रोपणी (विनियमन) अधिनियम, 2010 के परिचालन हेतु स्थापित मध्यप्रदेश फल पौध रोपणी (विनियमन) नियम, 2011 के संदर्भ में पंजीकृत शासकीय/निजी रोपणियों से विक्रय किये जाने वाले निम्नांकित फल पौधों की वर्ष 2012-13 के लिए अधिकतम दर घोषित करता है. यह दरें आगामी अधिसूचना प्रकाशित होने तक प्रभावशील रहेंगी:—

अनुक्रमांक	नाम फल पौध	दर प्रति फल पौध
(1)	(2)	(3)
1	आम कलमी (सभी किस्में)	30.00
2	आम बीजू	10.00
3	अमरूद गूटी/बडेड	15.00
4	अमरूद बीजू	10.00
5	नींबू गूटी	15.00
6	नींबू बीजू	10.00
7	मौसम्बी बडेड	20.00
8	संतरा बडेड	20.00
9	कटहल बीजू	10.00
10	सीताफल बीजू	10.00
11	अनार गूटी	15.00
12	अनार टिशूकल्चर	30.00

(1)	(2)	(3)
13	जामून बीजू	10.00
14	फालसा बीजू	10.00
15	शहतूत (रूटेट कटिंग)	10.00
16	आंवला बडेड	20.00
17	आंवला बीजू	10.00
18	चीकू (ग्राफटिंग)	30.00
19	बेर बडेड	20.00
20	करोंदा बीजू	5.00
21	पपीता पौध बीजू (सभी उन्नत किस्में)	10.00
22	पपीता संकर किस्में बीजू	15.00
23	केला कंद	6.00
24	केला टीशूकल्चर	15.00
25	लीची गूटी	30.00
26	अंगूर रूटेट कटिंग	15.00
27	नाशपाती बडेड	15.00

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
टी. आर. काटवाले, अवर सचिव.

## किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 22 जून 2012

क्र. डी-15-10-2012-चौदह-3.—मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 (क्रमांक 24 सन् 1973) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार एतद्वारा उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये, उक्त अधिनियम की अनुसूची में निर्दिष्ट की गई कृषि उपज का क्रय विक्रय करने के लिए टीकमगढ़ जिले की तहसील पलेरा में समाविष्ट समस्त राजस्व एवं वन ग्रामों के क्षेत्र में क्रय-विक्रय का विनियमन करने के लिये तहसील पलेरा में मंडी स्थापित करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

किसी भी ऐसी आपत्ति या सुझाव पर जो लिखित में किसी भी व्यक्ति से इस अधिसूचना के “मध्यप्रदेश राजपत्र” में प्रकाशित होने के दिनांक से 6 सप्ताह की कालावधि के भीतर प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग, भोपाल को प्राप्त हो, राज्य सरकार द्वारा विचार किया जावेगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
हेमराज सिंह, अवर सचिव.

भोपाल, दिनांक 22 जून 2012

क्र. डी-15-10-2012-चौदह-3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 22 जून 2012 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
हेमराज सिंह, अवर सचिव.

Bhopal, the 22nd June 2012

No. D-15-10-2012-XIV-3.—WHEREAS in exercise of the powers conferred by the sub-section (1) of Section 3 of the Madhya Pradesh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam, 1972 (No. 24 of 1973), the State Government hereby declares its intention to establish a market at Tehsil Palera for regulating the purchase and sale of agricultural produce mentioned in the Schedule of the said Act, including all revenue and forest villages of the area of Tehsil Palera of Ticamgarh district.

Any objection which may be received in writing by the Principal Secretary to Government of Madhya Pradesh Farmer Welfare and Agriculture Development Department, Bhopal from any person with respect to this Notification within Six weeks from the date of publication of this Notification in the “Madhya Pradesh Gazette” will be considered by the State Government.

By order and in the name of the Governor of  
Madhya Pradesh,  
HEMRAJ SINGH, Under Secy.

भोपाल, दिनांक 22 जून 2012

क्र. डी-15-10-2012-चौदह-3.—चूंकि, राज्य शासन ने मध्यप्रदेश कृषि उपज मंडी अधिनियम, 1960 (क्रमांक 19 सन् 1960), की धारा 3 की उपधारा (3) के अधीन जारी की गई इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 24 नवम्बर 1975 द्वारा टीकमगढ़ जिले की जतारा तहसील के क्षेत्र में (जो इसमें इसके पश्चात् “उक्त मंडी क्षेत्र” के नाम से निर्दिष्ट है), उक्त अधिसूचना में निर्दिष्ट कृषि उपजों के क्रय-विक्रय को विनियमित किया था।

और, चूंकि, उक्त मंडी क्षेत्र में से तहसील पलेरा के समस्त राजस्व एवं वन ग्रामों के समाविष्ट क्षेत्र (जो इसमें इसके पश्चात् उक्त क्षेत्र के नाम से निर्दिष्ट है), को विपाटित करके “उक्त मण्डी क्षेत्र” की सीमाओं में परिवर्तन करना प्रस्तावित है।

अतएव, मध्यप्रदेश कृषि उपज मंडी अधिनियम, 1972 (क्रमांक 24 सन् 1973) की धारा 70 की उपधारा (1) के खण्ड (तीन) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा "उक्त मंडी क्षेत्र" में "उक्त क्षेत्र" को विपाटित करके मंडी क्षेत्र की सीमाओं में परिवर्तन करने के अपने आशय को संज्ञापित करती है।

किसी भी ऐसी आपत्ति या सुझाव पर जो लिखित में किसी भी व्यक्ति से इस अधिसूचना के "मध्यप्रदेश राजपत्र" में प्रकाशित होने के दिनांक से 6 सप्ताह की कालावधि के भीतर प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग, भोपाल को प्राप्त हो, राज्य सरकार द्वारा विचार किया जावेगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
**हेमराज सिंह**, अवर सचिव.

भोपाल, दिनांक 22 जून 2012

क्र. डी-15-10-2012-चौदह-3.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 22 जून 2012 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
**हेमराज सिंह**, अवर सचिव.

Bhopal, the 22nd June 2012

No. D-15-10-2012-XIV-3.— WHEREAS, by this Department Notification even dated 24th November 1975 issued under the Section 3 of sub-section (3) of the Madhya Pradesh Agricultural produce Market Act, 1960 (No. 19 of 1960), the State Government regulated the purchase and sale of the agricultural produce specified in the said Notification in the area of Jatara Tehsil of Tikamgarh District (here in after referred to as the "said market area").

AND, WHEREAS it is now proposed to alter the limits of the said Market area by split up here with the area comprising of Palera Tehsil of Tikamgarh District (here in after referred to as the "said area").

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by clause (iii) of sub-section (1) of Section 70 of the Madhya Pradesh Krishi Upaj Mandi Adhinyam, 1972 (No. 24 of 1973), the State Government hereby signifies its intention to alter the limit of the said market area by splitting up as per the "said area".

Any objection which may be received in writing by the Principal Secretary to Government of Madhya

Pradesh Farmer Welfare and Agriculture Development Department, Bhopal from any person with respect to this Notification within Six weeks from the date of publication of this Notification in the "Madhya Pradesh Gazette" will be considered by the State Government.

By order and in the name of the Governor of  
Madhya Pradesh,  
**HEMRAJ SINGH**, Under Secy.

भोपाल, दिनांक 22 जून 2012

क्र. डी-15-11-2011-चौदह-3.— मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 (क्रमांक 24 सन् 1973) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार एतद्वारा उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये, उक्त अधिनियम की अनुसूची में विनिर्दिष्ट की गई कृषि उपज को मन्दसौर जिले की दालोदा तहसील के तहसील दालोदा में समाविष्ट समस्त राजस्व एवं वन ग्रामों के क्षेत्र में कृषि उपज के क्रय विक्रय का विनियमन करने के लिये दालोदा में मंडी स्थापित करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

किसी भी ऐसी आपत्ति या सुझाव पर जो किसी भी व्यक्ति से इस अधिसूचना के "मध्यप्रदेश राजपत्र" में प्रकाशित होने के दिनांक से 6 सप्ताह की कालावधि के भीतर प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग, भोपाल को प्राप्त हो, राज्य सरकार द्वारा विचार किया जावेगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
**हेमराज सिंह**, अवर सचिव.

भोपाल, दिनांक 22 जून 2012

क्र. डी-15-11-2011-चौदह-3.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 22 जून 2012 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
**हेमराज सिंह**, अवर सचिव.

Bhopal, the 22nd June 2012

No. D-15-11-2011-XIV-3.— WHEREAS in exercise of the powers conferred by the sub-section (1) of Section 3 of the Madhya Pradesh Krishi Upaj Mandi Adhinyam, 1972 (No. 24 of 1973), the State Government hereby declares its intention to establish a market Dalauda for the purpose of the "Act" for regulating the purchase and sale of agricultural produce mentioned in the Schedule of the said Act, in revenue and Forest Villages of the area of Dalauda Tehsil in Mandsaur district.

Any objection or suggestion, which may be received on writing by the Chief Secretary to Government of Madhya Pradesh Farmer Welfare and Agriculture Development Department, Bhopal from the date of publication of the Notification in the "Madhya Pradesh Gazette" will be considered by the State Government.

By order and in the name of the Governor of  
Madhya Pradesh,  
HEMRAJ SINGH, Under Secy.

भोपाल, दिनांक 22 जून 2012

क्र. डी-15-12-2012-चौदह-3.—मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 (क्रमांक 24 सन् 1973) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार एतद्वारा, उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये, उक्त अधिनियम की अनुसूची में विनिर्दिष्ट की गई कृषि उपज का क्रय-विक्रय करने के लिये हरदा जिले की तहसील सिराली में समाविष्ट समस्त राजस्व एवं वन ग्रामों के क्षेत्र में क्रय-विक्रय का विनियमन करने के लिये तहसील सिराली में मंडी स्थापित करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

किसी भी ऐसी आपत्ति या सुझाव पर जो लिखित में किसी भी व्यक्ति से इस अधिसूचना के "मध्यप्रदेश राजपत्र" में प्रकाशित होने के दिनांक से 6 सप्ताह की कालावधि के भीतर प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग, भोपाल को प्राप्त हो, राज्य सरकार द्वारा विचार किया जावेगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
हेमराज सिंह, अवर सचिव.

भोपाल, दिनांक 22 जून 2012

क्र. डी-15-12-2012-चौदह-3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 22 जून 2012 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
हेमराज सिंह, अवर सचिव.

Bhopal, the 22nd June 2012

No. D-15-12-2012-XIV-3.—WHEREAS in exercise of the powers conferred by the sub-section (1) of Section 3 of the Madhya Pradesh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam, 1972 (No. 24 of 1973), the State Government hereby declares its intention to establish

a market at Tehsil Sirali for regulating the purchase and sale of agricultural produce mentioned in the Schedule of the said Act, including all revenue and forest villages of the area of Tehsil Sirali of Harda district.

Any objection which may be received in writing by the Principal Secretary to Government of Madhya Pradesh, Farmer Welfare and Agriculture Development Department, Bhopal from any person with respect to this Notification within Six weeks from the date of publication of this Notification in the "Madhya Pradesh Gazette" will be considered by the State Government.

By order and in the name of the Governor of  
Madhya Pradesh,  
HEMRAJ SINGH, Under Secy.

भोपाल, दिनांक 22 जून 2012

क्र. डी-15-12-2012-चौदह-3.—चूंकि, राज्य सरकार ने मध्यप्रदेश कृषि उपज मंडी अधिनियम, 1960 (क्रमांक 19 सन् 1960), की धारा 3 की उपधारा (3) के अधीन जारी की गई इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 11 फरवरी 1969 द्वारा हरदा जिले की खिरकिया तहसील के क्षेत्र में (जो इसमें इसके पश्चात् "उक्त मंडी क्षेत्र" के नाम से निर्दिष्ट है), उक्त अधिसूचना में निर्दिष्ट कृषि उपजों के क्रय-विक्रय को विनियमित किया था।

और, चूंकि, उक्त मंडी क्षेत्र में से तहसील सिराली के समस्त राजस्व एवं वन ग्रामों के समाविष्ट क्षेत्र (जो इसमें इसके पश्चात् उक्त क्षेत्र के नाम से निर्दिष्ट है), को विपाटित करके "उक्त मण्डी क्षेत्र" की सीमाओं में परिवर्तन करना प्रस्तावित है।

अतएव, मध्यप्रदेश कृषि उपज मंडी अधिनियम, 1972 (क्रमांक 24 सन् 1973) की धारा 70 की उपधारा (1) के खण्ड (तीन) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा "उक्त मंडी क्षेत्र" में "उक्त क्षेत्र" को विपाटित करके मंडी क्षेत्र की सीमाओं में परिवर्तन करने के अपने आशय को संज्ञापित करती है।

किसी भी ऐसी आपत्ति या सुझाव पर जो लिखित में किसी भी व्यक्ति से इस अधिसूचना के "मध्यप्रदेश राजपत्र" में प्रकाशित होने के दिनांक से 6 सप्ताह की कालावधि के भीतर प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग, भोपाल को प्राप्त हो, राज्य सरकार द्वारा विचार किया जावेगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
हेमराज सिंह, अवर सचिव.

भोपाल, दिनांक 22 जून 2012

क्र. डी-15-12-2012-चौदह-3.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 22 जून 2012 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
हेमराज सिंह, अवर सचिव.

Bhopal, the 22nd June 2012

No. D-15-12-2012-XIV-3.— WHEREAS, by this Department Notification even dated 11th February 1969 issued under the Section 3 of sub-section (3) of the Madhya Pradesh Agricultural produce Market Act, 1960 (No. 19 of 1960), the State Government regulated the purchase and sale of the agricultural produce specified in the said Notification in the area of Khirkia Tehsil of Harda District, (here in after referred to as the "said market area").

AND WHEREAS, it is now proposed to alter the limits

of the said Market area by split up here with the area comprising of Sirali Tehsil of Harda District (here in after referred to as the "said area").

NOW THEREFORE, in exercise of the powers conferred by clause (iii) of sub-section (1) of Section 70 of the Madhya Pradesh Krishi Upaj Mandi Adhinyam 1972 (No. 24 of 1973), the State Government hereby signifies its intention to alter the limit of the said market area by splitting up as per the "said area".

Any objection which may be received in writing by the Principal Secretary to Government of Madhya Pradesh Farmer Welfare and Agriculture Development Department, Bhopal from any person with respect to this Notification within Six weeks from the date of publication of this Notification in the "Madhya Pradesh Gazette" will be considered by the State Government.

By order and in the name of the Governor of  
Madhya Pradesh,  
HEMRAJ SINGH, Under Secy.

## खनिज साधन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

क्रमांक 3768-4071-10-बारह-1

भोपाल, दिनांक 7 जून 2012

भारत सरकार

कोयला मंत्रालय

नई दिल्ली, तारीख 23 अप्रैल 2012

का. आ. F. No. 43015-14-2011-PRIW-I.— केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि, इससे उपाबद्ध अनुसूची में उल्लेखित परिक्षेत्र की भूमि में से कोयला अभिप्राप्त किए जाने की संभावना है;

और, उक्त अनुसूची में वर्णित क्षेत्र का जिसकी रेखांक संख्या सी-1(ई) 111/एचआर/867-0811, तारीख 18 अगस्त, 2011 का निरीक्षण, वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड, (राजस्व विभाग) कोल इस्टेट, सिविल लाईन्स, नागपुर-440 001 (महाराष्ट्र) के कार्यालय में या मुख्य महाप्रबंधक (एक्सप्लोरेशन प्रभाग), केन्द्रीय खान योजना एवं डिजाइन संस्थान, गोंडवाना पॅलेस, कांके रोड, रांची-834 001 के कार्यालय में या कोयला नियंत्रक, 1, काउंसिल हाउस स्ट्रीट, कोलकाता-700 001 के कार्यालय में या जिला कलेक्टर, छिन्दवाड़ा (मध्यप्रदेश) के कार्यालय में किया जा सकता है;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, कोयला धारक क्षेत्र (अर्जन और विकास) अधिनियम, 1957 (1957 का 20) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि से कोयले का पूर्वेक्षण करने के अपने आशय की सूचना देती है;

उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति :—

- (i) संपूर्ण भूमि या उसके किसी भाग या ऐसी भूमि में या उसके ऊपर किसी अधिकार के अर्जन पर आक्षेप, या
- (ii) भूमि या ऐसी भूमि में या उसके ऊपर कोई अधिकार के प्रतिकर के हित के यदि कोई दावा, या
- (iii) खनन पट्टा अर्जन करने के अधीन अधिकारों की पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति प्रभावहीन हो जाने और भूमि संबंधी सभी नक्शे, चार्टों तथा अन्य दस्तावेजों का परिदान, भूमि से अयस्कों या अन्य खनिजों के नमूनों का संग्रहण और उनका सम्यक विश्लेषण करने के लिए तथा उक्त अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (7) में निर्दिष्ट कोई अन्य सुसंगत अभिलेखों या सामग्रियों की तैयारी के लिए प्रतिकर;

इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से नब्बे दिन के भीतर, क्षेत्रीय महाप्रबंधक वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड, कन्हान क्षेत्र, पोस्ट आफिस डुंगरिया, तहसील जुन्नारदेव, जिला छिन्दवाड़ा (मध्यप्रदेश) या महाप्रबंधक (भूमि और राजस्व), वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड, राजस्व विभाग, कोल ईस्टेट, सिविल लाईन्स, नागपुर-440 001 (महाराष्ट्र) को भेजेंगे.

### अनुसूची

घोघरा खुली खदान,  
घोरावारी कॉलरी नं. 2,  
कन्हान क्षेत्र,  
जिला-छिन्दवाड़ा ( मध्यप्रदेश )

[रेखांक संख्या सी-1(ई) 111/एचआर/867-0811, तारीख 18 अगस्त, 2011]

क्रम सं.	ग्राम का नाम	पटवारी सर्किल संख्या	तहसील	जिला	क्षेत्रफल (हेक्टर में)	टिप्पणी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	पनारा	22	जुन्नारदेव	छिन्दवाड़ा	55.166	भाग

कुल क्षेत्र : 55.166 हेक्टर (लगभग)  
या 136.26 एकड़ (लगभग)

सीमा वर्णन :—

क-ख : रेखा ग्राम पनारा में आरंभिक बिन्दु 'क' से प्रारंभ होकर उत्तर पूर्व दिशा की ओर ग्राम पनारा से गुजरती हुई बिन्दु 'ख' पर मिलती है.

ख-ग : रेखा ग्राम पनारा में बिन्दु 'ख' से उत्तर दक्षिण दिशा की ओर से गुजरती हुई बिन्दु 'ग' पर मिलती है.

ग-घ : रेखा ग्राम पनारा में बिन्दु 'ग' से पूर्व पश्चिम दिशा की ओर से गुजरती हुई बिन्दु 'घ' पर मिलती है.

घ-क : रेखा ग्राम पनारा में बिन्दु 'घ' से दक्षिण उत्तर दिशा की ओर से गुजरती हुई आरंभिक बिन्दु 'क' पर मिलती है.

(फा. सं. 43015/14/2011-पीआरआईडब्ल्यू-1)

S.O. F. No. 43015-14-2011-PRIW-I.—WHEREAS, it appears to the Central Government that Coal is likely to be obtained from the lands in the locality mentioned in the Schedule hereto annexed;

AND WHEREAS, the plan bearing number C-1(E)III/HR/867-0811, dated 18th August, 2011 of the area covered by this notification can be inspected at the office of the Western Coalfields Limited (Revenue Department), Coal Estate, Civil Lines, Nagpur-440 001 (Maharashtra) or at the office of the Area General Manager (Exploration Division), Central Mine Planning and Design Institute, Gondwana Palace, Kanke Road, Ranchi-834 001 or at the office of the Coal Controller, 1 Council House Street, Kolkata-700 001 or at the office of the District Collector, Chhindwara (Madhya Pradesh);

NOW THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 4 of the Coal Bearing Areas (Acquisition and Development) Act, 1957 (20 of 1957), (hereinafter referred to as the said Act), for all rights the Central Government hereby gives notice of its intention to prospect for coal from lands described in the said Schedule;

Any persons interested in the land described in the said Schedule may :—

- (i) object to the acquisition of the whole or any part of the land, or of any rights in or over such land, or
- (ii) claim an interest in compensation if the land or any rights in or over such land, or
- (iii) seek compensation for prospecting licences ceasing to have effect, rights under mining leases being acquired, and deliver all maps, charts and other documents relating to the land, collection from the land of cores or other mineral samples and due analysis thereof and the preparation of any other relevant record or materials referred to in sub-section (7) of Section 13 of the said Act.

to the office of the Area General Manager, Western Coalfields Limited, Kanhan Area, Post Office Dungaria, Tahsil Junnardeo, District Chhindwara (Madhya Pradesh) or General Manager (Land and Revenue), Western Coalfields Limited, Revenue Department, Coal Estate, Civil Lines, Nagpur-440 001 (Maharashtra) within ninety days from the date of publication of this notification in the Official Gazette.

#### SCHEDULE

**Ghoghra Opencast Mine,  
Ghorawari Colliery No. 2,  
Kanhan Area,  
District-Chhindwara (Madhya Pradesh)**

[Plan bearing number C-1(E)III/HR/867-0811, dated 18th August, 2011]

Sl. No.	Name of Village	Patwari Circle Number	Tahsil	District	Area (in hectares)	Remarks
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Panara	22	Junnardeo	Chhindwara	55.166	Part

Total area : 55.166 hectares (approximately)  
or 136.26 acres (approximately)

#### Boundary description :—

- A-B : Line starts from Point 'A' in village Panara and passes through village Panara towards North East Direction and meets at Point 'B'.
- B-C : Line passes through Point 'B' in village panara towards North South Direction and meets at Point 'C'.
- C-D : Line passes through Point 'C' in village Panara towards East West Direction and meets at Point 'D'.



D-A : Line passes through Point 'D' in village Panara towards South North Direction and meets at starting Point 'A'.

(F. No. 43015/14/2011-PRIW-I)

का. आ. फा. सं. 43015-12-2011-पी.आर.आई.डब्ल्यू-1.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि, इससे उपाबद्ध अनुसूची में उल्लेखित परिक्षेत्र की भूमि में से कोयला अभिप्राप्त किए जाने की संभावना है;

और, इस अधिसूचना द्वारा आने वाले क्षेत्र जिसका रेखांक संख्या सी-1(ई) III/एचआर/865-0811, तारीख 11 अगस्त, 2011 का निरीक्षण, वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड, (राजस्व विभाग) कोल ईस्टेट, सिविल लाईन्स, नागपुर-440 001 (महाराष्ट्र) के कार्यालय में या मुख्य महाप्रबंधक (खोज प्रभाग), केन्द्रीय खान योजना एवं डिजाइन संस्थान, गोंडवाना पॅलेस, कांके रोड, रांची-834 001 के कार्यालय में या कोयला नियंत्रक, 1, काउंसिल हाउस स्ट्रीट, कोलकाता-700 001 के कार्यालय में या जिला कलेक्टर, छिन्दवाड़ा (मध्यप्रदेश) के कार्यालय में किया जा सकता है;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, कोयला धारक क्षेत्र (अर्जन और विकास) अधिनियम, 1957 (1957 का 20) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि से कोयले का पूर्वेक्षण करने के अपने आशय की सूचना देती है;

उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति :—

- (i) संपूर्ण भूमि या उसके किसी भाग या ऐसी भूमि में या उसके ऊपर किसी अधिकार के अर्जन पर आक्षेप, या
- (ii) यदि भूमि या ऐसी भूमि में या उसके ऊपर कोई अधिकार के प्रतिकर के हित का कोई दावा, या
- (iii) खनन पट्टा अर्जन करने के अधीन अधिकारों की पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति प्रभावहीन हो जाने और भूमि संबंधी सभी नक्शे, चार्टों तथा अन्य दस्तावेजों का परिदान, आंतरिक भूमि से या अन्य खनिजों के नमूनों का संग्रहण और उनका सम्यक विश्लेषण करने के लिए तथा उक्त अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (7) में निर्दिष्ट कोई अन्य सुसंगत अभिलेखों या सामग्रियों की तैयारी के लिए प्रतिकर की मांग;

इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से नब्बे दिन के भीतर, क्षेत्रीय महाप्रबंधक वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड, कन्हान क्षेत्र, पोस्ट हुंगरिया, तहसील जुन्नारदेव, जिला छिन्दवाड़ा (मध्यप्रदेश) या महाप्रबंधक, वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड, भूमि और राजस्व विभाग, कोल ईस्टेट, सिविल लाईन्स, नागपुर-440 001 (महाराष्ट्र) से कर सकेगा.

### अनुसूची

टाकिया नाला फेज VIII खुली खदान  
घोरावारी कोलियरी नं. 2  
कन्हान क्षेत्र  
जिला-छिन्दवाड़ा (मध्यप्रदेश)

[रेखांक संख्या सी-1(ई)III/एचआर/865-0811, तारीख 11 अगस्त, 2011]

क्रम सं.	ग्राम का नाम	पटवारी सर्किल संख्या	तहसील	जिला	क्षेत्रफल (हेक्टर में)	टिप्पणियां
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	दातला बाडी	28	जुन्नारदेव	छिन्दवाड़ा	18.712	भाग

कुल क्षेत्र : 18.712 हेक्टर (लगभग)  
या 46.237 एकड़ (लगभग)

सीमा वर्णन :—

- क-ख : रेखा ग्राम दातला बाडी के आरंभिक बिन्दु 'क' से प्रारंभ होती है और टाकिया नाला की बाहरी सीमा से गुजरती हुई बिन्दु 'ख' पर मिलती है।
- ख-ग : रेखा, नाले की सीमा के साथ 'ख' बिन्दु से आरंभ होती है फिर उत्तर पूर्व दिशा में ग्राम से होकर गुजरती है और बिन्दु 'ग' पर मिलती है।
- ग-घ : रेखा बिन्दु 'ग' से उत्तर दक्षिण दिशा में ग्राम दातला बाडी से गुजरती है और बिन्दु 'घ' पर मिलती है।
- घ-ङ-च : रेखा बिन्दु 'घ' से पूर्व पश्चिम दिशा में बिन्दु 'ङ' से गुजरती है और बिन्दु 'च' पर मिलती है।
- च-क : रेखा बिन्दु 'च' से होकर गुजरती है और पूर्व पश्चिम दिशा में ग्राम दातला बाडी से होकर जाती है और आरंभिक बिन्दु 'क' पर मिलती है।

(फा. सं. 43015/12/2011-पीआरआईडब्ल्यू-1)

S.O. F. No. 43015-12-2011-GRPW-I.—WHEREAS, it appears to the Central Government that Coal is likely to be obtained from the lands in the locality mentioned in the Schedule hereto annexed;

AND WHEREAS, the plan bearing number C-1(E)III/HR/865-0811, dated 11th August, 2011 of the area covered by this notification can be inspected at the office of the Western Coalfields Limited (Revenue Department), Coal Estate, Civil Lines, Nagpur-440 001 (Maharashtra) or at the office of the Area General Manager (Exploration Division), Central Mine Planning and Design Institute, Gondwana Palace, Kanke Road, Ranchi-834 001 or at the office of the Coal Controller, 1 Council House Street, Kolkata-700 001 or at the office of the District Collector, Chhindwara (Madhya Pradesh);

NOW THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 4 of the Coal Bearing Areas (Acquisition and Development) Act, 1957 (20 of 1957), (hereinafter referred to as the said Act), for all rights the Central Government hereby gives notice of its intention to prospect for coal from lands described in the said Schedule;

Any persons interested in the land described in the said Schedules may :—

- (i) object to the acquisition of the whole or any part of the land, or of any rights in or over such land, or
- (ii) claim an interest in compensation if the land or any rights in or over such land, or
- (iii) seek compensation for prospecting licences ceasing to have effect, rights under mining leases being acquired, and deliver all maps, charts and other documents relating to the land, collection from the land of cores or other mineral samples and due analysis thereof and the preparation of any other relevant record or materials referred to in sub-section (7) of Section 13 of the said Act.

to the office of the Area General Manager, Western Coalfields Limited, Kanhan Area, Post Office Dungaria, Tahsil Junnardeo, District Chhindwara (Madhya Pradesh) or General Manager (Land and Revenue), Western Coalfields Limited, Revenue Department, Coal Estate, Civil Lines, Nagpur-440 001 (Maharashtra) within ninety days from the date of publication of this notification in the Official Gazette.

## SCHEDULE

**Takia Nallah Phase-VIII Opencast Mine  
Ghorawari Colliery No. 2  
Kanhan Area  
District-Chhindwara (Madhya Pradesh)**

[Plan bearing number C-1(E)III/HR/865-0811, dated 11th August, 2011]

Sl. No.	Name of Village	Patwari Circle Number	Tahsil	District	Area (in hectares)	Remarks
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Datla Badi	28	Junnardeo	Chhindwara	18.712	Part
Total area : 18.712 hectares (approximately) or 46.237 acres (approximately)						

Boundary description :—

- A-B : Line starts from Point 'A' and Passes along the boundary of Takia Nallah and meets at Point 'B'
- B-C : Line passes from Point 'B' along the boundary of Nallah then passes through village in North East Direction and meets at Point 'C'.
- C-D : Line passes from Point 'C' in the North South Direction in village Datla Badi and meets at Point 'D'.
- D-E-F : Line passes from Point 'D' in the East West Direction in village Datla Badi, then passes through Point 'E' and meets at Point 'F'.
- F-A : Line passes through Point 'F' and passes through village Datla Badi in East West Direction and meets at starting Point 'A'.

(F. No. 43015/12/2011-PRIW-I)

का. आ. फा. सं. 43015-19-2011-पी.आर.आई.डब्ल्यू.-I.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि, इससे उपाबद्ध अनुसूची में उल्लिखित भूमि में कोयला अभिप्राप्त किए जाने की संभावना है;

उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्र के ब्यौरे रेखांक संख्या एसईसीएल/बीएसपी/जीएम(पीएलजी)/भूमि/418, तारीख 8 नवम्बर, 2011 का निरीक्षण, कलेक्टर, शहडोल (मध्यप्रदेश) के कार्यालय में या कोयला नियंत्रक, 1, काउंसिल हाउस स्ट्रीट, कोलकाता-700 001 के कार्यालय में या साऊथ ईस्टर्न कोलफिल्ड्स लिमिटेड (राजस्व अनुभाग), सीपत रोड, बिलासपुर-495006 (छत्तीसगढ़) के कार्यालय में किया जा सकता है;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, कोयला धारक क्षेत्र (अर्जन और विकास) अधिनियम, 1957 (1957 का 20) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि से कोयले का पूर्वेक्षण करने के अपने आशय की सूचना देती है;

उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति :—

- (i) संपूर्ण भूमि या उसके किसी भाग के अर्जन या ऐसी भूमि में या उस पर के किन्हीं अधिकारों के प्रति आक्षेप, कर सकेगा; या

- (ii) भूमि में के किसी हित के प्रतिकर या ऐसी भूमि में या उस पर के किन्हीं अधिकारों का दावा कर सकेगा; या
- (iii) प्रभावहीन हो गई पूर्वेक्षण अनुज्ञप्तियों, खनन पट्टों के अधीन अर्जित किये जाने पर अधिकारों के लिये प्रतिकर प्राप्त कर सकेगा और उक्त अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (7) में निर्दिष्ट भूमि के कोरों से संग्रहण या अन्य खनिज नमूनों तथा उनके सम्यक् विश्लेषण को तथा किसी अन्य सुसंगत अभिलेख या सामग्रियों की निर्मित से संबंधित सभी मानचित्र चार्ट और अन्य दस्तावेज परिदत्त कर सकेगा.

इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से नब्बे दिन के भीतर, प्रभारी अधिकारी या विभागाध्यक्ष (राजस्व), साऊथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड, सीपत रोड, बिलासपुर-495006 (छत्तीसगढ़) को भेजेंगे.

### अनुसूची

धनपुरा ब्लाक, सोहागपुर क्षेत्र  
जिला-शहडोल ( मध्यप्रदेश )

[रेखांक संख्या एसईसीएल/बीएसपी/जीएम(पीएलजी)/भूमि/418, तारीख 8 नवम्बर, 2011]

(पूर्वेक्षण के लिए अधिसूचना भूमि दर्शाते हुए)

#### तहसील—सोहागपुर, जिला-शहडोल

क्रम सं.	ग्राम का नाम	पटवारी हल्का नम्बर	क्षेत्र (हेक्टर में)	टिप्पण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	धनपुरा	125	244.000	भाग
2.	चौराडीह	125	422.985	संपूर्ण
3.	धनपुरी	125	153.709	भाग
4.	विक्रमपुर	126	158.000	भाग
5.	चिटुहला	127	308.313	संपूर्ण
6.	अहिरगंव	128	197.701	भाग
7.	बरतरा	124	331.046	भाग
8.	मझियार	125	216.156	भाग
9.	गोपालपुर	128	15.000	भाग

कुल : 2046.910 हेक्टर (लगभग)

या 5057.91 एकड़ (लगभग)

सीमा वर्णन :—

क-ख : रेखा ग्राम मझियार-वोडरी के सम्मिलित सीमा में बिन्दु 'क' से आरंभ होती है और ग्राम मझियार और धनपुरा के पश्चिमी सीमा से गुजरती हुई बिन्दु 'ख' पर मिलती है.

ख-ग : रेखा ग्राम धनपुरा और धनपुरी के मध्य भाग, ग्राम विक्रमपुर के दक्षिणी भाग से गुजरती हुई ग्राम विक्रमपुर के दक्षिणी सीमा में बिन्दु 'ग' पर मिलती है.

ग-घ : रेखा ग्राम अहिरगंव के भागतः पूर्वी सीमा, ग्राम अहिरगंव के दक्षिणी भाग, ग्राम गोपालपुर के उत्तरी भाग और ग्राम चिटुहला के भागतः दक्षिणी सीमा से होती हुई बिन्दु 'घ' पर मिलती है.

घ-क : रेखा ग्राम बरतरा के मध्य भाग और ग्राम मझियार के दक्षिणी भाग से होती हुई आरंभिक बिन्दु 'क' पर मिलती है.

(फा. सं. 43015/19/2011-पीआरआईडब्ल्यू-1)

New Delhi, Dated the 23rd April 2012

S.O. F. No. 43015-19-2011-PRIW-I.—WHEREAS, it appears to the Central Government that Coal is likely to be obtained from the lands mentioned in the Schedule annexed hereto.

AND WHEREAS, the plan bearing number SECL/BSP/GM (PLG)/LAND/418, dated the 8th November 2011 containing details of the area of land described in the said Schedule may be inspected at the Office of the Collector, Shahdol (Madhya Pradesh) or at the Office of the Coal Controller I, Council House Street, Kolkata-700001 or at the Office of the South Eastern Coalfields Limited (Revenue Section), Seepat Road, Bilaspur-495006 (Chhattisgarh);

NOW THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 4 of the Coal Bearing Areas (Acquisition and Development) Act, 1957 (20 of 1957), (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government hereby gives notice of its intention to prospect for coal from lands described in the said Schedule;

Any person interested in the land described in the said Schedule may—

- (i) object to the acquisition of the whole or any part of the land, or of any rights in or over such land; or
- (ii) claim an interest in compensation if the land or any rights in or over such land; or
- (iii) seek compensation for prospecting licences ceasing to have effect, rights under mining lease being acquired and deliver all maps, charts and other documents relating to the land, collection from the land of cores or other mineral samples and due analysis thereof and the preparation of any other relevant record or materials referred to in sub-section (7) of Section 13 of the said Act,

to the Officer-In-Charge or Head of the Department (Revenue), South Eastern Coalfields Limited, Seepat Road; Bilaspur-495006 (Chhattisgarh) within a period of ninety days from the date of publication of this notification in the Official Gazette.

### SCHEDULE

#### Dhanpura Block Sohagpur Area, District-Shohdol, Madhya Pradesh

[Plan bearing number SECL/BSP/GM(PLG)/LAND/418 dated the 8th November, 2011]  
(Showing the land notified for prospecting)

Tahsil—Sohagpur			District—Shahdol	
Sl. No. (1)	Name of Village (2)	Patwari halka number (3)	Area in hectares (4)	Remarks (5)
1.	Dhanpura	125	244.000	Part
2.	Chauradih	125	422.985	Full
3.	Dhanpuri	125	153.709	Part
4.	Vikrampur	126	158.000	Part
5.	Chituhala	127	308.313	Full
6.	Ahircawan	128	197.701	Part
7.	Bartara	124	331.046	Part
8.	Majhiyar	125	216.156	Part
9.	Gopalpur	128	15.000	part

Total 2046.910 hectares (approximately)  
or 5057.91 acres (approximately)

## BOUNDARY DESCRIPTION:—

- A-B Line starts from point 'A' on the common boundary of villages Majhiyar-Wodari and passes along western boundary of Village Majhiyar, Dhanpura and meets at point 'B'.
- B-C Line passes through middle part of Village Dhanpura, Dhanpuri, Southern part of Village Vikrampur and meets at point 'C' on the southern boundary of Village Vikrampur.
- C-D Line passes along partly eastern boundary of Village Ahirgawan, through Southern part of Village Ahirgawan, Northern part of Village Gopalpur, along partly Southern boundary of Village Chituhala and meets at point 'D'.
- D-A Line passes through middle part of Village Bartara, Southern part of Village Majhiyar and meets at starting point 'A'.

नई दिल्ली, तारीख 24 अप्रैल, 2012

का. आ. फा. सं. 43015-06-2011-पी.आर.आई.डब्ल्यू.-1.—केन्द्रीय सरकार ने कोयला धारक क्षेत्र (अर्जन और विकास) अधिनियम, 1957 (1957 का 20) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 4 की उपधारा (1) अधीन भारत सरकार में कोयला मंत्रालय के द्वारा जारी की गई अधिसूचना संख्या का. आ. 2266, तारीख 24 अगस्त 2011 जो भारत के राजपत्र के भाग II खण्ड 3, उपखण्ड (ii), तारीख 27 अगस्त 2011 में प्रकाशित की गई थी, उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट परिक्षेत्र की भूमि में जिसका माप 91.678 हेक्टर (लगभग) या 226.54 एकड़ (लगभग) है, कोयले का पूर्वेक्षण करने के अपने आशय की सूचना दी थी;

और केन्द्रीय सरकार को यह समाधान हो गया है कि उक्त भूमि के एक भाग में कोयला अभिप्रास है.

अतः, केन्द्रीय सरकार, कोयला धारक क्षेत्र (अर्जन और विकास) अधिनियम, 1957 की धारा 7 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए इससे संलग्न अनुसूची में वर्णित 87.646 हेक्टर (लगभग) या 216.57 एकड़ (लगभग) माप की उक्त भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की सूचना देती है:—

**टिप्पणी—1:** इस अधिसूचना के अधीन आने वाले क्षेत्र के रेखांक संख्या एसईसीएल/बीएसपी/जीएम (पीएलजी)/भूमि/417 तारीख 4 नवम्बर 2011 का निरीक्षण कलेक्टर, जिला अनूपपुर (मध्यप्रदेश) के कार्यालय में या कोयला नियंत्रक, 1, काउंसिल हाउस स्ट्रीट, कोलकत्ता-700001 के कार्यालय में या साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (राजस्व अनुभाग), सीपत रोड, बिलासपुर-495006 (छत्तीसगढ़) के कार्यालय में किया जा सकता है.

**टिप्पणी—2:** उक्त अधिनियम की धारा 8 के उपबंधों की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है, जिसमें निम्नलिखित उपबंध है:—

अर्जन के बाबत् आपत्तियाँ:—

“8(1)” कोई व्यक्ति जो किसी भूमि में जिसकी बाबत् धारा 7 के अधीन अधिसूचना निकाली गई है, हितबद्ध है, अधिसूचना के निकाले जाने से तीस दिन के भीतर सम्पूर्ण भूमि या उसके किसी भाग या ऐसी भूमि में या उस पर के किन्हीं अधिकारों का अर्जन किए जाने के बारे में आपत्ति कर सकेगा.

स्पष्टीकरण,—

- (1) इस धारा के अन्तर्गत यह आपत्ति नहीं मानी जाएगी कि कोई व्यक्ति किसी भूमि में कोयला उत्पादन के लिए स्वयं खनन संक्रियाएं करना चाहता है और ऐसी संक्रियाएं केन्द्रीय सरकार या किसी अन्य व्यक्ति को नहीं करनी चाहिए.

- (2) उपधारा (1) के अधीन प्रत्येक आपत्ति सक्षम अधिकारी को लिखित रूप में की जाएगी और सक्षम अधिकारी, आपत्तिकर्ता को स्वयं सुने जाने, विधि व्यवसायी द्वारा सुनवाई का अवसर देगा और ऐसी सभी आपत्तियों को सुनने के पश्चात् और ऐसी अतिरिक्त जांच, यदि कोई हो, करने के पश्चात् जो वह आवश्यक समझता है, वह या तो धारा 7 की उपधारा (1) के अधीन के अधिसूचित भूमि का या ऐसी भूमि में या उस पर के अधिकारों के संबंध में एक रिपोर्ट या ऐसी भूमि के विभिन्न टुकड़ों या ऐसी भूमि में या उस पर के अधिकारों के संबंध में आपत्तियों पर अपनी सिफारिशों और उसके द्वारा की गई कार्यवाही के अभिलेख सहित विभिन्न रिपोर्ट केन्द्रीय सरकार को उसके विनिश्चय के लिए देगा.
- (3) इस धारा के प्रयोजनों के लिए वह व्यक्ति किसी भूमि में हितबद्ध समझा जाएगा जो प्रतिकर में हित का दावा करने का हकदार होगा, यदि भूमि या किसी ऐसी भूमि में या उस पर के अधिकार इस अधिनियम के अधीन अर्जित कर लिए जाते हैं."

**टिप्पणी 3:** केन्द्रीय सरकार ने कोयला नियंत्रक, 1, काउंसिल हाउस स्ट्रीट, कोलकाता-700001 को उक्त अधिनियम के अधीन भारत के राजपत्र, भाग II खण्ड 3, उपखण्ड (ii), तारीख 4 अप्रैल 1987 में प्रकाशित अधिसूचना संख्या का. आ. 905, तारीख 20 मार्च, 1987 उक्त अधिनियम की धारा 3 के अधीन सक्षम प्राधिकारी नियुक्त किया है.

### अनुसूची

कपिलधारा भूमिगत खदान, हसदेव क्षेत्र,  
जिला अनूपपुर ( मध्यप्रदेश )

[रेखांक संख्या:—एसईसीएल/बीएसपी/जीएम(पीएलजी)/भूमि/417, तारीख 4 नवम्बर 2011]

भू-सतह अधिकार :

क्रम संख्या	ग्राम का नाम	पटवारी हल्का नम्बर	जनरल नम्बर	तहसील	जिला	क्षेत्र (हेक्टर में)	टिप्पण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	परसापानी	20	586	कोतमा	अनूपपुर	12.338	भाग
2.	दलदल	20	428	कोतमा	अनूपपुर	75.308	भाग

कुल :—87.646 हेक्टर (लगभग) या 216.57 एकड़ (लगभग).

- ग्राम परसापानी (भाग) में अर्जित किए जाने वाले प्लॉट संख्या 68(भाग), 69, 70, 71, 72, 73, 74
- ग्राम दलदल (भाग) में अर्जित किए जाने वाले प्लॉट संख्या: 47(भाग), 49 से 86, 224 से 243.

सीमा वर्णन :—

- क-ख रेखा ग्राम परसापानी में बिन्दु "क" से आरंभ होती है और प्लॉट संख्या 68, 69, 72 के पश्चिमी सीमा से गुजरती हुई ग्राम परसापानी-दलदल के सम्मिलित सीमा में बिन्दु "ख" पर मिलती है.
- ख-ग रेखा ग्राम दलदल के प्लॉट संख्या 224, 227, 225, 226, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 236, 237, 242, 71, 72, 73, 76, 83, 84, 85, 86, 47 के पश्चिमी सीमा से गुजरती हुई ग्राम बिजुरी-दलदल के सम्मिलित सीमा में बिन्दु "ग" पर मिलती है.
- ग-घ रेखा ग्राम दलदल के प्लॉट संख्या 47, 85, 82, 50, 49, 52, 53, 54, 57, 58 के उत्तरी सीमाएं प्लॉट संख्या 59, 243, 242 के पूर्वी सीमा से गुजरती हुई बिन्दु "घ" पर मिलती है.

घ-ड रेखा ग्राम दलदल के प्लाट संख्या 241, 240, 238, 229, 227, 228, 224 के पूर्वी सीमा से होती हुई बिन्दु "ड" पर मिलती है।

ड-क रेखा ग्राम परसापानी के प्लाट संख्या 73, 74, 70, 68 के पूर्वी सीमा से होती हुई आरंभिक बिन्दु "क" पर मिलती है।

(फा. सं. 43015/06/2011-पीआरआईडब्ल्यू-1)

New Delhi, dated the 24th April 2012

S.O. F. No. 43015-06-2011-GRIW-I.—WHEREAS, by the notification of the Government of India in the Ministry of Coal number S.O. 2266, dated the 24th August, 2011 issued under sub-section (1) of Section 4 of the Coal Bearing Areas (Acquisition and Development) Act, 1957 (20 or 1957) (hereinafter referred to as the said Act) and published in the Gazette of India, Part-II, Section 3, Sub-section (ii), dated the 27th August 2011, the Central Government gave notice of its intention to prospect for coal in 91.678 hectares (approximately) or 226.54 acres (approximately) of the lands in the locality specified in the schedule annexed to that notification;

AND WHEREAS, the Central Government is satisfied that coal is obtainable in a part of the said lands prescribed in the Schedule (s) appended to this notification;

NOW THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 7 of the said Act, the Central Government hereby gives notice of its intention to acquire the land measuring 87.646 hectares (approximately) or 216.57 acres (approximately) as Surface Rights in or over the said lands described in the schedule appended hereto:

**Note 1.**—The plan bearing number SECL/BSP/GM (PLG)/LAND/417, dated the 4th November, 2011 of the area covered by this notification may be inspected at the office of the Collector, Anuppur (Madhya Pradesh) or at the office of the Coal Controller, 1, Council House Street, Kolkata-700001 or at the office of the South Eastern Coalfields Limited (Revenue Section), Seepat Road Bilaspur, 495006 (Chhattisgarh).

**Note 2.**—Attention is hereby invited to the provisions of Section 8 of the said Act which provides as follows :—

Objection to Acquisition :

“8(1) Any person interested in any land in respect of which a notification under sub-section (1) of Section 7 has been issued, may, within thirty days of the issue of the notification, object to the acquisition of the whole or any part of the land or any rights in or over such land.

Explanation,—

- (1) It shall not be an objection within the meaning of this Section for any person to say that he himself desires to undertake mining operation in the land for the production of coal and that such operation should not be undertaken by the Central Government or by any other person.
- (2) Every objection under sub-section (1) shall be made to the competent authority in writing, and the competent authority shall give the objector an opportunity of being heard either in person or by a legal practitioner and shall, after hearing all such objections and after making such further inquiry, if any, as he thinks necessary, either makes a report in respect of the land which has been notified under sub-section (1) of Section 7 or of rights in or over such land, or make different reports in respect of different parcels of such land or of rights in or over such land, to the Central Government, containing his recommendations on the objections, together with the record of the proceedings held by him, for the decision of the Government.



- (3) For the purposes of this section, a person shall be deemed to be interested in land who would be entitled to claim an interest in compensation if the land or any rights in or over such land were acquired under this Act.”

**Note 3.**—The Coal Controller, 1. Council House Street, Kolkata, 700001, has been appointed by the Central Government as the competent authority under section 3 of the said Act, *vide* notification number S.O. 905, dated the 20th March, 1987, published in part-II, Section 3, sub-section (ii) of the Gazette of India, dated the 4th April, 1987.

### SCHEDULE

Kapildhara U/G Mine, Hasdeo Area  
District-Anuppur (Madhya Pradesh)

(Plan bearing number SECL/BSP/GM(PLG)/LAND/417, dated the 4th November, 2011)

Surface Rights :

S. No.	Name of Village	Patwari halka number	General number	Tahsil	District	Area (in hectares)	Remarks
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Parsapani	20	586	Kotma	Anuppur	12.338	Part
2	Daldal	20	428	Kotma	Anuppur	75.308	Part
Total :— 87.646 hectares (approximately) or 216.57 acres (approximately).							

1. Plot numbers to be acquired in village Parsapani (Part): 68(P), 69, 70, 71, 72, 73, 74

2. Plot numbers to be acquired in village Daldal (Part): 47(P), 49 to 86, 224 to 243.

Boundary Description :—

- A-B Line starts from point 'A' in village Parsapani and passes along western boundary of plot number 68, 69, 72 and meets at point 'B' on the common boundary of villages Parsapani-Daldal.
- B-C Line passes in village Daldal along western boundary of plot number 224, 227, 225, 226, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 236, 237, 242, 71, 72, 73, 76, 83, 84, 85, 86, 47 and meets at point 'C' on the common boundary of villages Bijuri-Daldal.
- C-D Line passes in village Daldal along northern boundary of plot number 47, 85, 82, 50, 49, 52, 53, 54, 57, 58, eastern boundary of plot number 59, 243, 242 and meets at point 'D'.
- D-E Line passes in village Daldal along eastern boundary of plot number 241, 240, 238, 229, 227, 228, 224 and meets at point 'E'.
- E-A Line passes in village Parsapani along eastern boundary of plot number 73, 74, 70, 68 and meets at starting point 'A'.

(File No. 43015/06/2011-PRIW-I)

नई दिल्ली, तारीख 26 अप्रैल, 2012

का. आ. फा. सं. 43015-21-2010-पी.आर.आई.डब्ल्यू.-I.—केन्द्रीय सरकार ने कोयला धारक क्षेत्र (अर्जन और विकास) अधिनियम, 1957 (1957 का 20) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 4 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार में कोयला मंत्रालय के द्वारा जारी की गई अधिसूचना संख्या का. आ. 1698, तारीख 20 जून 2011 जो भारत के राजपत्र के भाग II

खण्ड 3, उपखण्ड (ii), तारीख 25 जून 2011 में प्रकाशित की गई थी, उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट परिक्षेत्र की भूमि में जिसका माप 128.215 हेक्टर (लगभग) या 316.82 एकड़ (लगभग) है, कोयले का पूर्वेक्षण करने के अपने आशय की सूचना दी थी;

और केन्द्रीय सरकार को यह समाधान हो गया है कि उक्त भूमि में कोयला अभिप्राप्त है.

अतः, अब केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 7 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इससे संलग्न अनुसूची में वर्णित 128.215 हेक्टर (लगभग) या 316.82 एकड़ (लगभग) माप की उक्त भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की सूचना देती है:—

**टिप्पण—1:** इस अधिसूचना के अधीन आने वाले क्षेत्र के रेखांक संख्या एसईसीएल/बीएसपी/जीएम (पीएलजी)/भूमि/411 तारीख 27 अगस्त, 2011 का निरीक्षण कलेक्टर, जिला अनूपपुर (मध्यप्रदेश) के कार्यालय में या कोयला नियंत्रक, 1, काउंसिल हाउस स्ट्रीट, कोलकाता-700001 के कार्यालय में या साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (राजस्व अनुभाग), सीपत रोड, बिलासपुर-495006 (छत्तीसगढ़) के कार्यालय में किया जा सकता है.

**टिप्पण—2:** उक्त अधिनियम की धारा 8 के उपबंधों की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है, जिसमें निम्नलिखित उपबंध हैं:—

अर्जन के बाबत् आपत्तियाँ:—

“8(1)कोई व्यक्ति जो किसी भूमि में जिसकी बाबत् धारा 7(1) के अधीन अधिसूचना निकाली गई है, हितबद्ध है, अधिसूचना के निकाले जाने से तीस दिन के भीतर सम्पूर्ण भूमि या उसके किसी भाग या ऐसी भूमि में या उस पर के किन्हीं अधिकारों का अर्जन किए जाने के बारे में आपत्ति कर सकेगा.

**स्पष्टीकरण,—**

- (1) इस धारा के अन्तर्गत यह आपत्ति नहीं मानी जाएगी कि कोई व्यक्ति किसी भूमि में कोयला उत्पादन के लिए स्वयं खनन संक्रियाएं करना चाहता है और ऐसी संक्रियाएं केन्द्रीय सरकार या किसी अन्य व्यक्ति को नहीं करनी चाहिए.
- (2) उपधारा (1) के अधीन प्रत्येक आपत्ति सक्षम अधिकारी को लिखित रूप में की जाएगी और सक्षम अधिकारी, आपत्तिकर्ता को स्वयं सुने जाने, विधि व्यवसायी द्वारा सुनवाई का अवसर देगा और ऐसी सभी आपत्तियों को सुनने के पश्चात् और ऐसी अतिरिक्त जांच, यदि कोई हो, करने के पश्चात् जो वह आवश्यक समझता है, वह या तो धारा 7 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचित भूमि का या ऐसी भूमि में या उस पर के अधिकारों के संबंध में एक रिपोर्ट या ऐसी भूमि के विभिन्न टुकड़ों या ऐसी भूमि में या उस पर के अधिकारों के संबंध में आपत्तियों पर अपनी सिफारिशों और उसके द्वारा की गई कार्यवाही के अभिलेख सहित विभिन्न रिपोर्ट केन्द्रीय सरकार को उसके विनिश्चय के लिए देगा.
- (3) इस धारा के प्रयोजनों के लिए वह व्यक्ति किसी भूमि में हितबद्ध समझा जाएगा जो प्रतिकर में हित का दावा करने का हकदार होगा, यदि भूमि या किसी ऐसी भूमि में या उस पर के अधिकार इस अधिनियम के अधीन अर्जित कर लिए जाते हैं.”

**टिप्पण 3:** केन्द्रीय सरकार में कोयला नियंत्रक, 1, काउंसिल हाउस स्ट्रीट, कोलकाता-700001 को उक्त अधिनियम के अधीन भारत के राजपत्र भाग II खण्ड 3, उपखण्ड (ii), तारीख 4 अप्रैल 1987 में प्रकाशित अधिसूचना संख्या का. आ. 905, तारीख 20 मार्च, 1987 उक्त अधिनियम की धारा 3 के अधीन सक्षम प्राधिकारी नियुक्त किया है.

## अनुसूची

सीतलधारा-कुरजा भूमिगत खदान, हसदेव क्षेत्र,  
जिला अनूपपुर ( मध्यप्रदेश )

[रेखांक संख्या:—एसईसीएल/बीएसपी/जीएम(पीएलजी)/भूमि/411, तारीख 27 अगस्त, 2011]

भू-सतह अधिकार :

क्र. सं.	ग्राम का नाम	तहसील-कोतमा	जिला-अनूपपुर		
		पटवारी हल्का नम्बर	जनरल नम्बर	क्षेत्र (हेक्टर में)	टिप्पण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	परसापानी	20	586	81.700	भाग
2	नक्तीटोला	20	516	46.515	भाग
कुल :—128.215 हेक्टर (लगभग) या 316.82 एकड़ (लगभग).					

- ग्राम परसापानी (भाग) में अर्जित किए जाने वाले प्लॉट संख्या :—  
1 से 59 60 (भाग), 61 भाग, 65 (भाग), 66.
- ग्राम नक्तीटोला (भाग) में अर्जित किए जाने वाले प्लॉट संख्या :—  
1 से 3, 5 (भाग), 6 से 12, 14 (भाग), 24 (भाग) 25 (भाग), 26, 27, 28(भाग), 29, 31(भाग), 69(भाग), 70, 71 (भाग), 72, 73 (भाग), 74, 75(भाग).

सीमा वर्णन :—

- क-ख रेखा ग्राम नक्तीटोला -रेवंडा के सम्मिलित सीमा में बिन्दु “क” से आरंभ होती है और ग्राम नक्तीटोला-रेवंडा, नक्तीटोला-कोरजा, परसापानी-कोरजा के भागतः सम्मिलित सीमा से गुजरती हुई ग्राम परसापानी-कोरजा के सम्मिलित सीमा में बिन्दु “ख” पर मिलती है.
- ख-ग रेखा ग्राम परसापानी-दलदल के भागतः सम्मिलित सीमा से गुजरती हुई ग्राम परसापानी-दलदल के सम्मिलित सीमा में बिन्दु “ग” पर मिलती है.
- ग-घ रेखा ग्राम परसापानी के प्लॉट संख्या 61, 60, 63, 65 से होकर 65, 66 के पूर्वी सीमा से गुजरती हुई ग्राम परसापानी-नक्तीटोला के सम्मिलित सीमा में बिन्दु “घ” पर मिलती है.
- घ-क रेखा ग्राम नक्तीटोला के प्लॉट संख्या 71, 75, 73, 69, 31, 28, 24, 25, 5, 10 से होती हुई आरंभिक बिन्दु “क” पर मिलती है.

(फा. सं. 43015/21/2010-पीआरआईडब्ल्यू-1)

New Delhi, dated the 26th April 2012

S.O. F. No. 43015-21-2010-PRIW-I.—WHEREAS, by the notification of the Government of India in the Ministry of Coal number S.O. 1698, dated the 20th June, 2011 issued under sub-section (1) of Section 4 of the Coal Bearing Areas (Acquisition and Development) Act, 1957 (20 or 1957) (hereinafter referred to as the said

Act) and published in the Gazette of India, Part-II, Section 3, sub-section (ii), dated the 25th June 2011, the Central Government gave notice of its intention to prospect for coal in 128.215 hectares (approximately) or 316.82 acres (approximately) of the lands in the locality specified in the schedule annexed to that notification;

AND WHEREAS, the Central Government is satisfied that coal is obtainable in a part of the said lands prescribed in the Schedule (s) appended to this notification;

NOW THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 7 of the said Act, the Central Government hereby gives notice of its intention to acquire the land measuring 128.215 hectares (approximately) or 316.82 acres (approximately) as Surface Rights in or over the said lands described in the schedule appended hereto:—

**Note 1.**—The plan bearing number SECL/BSP/GM (PLG)/LAND/411, dated the 27th August, 2011 of the area covered by this notification may be inspected at the office of the Collector, Anuppur (Madhya Pradesh) or at the office of the Coal Controller, 1, Council House Street, Kolkata-700001 or at the office of the South Eastern Coalfields Limited (Revenue Section), Seepat Road Bilaspur, 495006 (Chhattisgarh).

**Note 2.**—Attention is here by invited to the provisions of Section 8 of the said Act which provide as follows :—

Objection to Acquisition :

“8(1) Any person interested in any land in respect of which a notification under-section 7(1) has been issued, may, within thirty days of the issues of the notification, object to the acquisition of the whole or any part of the land or any rights in or over such land.

**Explanation,—**

- (1) It shall not be an objection within the meaning of this Section for any person to say that he himself desires to undertake mining operation in the land for the production of coal and that such operation should not be undertaken by the Central Government or by any other person.
- (2) Every objection under sub-section (1) shall be made to the competent authority in writing and the competent authority shall give the objector an opportunity of being heard either in person or by a legal practitioner and shall, after hearing all such objections and after making such further inquiry, if any, as he thinks necessary, either makes a report in respect of the land which has been notified under sub-section (1) of Section 7 or of rights in or over such land, or make different reports in respect of different parcels of such land or of rights in or over such land, to the Central Government, containing his recommendations on the objections, together with the record of the proceedings held by him, for the decision of the Government.
- (3) For the purposes of this section, a person shall be deemed to be interested in land who would be entitled to claim an interest in compensation if the land or any rights in or over such land were acquired under this Act.”

**Note 3.**—The Coal Controller, 1, Council House Street, Kolkata, 700001, has been appointed by the Central Government as the competent authority under-section 3 of the said Act, *vide* notification number S.O. 905, dated the 20th March, 1987, published in part-II, Section 3, sub-section (ii) of the Gazette of India, dated the 4th April, 1987.

## SCHEDULE

Sheetaladhara-Kurja U/G Mine, Hasdeo Area  
District-Anuppur (Madhya Pradesh)

(Plan bearing number SECL/BSP/GM(PLG)/LAND/411, dated the 27th August, 2011)

Surface Rights :

## TAHSIL KOTMA DISTRICT ANUPPUR

S. No.	Name of Village	Patwari halka number	General number	Area (in hectares)	Ramarks
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
(1)	Parsapani	20	586	81.700	Part
(2)	Naktitola	20	516	46.515	Part

Total :—128.215 hectares (approximately) or 316.82 acres (approximately).

1. Plot numbers to be acquired in village Parsapani (Part):

1 to 59, 60(p), 61(P), 65(P), 66.

2. Plot numbers to be acquired in village Naktitola (Part):

1 to 3 5(P), 6 to 12, 14(P), 24(P), 25(P), 26, 27, 28(P), 29, 31(P), 69(P), 70, 71(P), 72, 73(P), 74, 75(P).

Boundary Description :—

- A-B Line starts from point 'A' on the common boundary of villages Naktitola-Rewanda and passes along partly common boundary of villages Naktitola-Rewanda, Kaktitola-Korja, Parsapani-Korja and meets at point 'B' on the common boundary of villages Parsapani-Korja.
- B-C Line passes along partly common boundary of villages Parsapani-Daldal and meets at point 'C' on the common boundary of villages Parsapani-Daldal.
- C-D Line passes in village Parsapani through plot number 61, 60, 63, 65 along eastern boundary of plot number 65, 66 and meets at point 'D' on the common boundary of villages Parsapani-Naktitola.
- D-A Line passes in village Naktitola through plot number 71, 75, 73, 69, 31, 28, 24, 25, 5, 10 and meets at starting point 'A'.

(F.N.43015-21-2010-PRIW-I)

ए. के. दास, अवर सचिव.

## विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 21 जून 2012

फा. क्र. 1-6-89-इक्कीस-ब(एक)-1805-12.—स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 (1985 का 61) की धारा 36 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति की सहमति से, एतद्द्वारा, इस विभाग की अधिसूचना फा. क्रमांक 1-6-89-इक्कीस-ब(1), दिनांक 3 अप्रैल 1998 में, जो मध्यप्रदेश राजपत्र

भाग-1 में दिनांक 17 अप्रैल 1998 को प्रकाशित हुई थी, निम्नलिखित और संशोधन करता है, अर्थात् :—

### संशोधन

उक्त अधिसूचना में, अनुसूची में, अनुक्रमांक 1 तथा 17 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियाँ स्थापित की जाएँ, अर्थात् :—

अनुक्रमांक (1)	न्यायाधीश का नाम तथा पदनाम (2)	विशेष न्यायालय (3)	स्थानीय क्षेत्र/सेशन खण्ड (4)
“1.	श्री पी. के. सिन्हा, अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, इन्दौर.	इन्दौर	इन्दौर
17.	श्री दीपक अग्रवाल, विशेष न्यायाधीश, अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989.	भिण्ड	भिण्ड.”

यह संशोधन उस तारीख से प्रवृत्त होगा जिसको कि इस अधिसूचना में यथाविनिर्दिष्ट न्यायाधीश उक्त न्यायालय में अपने पद का कार्यभार ग्रहण करें.

1-6-89-XXI-B(1)-1805-12.—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 36 of the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985 (No. 61 of 1985), the State Government, with the concurrence of the Chief Justice of the High Court of Madhya Pradesh, hereby, makes the following further amendments in this Department's Notification F. No. 1-6-89-XXI-B(1) dated 3<sup>rd</sup> April 1998, which was published in the Madhya Pradesh Gazette, Part-I dated 17<sup>th</sup> April 1998, namely:—

### AMENDMENTS

In the said notification, in the Schedule, for serial numbers 1 and 17 and entries relating thereto, the following serial numbers and entries relating thereto shall be substituted, namely :—

S. No.	Name and Designation of the Judge	Special Court	Local area/Session division
(1)	(2)	(3)	(4)
“1.	Shri P. K. Sinha, Additional Sessions Judge, Indore.	Indore	Indore
17.	Shri Deepak Agrawal, Special Judge, Scheduled Caste and Scheduled Tribe (Prevention of Atrocities) Act, 1989	Bhind	Bhind.”

This amendment shall come into force from the date on which the Judge as specified in this notification assumes the charge of his office in the said Court.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
के. डी. खान, प्रमुख सचिव.

महिला एवं बाल विकास विभाग  
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 21 जून 2012

क्र. 1421-2282-11-पचास-2.—किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2000 की धारा 4 की उपधारा (1) तथा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, राज्य सरकार, एतद्वारा नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम (2) में यथाविनिर्दिष्ट निम्नलिखित किशोर न्याय बोर्ड का गठन, कॉलम (3) में यथाविनिर्दिष्ट जिले के लिये करती है और उक्त अधिनियम के अधीन ऐसे बोर्ड

को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने तथा कर्तव्यों का निर्वहन करने के प्रयोजनों के लिए उसके (अनुसूची के) क्रमशः (4) में यथाविनिर्दिष्ट सामाजिक कार्यकर्ताओं को नियुक्त करती है अर्थात् :—

### अनुसूची

सरल क्रमांक (1)	किशोर न्याय बोर्ड और उसका मुख्यालय (2)	जिलों के नाम (3)	सामाजिक कार्यकर्ताओं के नाम (4)
1	इन्दौर	इन्दौर	1. श्री ठाकुर प्रवीण सिंह पवार 2. श्रीमती कल्पना देशपाण्डे

No. 1421-2282-11-L-2.—In exercise of the power conferred by sub-section (1) and (2) of Section-4 of the Juvenile Justice (Care & Protection of Children) Act 2000, the State Government hereby Constitute the following Juvenile Justice Boards as specified in the column (2) of the schedule below, for the District as specified in column (3) and appoints Social Workers as specified in the column (4) respectively thereof for the purpose of exercising of the powers and discharging the duties conferred on such boards under the said Act, namely :—

### SCHEDULE

S. No. (1)	Name of the Juvenile Justice Board & its Head Quarter (2)	Jurisdiction (Revenue District) (3)	Name of the Honorary Social Workers (4)
1	Indore	Indore	1. Shri. Thakur Praveen Singh Pawar 2. Smt. Kalpana Deshpandey

क्र. 1421-2282-पचास-2.—किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2000 की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, राज्य सरकार, एतद्वारा (क) नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट बाल कल्याण समिति का, उसके (अनुसूची के) कॉलम (3) में की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट क्षेत्र के लिये गठन करती है, और (ख) उसके (अनुसूची के) कॉलम (4) में की तत्स्थानी प्रविष्टि में वर्णित व्यक्तियों को नियुक्त करती है :—

### अनुसूची

अ. क्र. (1)	बाल कल्याण समिति के मुख्यालय का जिला (2)	अधिकारिता के अंतर्गत आने वाले (राजस्व-जिले) (3)	अवैतनिक सामाजिक कार्यकर्ताओं के नाम (4)
1	इन्दौर	इन्दौर	1. श्रीमती साधना परांजपे अध्यक्ष 2. श्रीमती सीमा जोशी सदस्य 3. श्रीमती सुधा जैन सदस्य 4. श्रीमती शबाना पारेख सदस्य

No. 1421-2282-12-L-2.—In exercise of the power conferred by sub-section (1) and (2) of the Section-29 of the Juvenile Justice (Care & Protection of Children) Act 2000, the State Government hereby constitute the following Child Welfare Committee as specified in column (2) of the schedule below, for the District as specified in the column (3) and appoints Social Workers as specified in column (4) respectively thereof for the purposes of exercising of the powers and discharging the duties conferred on such committees under the said Act, namely :—

### SCHEDULE

S. No. (1)	Name of the Child Welfare Committees & its District Head Quarter (2)	Jurisdiction (Revenue District) (3)	Name of the Honorary Social Workers (4)
1	Indore	Indore	1. Smt. Sadhana Paranjape -Chair Person 2. Smt. Seema Joshi - Member 3. Smt. Sudha Jain - Member 4. Smt. Shabana Pareikh - Member

क्र. 1422-943-12-पचास-2.—किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2000 की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, राज्य सरकार, एतद्वारा नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट बाल कल्याण समिति का, उसके (अनुसूची के) कॉलम (3) में की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट क्षेत्र के लिये गठन करती है और उक्त अधिनियम के अधीन ऐसी समिति

को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने तथा कर्तव्यों का निर्वहन करने के प्रयोजनों के लिये, उसके (अनुसूची के) क्रमशः (4) में यथाविनिर्दिष्ट सामाजिक कार्यकर्ताओं को नियुक्त करती है अर्थात् :—

#### अनुसूची

अ.क्र.	बाल कल्याण समिति के मुख्यालय का जिला	अधिकारिता के अंतर्गत आने वाले (राजस्व-जिले)	अवैतनिक सामाजिक कार्यकर्ताओं के नाम
(1)	(2)	(3)	(4)
1	मुरैना	मुरैना	1. श्री दिलीप शर्मा 2. श्री दिनेश कुमार कुलश्रेष्ठ 3. श्री विनोद कुमार मंगल 4. श्रीमती चंदना तोमर 5. श्रीमती सुनीता अग्रवाल

No. 1422-943-12-L-2.—In exercise of the power conferred by sub-section (1) and (2) of the Section-29 of the Juvenile Justice (Care & Protection of Children) Act, 2000, the State Government hereby constitute the following Child Welfare Committee as specified in column (2) of the schedule below, for the District as specified in the column (3) and appoints Social Workers as specified in column (4) respectively thereof for the purposes of exercising the powers and discharging the duties conferred on such committees under the said Act, namely :—

#### SCHEDULE

S. No.	Name of the Child Welfare Committees & its District Head Quarter	Jurisdiction (Revenue District)	Name of the Honorary Social Workers
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Morena	Morena	1. Shri. Dilip Sharma -Chair Person 2. Shri. Dinesh Kumar - Member Kulshrestha. 3. Shri. Vinod Kumar Mangal - Member 4. Smt. Vandana Tomar - Member 5. Smt. Sunita Agrawal - Member

क्र. 1422-943-12-पचास-2.—किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2000 की धारा 4 की उपधारा (1) तथा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, राज्य सरकार, एतद्वारा नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम (2) में यथाविनिर्दिष्ट निम्नलिखित किशोर न्याय बोर्ड का गठन, कॉलम (3) में यथाविनिर्दिष्ट क्षेत्र के लिये करती है और उक्त अधिनियम के अधीन ऐसे बोर्ड को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने तथा कर्तव्यों का निर्वहन करने के प्रयोजनों के लिये, उसकी (अनुसूची के) क्रमशः (4) में यथाविनिर्दिष्ट सामाजिक कार्यकर्ताओं को नियुक्त करती है अर्थात् :—

#### अनुसूची

क्र.	किशोर न्याय बोर्ड और उसका मुख्यालय	जिलों के नाम	सामाजिक कार्यकर्ताओं के नाम
(1)	(2)	(3)	(4)
1	मुरैना	मुरैना	1. श्री अनार सिंह जादोन 2. श्रीमती पूजा सेठी

No. 1422-943-12-L-2.—In exercise of the power conferred by sub-section (1) and (2) of Section-4 of the Juvenile Justice (Care & Protection of Children) Act, 2000, the State Government hereby constitute the following Juvenile Justice Board as specified in the column (2) of the schedule below, for the District as specified in column (3) and appoints Social Workers as specified in the column (4) respectively thereof for the purpose of exercising of the powers and discharging the duties conferred on such board under the said Act, namely :—

#### SCHEDULE

S.L.	Name of the Juvenile Justice Board & its Head Quarter	Jurisdiction (Revenue District)	Name of the Honorary Social Workers
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Morena	Morena	1. Shri Anar Singh Jadaun 2. Smt. Pooja Sethi

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
रजनी उड़के, अपर सचिव.



## विभाग प्रमुखों के आदेश

### मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग

“निर्वाचन भवन”

58, अरेरा हिल्स, भोपाल, मध्यप्रदेश 462011

आदेश

भोपाल, दिनांक 15 जून 2012

क्र. एफ. 67-191-10-तीन-993.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-क के अनुसार अध्यक्ष के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने, नामनिर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिये प्राधिकृत किया हो, पृथक् और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा। मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ख के अनुसार अध्यक्ष का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा।

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी “निर्वाचन व्यय (लेखा संधारण और प्रस्तुति) आदेश, 1997” “मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)”, दिनांक 6 जून 1997 में प्रकाशित हुआ है। उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा।

माह दिसम्बर, 2009 में सम्पन्न हुए नगर पंचायत अजयगढ़ जिला पन्ना के आम निर्वाचन में श्री यादवेन्द्र सिंह अध्यक्ष पद के अभ्यर्थी थे। नगर पंचायत अजयगढ़, जिला पन्ना के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 17 दिसम्बर, 2009 को घोषित हुआ। मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ख के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात् 16 जनवरी 2010 तक, किन्तु 16 जनवरी 2010 एवं 17 जनवरी 2010 का सार्वजनिक अवकाश होने के कारण 18 जनवरी 2010 तक इन्होंने अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी, पन्ना के पास दाखिल किया जाना था, किन्तु कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, पन्ना के पत्र क्र. 704/स्था. निर्वा./10, दिनांक 23 अप्रैल, 2010 के द्वारा प्राप्त जानकारी अनुसार श्री यादवेन्द्र सिंह द्वारा 94 (चौरानवे) दिन विलंब से निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल न किया गया।

विहित समयावधि में निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत न करने का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर श्री यादवेन्द्र सिंह को कारण बताओ नोटिस दिनांक 28 मई, 2010 जारी किया गया। नोटिस की तामीलशुदा प्रति उप जिला निर्वाचन अधिकारी, पन्ना के पत्र दिनांक 19 दिसम्बर 2011 के संलग्न प्राप्त हुई। नोटिस की तामीली उनके पुत्र पर की गई। कारण बताओ नोटिस में अभ्यर्थी से जवाब (लिखित अभ्यावेदन) इस कारण बताओ सूचना के प्राप्त होने के 15 दिन के अन्दर चाहा गया था। नोटिस में सभी वैधानिक स्थिति बताते हुए यह भी अंकित किया गया था कि 15 दिन के अन्दर उत्तर प्राप्त न होने की स्थिति में यह माना जाकर कि उन्हें इस संबंध में कुछ नहीं कहना है, उनके विरुद्ध एक पक्षीय आदेश पारित कर दिया जायेगा।

श्री यादवेन्द्र सिंह को नोटिस दिनांक 19 दिसम्बर, 2011 को तामील कराया गया। अतः उनको दिनांक 3 जनवरी, 2010 तक अभ्यावेदन प्रस्तुत करना था। किन्तु अभ्यर्थी ने अभ्यावेदन प्रस्तुत नहीं किया। कलेक्टर पन्ना ने अपने पत्र दिनांक 27 दिसम्बर, 2011 में लेख किया कि अभ्यर्थी को जारी कारण बताओ नोटिस की तामीली के पश्चात् श्री यादवेन्द्र सिंह द्वारा अभ्यावेदन आदि प्रस्तुत नहीं किये गये हैं। आयोग द्वारा विचारोपरांत दिनांक 23 फरवरी, 2012 को अभ्यर्थी को निर्वाचन व्यय लेखों से संबंधित समस्त दस्तावेज लेकर माननीय राज्य निर्वाचन आयुक्त के समक्ष में दिनांक 4 अप्रैल 2012 को उपस्थित होने हेतु पत्र लिखा गया, किन्तु अभ्यर्थी उपस्थित नहीं हुए।

उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि अभ्यर्थी द्वारा नियत समयावधि में निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया एवं पक्ष समर्थन में कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए हैं। अतः आयोग का यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखा निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत करने में असफल रहने का कोई पर्याप्त एवं न्यायोचित कारण नहीं है।

अतः, मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ग के उपबन्धों के अन्तर्गत श्री यादवेन्द्र सिंह को इस प्रकार चुने जाने के लिये तथा नगर पंचायत अजयगढ़, जिला पन्ना का पार्षद या अध्यक्ष होने के लिये इस आदेश की तारीख से 05 वर्ष (पांच वर्ष) की कालावधि के लिये निरर्हित (अयोग्य) घोषित किया जाता है।

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार,

हस्ता./-

(सुभाष जैन)

सचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

## आदेश

भोपाल, दिनांक 15 जून 2012

क्र. एफ. 67-192-10-तीन-997.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-क के अनुसार अध्यक्ष के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अधिकर्ता ने, नामनिर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिये प्राधिकृत किया हो, पृथक् और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अधिकर्ता द्वारा रखवाएगा. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ख के अनुसार अध्यक्ष का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा.

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी “निर्वाचन व्यय (लेखा संधारण और प्रस्तुति) आदेश, 1997” “मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)”, दिनांक 6 जून 1997 में प्रकाशित हुआ है. उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा.

माह दिसम्बर, 2009 में सम्पन्न हुए नगर पंचायत देवेन्द्रनगर, जिला पन्ना के आम निर्वाचन में श्री सुशील कुमार जैन अध्यक्ष पद के अभ्यर्थी थे. नगर पंचायत देवेन्द्रनगर, जिला पन्ना के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 15 दिसम्बर, 2009 को घोषित हुआ. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ख के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात् 14 जनवरी 2010 तक, इन्हें अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी, पन्ना के पास दाखिल किया जाना था, किन्तु कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, पन्ना के पत्र क्र. 701/स्था. निर्वा./10, दिनांक 21 अप्रैल, 2010 के द्वारा प्राप्त जानकारी अनुसार श्री सुशील कुमार जैन द्वारा विहित समय में निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल नहीं किया गया.

विहित समयावधि में निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत न करने का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर श्री सुशील कुमार जैन को कारण बताओ नोटिस दिनांक 12 मई, 2010 जारी किया गया. कलेक्टर, पन्ना ने पत्र दिनांक 30 सितम्बर 2011 में कारण बताओ नोटिस उपलब्ध नहीं होने के कारण नोटिसों की द्वितीय प्रतियां चाहीं. अतः आयोग ने दिनांक 21 अक्टूबर 2011 को पुनः कारण बताओ नोटिस जारी कर कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, पन्ना के माध्यम से दिनांक 10 नवम्बर, 2011 को तामील कराया गया. कारण बताओ नोटिस में अभ्यर्थी से जवाब (लिखित अभ्यावेदन) इस कारण

बताओ सूचना के प्राप्त होने के 15 दिन के अन्दर चाहा गया था. नोटिस में सभी वैधानिक स्थिति बताते हुए यह भी अंकित किया गया था कि 15 दिन के अन्दर उत्तर प्राप्त न होने की स्थिति में यह माना जाकर कि उन्हें इस संबंध में कुछ नहीं कहना है, उनके विरुद्ध एक पक्षीय आदेश पारित कर दिया जायेगा.

श्री सुशील कुमार जैन को नोटिस दिनांक 10 नवम्बर 2011 को तामील कराया गया. अतः उनको दिनांक 25 नवम्बर, 2011 तक अभ्यावेदन प्रस्तुत करना था. तामिली पश्चात् की जानकारी चाहे जाने पर कलेक्टर, पन्ना ने अपने पत्र दिनांक 16 मार्च, 2012 में लेख किया कि “अभ्यर्थी श्री सुशील कुमार जैन द्वारा नोटिस की तामिली उपरांत अपना निर्वाचन व्यय लेखा/अभ्यावेदन इस कार्यालय में प्रस्तुत नहीं किया गया है.” आयोग द्वारा विचारोपरांत दिनांक 01 मई, 2012 को अभ्यर्थी को निर्वाचन व्यय लेखों से संबंधित समस्त दस्तावेज लेकर माननीय राज्य निर्वाचन आयुक्त के समक्ष में दिनांक 30 मई, 2012 को उपस्थित होने हेतु पत्र लिखा गया, किन्तु अभ्यर्थी उपस्थित नहीं हुए.

उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि अभ्यर्थी द्वारा नियत समयावधि में निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया एवं पक्ष समर्थन में कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए हैं. अतः आयोग का यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखा निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत करने में असफल रहने का कोई पर्याप्त एवं न्यायोचित कारण नहीं है.

अतः, मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ग के उपबन्धों के अन्तर्गत श्री सुशील कुमार जैन को इस प्रकार चुने जाने के लिये तथा नगर पंचायत देवेन्द्रनगर, जिला पन्ना का पार्षद या अध्यक्ष होने के लिये इस आदेश की तारीख से 05 वर्ष (पांच वर्ष) की कालावधि के लिये निरहिंत (अयोग्य) घोषित किया जाता है.

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार,

हस्ता./-

(सुभाष जैन)

सचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

कार्यालय, कुलाधिपति देवी अहिल्या

विश्वविद्यालय, इन्दौर, मध्यप्रदेश

राजभवन, भोपाल, दिनांक 18 जून 2012

आदेश

क्र. एफ-1-3-2011-रास-यूए-1-892.—मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (क्रमांक 22 सन् 1973) की धारा-13 की उपधारा (1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं, राम नरेश यादव, कुलाधिपति, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इन्दौर एतद्द्वारा, प्रो. डी. पी. सिंह, प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष, एच. एस. ई., डिवीजन,

पी. एस. एस., सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ वोकेशनल एजुकेशन, एन. सी. ई. आर. टी., भोपाल को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से चार वर्ष की कालावधि के लिये देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इन्दौर का कुलपति नियुक्त करता हूँ.

2. इनकी सेवा शर्तें एवं निबंधन विश्वविद्यालय के परिनियम-1 के अनुसार शासित होंगी.

राम नरेश यादव, कुलाधिपति.

आर. सी. वी. पी. नरोन्हा प्रशासन अकादमी

मध्यप्रदेश, भोपाल

(विभागीय परीक्षा प्रकोष्ठ)

भोपाल, दिनांक 9 जून 2012

क्र. 4431-अका-विपप्र-2012.— राज्य शासन द्वारा सामान्य प्रशासन एवं राजस्व विभाग के अधिकारियों के लिये विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 13 अप्रैल 2012 को प्रश्न-पत्र पंचोत्त राज विधि तथा प्रक्रिया (पुस्तकों सहित) विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :-

अनुक्रमांक	परीक्षार्थी का नाम	पदनाम
(1)	(2)	(3)

#### उच्चस्तर

##### होशंगाबाद संभाग

1	कु. कंचन डोगरे	मुख्य कार्यपालन अधिकारी
2	श्री जितेन्द्र कुमार जैन	विकासखण्ड अधिकारी
3	श्री अभिषेक गुप्ता	सहायक अधीक्षक, भू-अभिलेख
4	श्री देवशंकर धुर्वे	सहायक अधीक्षक, भू-अभिलेख

##### सागर संभाग

5	श्री राहुल पाण्डे	विकासखण्ड अधिकारी
6	श्री श्रीपत अहिरवार	राजस्व निरीक्षक
7	श्री घनश्याम प्रसाद चौधरी	सहायक अधीक्षक, भू-अभिलेख (सश्रेय)
8	डॉ. अनिल कुमार गुप्ता	सहायक अधीक्षक, भू-अभिलेख
9	डॉ. राकेश कुमार अहिरवार	सहायक अधीक्षक, भू-अभिलेख

##### भोपाल संभाग

10	श्री शनिपाल शाह परतेती	राजस्व निरीक्षक
11	श्री राजेन्द्र सिंह	राजस्व निरीक्षक
12	श्री मोतीलाल पंथी	राजस्व निरीक्षक
13	श्री दर्शनलाल नेगी	राजस्व निरीक्षक

(1)	(2)	(3)
14	श्री धनीराम अहिरवार	राजस्व निरीक्षक
15	श्री विक्रम सिंह खटीक	राजस्व निरीक्षक
16	श्री शिवराम चढ़ार	राजस्व निरीक्षक (सश्रेय)
17	श्री रतिराम अहिरवार	राजस्व निरीक्षक
18	श्री रज्जूलाल अहिरवार	राजस्व निरीक्षक (सश्रेय)
19	श्री विजय सिंह सराठिया	सहायक अधीक्षक, भू-अभिलेख (सश्रेय)

#### जबलपुर संभाग

20	श्री तेजीराम उईके	राजस्व निरीक्षक
21	श्री लोकमन कोरी	राजस्व निरीक्षक
22	कु. निधि मार्को	सहायक अधीक्षक, भू-अभिलेख
23	श्री हीरालाल तिवारी	सहायक अधीक्षक, भू-अभिलेख
24	श्रीमती मर्यादा बागड़े	सहायक अधीक्षक, भू-अभिलेख (सश्रेय)
25	श्री रामलोचन तिवारी	राजस्व निरीक्षक
26	श्री दुर्गा पटेल	सहायक अधीक्षक, भू-अभिलेख
27	श्री रजन सिंह कुरवेंती	राजस्व निरीक्षक
28	श्री मनीराम आमों	राजस्व निरीक्षक
29	श्री चन्द्रभान सिंह परस्ते	राजस्व निरीक्षक
30	श्री राम प्रसाद मार्को	राजस्व निरीक्षक
31	श्री अरूण कुमार चौरसिया	राजस्व निरीक्षक
32	श्री शिव प्रसाद कौरि	राजस्व निरीक्षक (सश्रेय)

#### ग्वालियर संभाग

33	श्री घनश्याम शर्मा	राजस्व निरीक्षक
34	श्री प्रज्ञेश पचौरी	सहायक अधीक्षक, भू-अभिलेख
35	श्री ए. के. सिंह	राजस्व निरीक्षक
36	श्री अशोक कुमार गौतम	राजस्व निरीक्षक
37	श्रीमती काजल दीक्षित	सहायक अधीक्षक, भू-अभिलेख
38	श्री नरेश कुमार रायपुरिया	राजस्व निरीक्षक
39	श्री श्याम सुंदर सिंह सराठिया	राजस्व निरीक्षक
40	श्री भगवती शरण शिल्पकार	राजस्व निरीक्षक
41	श्री पंकज दरोठिया	विकासखण्ड अधिकारी

#### उज्जैन संभाग

42	श्री लोकेश आहुजा	सहायक अधीक्षक, भू-अभिलेख
43	श्री विवेक कुमार शर्मा	सहायक अधीक्षक, भू-अभिलेख (सश्रेय)
44	श्री गौरव यादव	विकासखण्ड अधिकारी (सश्रेय)

#### शहडोल संभाग

45	श्री प्रेमलाल चौधरी	राजस्व निरीक्षक
46	श्री संतोष कुमार चौधरी	राजस्व निरीक्षक
47	श्री द्वारका प्रसाद दहायत	राजस्व निरीक्षक

(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)
<b>इन्दौर संभाग</b>			26	श्री श्यामसिंह तारे	राजस्व निरीक्षक
48	सुश्री श्वेता जमरा	सहायक अधीक्षक, भू-अभिलेख	27	श्रीमती प्रभावति तेकाम	मुख्य कार्यपालन अधिकारी
49	श्री आर. सी. मण्डलोई	अधीक्षक, आयुक्त कार्यालय,	28	श्रीमती ममता मिश्रा	विकासखण्ड अधिकारी
50	श्रीमती वंदना शिंदे	सहायक अधीक्षक, भू-अभिलेख (सश्रेय)	<b>जबलपुर संभाग</b>		
51	कु. रेशम गवली	सहायक अधीक्षक, भू-अभिलेख (सश्रेय)	29	श्री देवेन्द्र सिंह नेताम	राजस्व निरीक्षक
52	श्री पवन कुमार वास्कले	सहायक अधीक्षक, भू-अभिलेख (सश्रेय)	30	श्री राजाराम दीक्षित	राजस्व निरीक्षक
53	श्री रमेशचन्द्र चौहान	राजस्व निरीक्षक	31	श्री चन्द्रभान दीवान	राजस्व निरीक्षक
<b>निम्नस्तर</b>			32	श्री अवधेश कुमार पटेल	राजस्व निरीक्षक
<b>होशंगाबाद संभाग</b>			33	श्री ज्ञानचन्द्र राय	राजस्व निरीक्षक
1	श्री यजुवेन्द्र कोरी	मुख्य कार्यपालन अधिकारी	34	श्री राजकुमार श्रीपाल	राजस्व निरीक्षक
2	श्रीमती सरिता धुर्वे	सहायक अधीक्षक, भू-अभिलेख	35	श्री आलोक कुमार सोनी	राजस्व निरीक्षक
3	कु. ज्योती ढोके	सहायक अधीक्षक, भू-अभिलेख	36	श्रीमती मंजूला महोलिया	राजस्व निरीक्षक
4	श्री तीरथ प्रसाद इरपाची	राजस्व निरीक्षक	37	श्री राजकुमार नामदेव	राजस्व निरीक्षक
<b>सागर संभाग</b>			38	कु. स्मृति खण्डेलवाल	सहायक अधीक्षक, भू-अभिलेख
5	श्रीमती वर्षा शर्मा	सहायक अधीक्षक, भू-अभिलेख	39	श्री संतोष कुमार श्रीवास्तव	राजस्व निरीक्षक
6	श्री राजेश मेहरा	राजस्व निरीक्षक	40	श्री राजूलाल नामदेव	राजस्व निरीक्षक
7	श्री प्रीतम सिंह	राजस्व निरीक्षक	41	श्री राजकुमार उईके	राजस्व निरीक्षक
8	श्री रज्जन सिंह गौड़	राजस्व निरीक्षक	42	श्री आर. के. कटारया	राजस्व निरीक्षक
9	श्री प्रेम प्रकाश गोस्वामी	राजस्व निरीक्षक	43	श्री इन्द्रजीत सिंह	राजस्व निरीक्षक
10	श्री प्रभुदयाल गुप्ता	राजस्व निरीक्षक	44	श्री गणेश प्रसाद सिंगौरे	राजस्व निरीक्षक
11	श्री आदित्य कुमार सोनकिया	राजस्व निरीक्षक	45	श्री देवेन्द्र प्रसाद सिंगौरे	राजस्व निरीक्षक
12	श्री सुरेश चन्द्र अवस्थी	राजस्व निरीक्षक	46	श्री अनिल कुमार मिश्रा	राजस्व निरीक्षक
<b>भोपाल संभाग</b>			47	श्री राम कैलाश कौल	राजस्व निरीक्षक
13	श्री योगेश्वर सिंह भारतीय	राजस्व निरीक्षक	48	श्री राजेश कुमार दुबे	राजस्व निरीक्षक
14	श्री गोविन्द सिंह यादव	राजस्व निरीक्षक	49	श्री रमेश कुमार मेरावी	राजस्व निरीक्षक
15	श्री थानसिंह गौड़	राजस्व निरीक्षक	50	श्री सुन्दरलाल धुर्वे	राजस्व निरीक्षक
16	श्री संतोष पथौरिया	राजस्व निरीक्षक	51	श्री अमृतलाल धुर्वे	राजस्व निरीक्षक
17	श्री शंकर सिंह ठाकुर	राजस्व निरीक्षक	52	श्रीमती मंजूषा शर्मा	सहायक अधीक्षक, भू-अभिलेख
18	श्री शिबूसिंह कसोरमा	राजस्व निरीक्षक	53	श्री राजेन्द्र कुमार श्रीवास्तव	राजस्व निरीक्षक
19	श्रीमती इन्दु गौड़	राजस्व निरीक्षक	54	श्री केशरीचंद बघेल	राजस्व निरीक्षक
20	श्री उमाशंकर विश्वकर्मा	राजस्व निरीक्षक	55	श्री कल्याण सिंह क्षत्रीय	राजस्व निरीक्षक
21	श्री मिश्रीलाल अग्रवाल	राजस्व निरीक्षक	56	श्री भागचंद सनोडिया	राजस्व निरीक्षक
22	श्री सत्यप्रकाश शर्मा	राजस्व निरीक्षक	57	श्री मंगलसिंह मार्को	सहायक अधीक्षक, भू-अभिलेख
23	श्री कोमल सिंह चढार	राजस्व निरीक्षक	58	श्री राजेश तिवारी	राजस्व निरीक्षक
24	श्री रणधीर सिंह मीणा	राजस्व निरीक्षक	59	श्री जयसिंह धुर्वे	राजस्व निरीक्षक
25	श्री शरीफ अहमद	राजस्व निरीक्षक	60	श्री धर्मराज तुरकर	राजस्व निरीक्षक
			61	श्री लालमणि पाण्डे	राजस्व निरीक्षक
			62	श्री शेलेश गोड	राजस्व निरीक्षक
			63	श्री रेवाराम झारिया	राजस्व निरीक्षक
			64	श्री रायसिंह कुशवाह	राजस्व निरीक्षक
			65	श्री दामोदर प्रसाद दुबे	राजस्व निरीक्षक
			66	श्री जगीश प्रसाद सिंगौर	राजस्व निरीक्षक

(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)
67	श्री नारायण प्रसाद कुशवाह	राजस्व निरीक्षक	<b>उज्जैन संभाग</b>		
68	श्री योगेश कुमार शुक्ला	राजस्व निरीक्षक	106	श्रीमती प्रीति राजपूत	सहायक अधीक्षक, भू-अभिलेख
69	श्री रतन सिंह धुर्वे	राजस्व निरीक्षक	107	श्री अजय सरावगी	राजस्व निरीक्षक
70	श्री लखन लाल लोधी	राजस्व निरीक्षक	108	श्री जगत सिंह ठाकुर	राजस्व निरीक्षक
<b>ग्वालियर संभाग</b>			109	सुश्री रूचि जैन	विकासखण्ड अधिकारी
71	श्री चन्द्रभान सिंह तोमर	राजस्व निरीक्षक	110	सुश्री प्रियंका टैगौर	मुख्य कार्यपालन अधिकारी
72	श्री प्रदीप नारायण सिंह	राजस्व निरीक्षक	111	कु. श्रुति चौधरी	विकासखण्ड अधिकारी
73	श्री भूदेव सिंह महोबिया	राजस्व निरीक्षक	112	श्री रूपसिंह राजपूत	
74	श्रीमती नीलम जैन	सहायक अधीक्षक, भू-अभिलेख	<b>शहडोल संभाग</b>		
75	श्री पंकज शर्मा	राजस्व निरीक्षक	113	श्री रामाधर अहिरवार	राजस्व निरीक्षक
76	श्री राजेश वत्स	राजस्व निरीक्षक	114	श्री लक्ष्मीकान्त शर्मा	राजस्व निरीक्षक
77	श्री निरंजन सिंह राजपूत	सहायक अधीक्षक, भू-अभिलेख	115	श्रीमती विमला सिंह	राजस्व निरीक्षक
78	श्री मदन मोहन शर्मा	सहायक अधीक्षक, भू-अभिलेख	116	श्री शिव कुमार सिंह	राजस्व निरीक्षक
79	श्री संजय सौरसिया	सहायक अधीक्षक, भू-अभिलेख	117	श्री उमेश्वर पैकरा	राजस्व निरीक्षक
80	श्री बलराम दोहरे	राजस्व निरीक्षक	118	श्री दिलीप सिंह	राजस्व निरीक्षक
81	श्री रामनारायण सिंह	राजस्व निरीक्षक	119	श्री उपेन्द्र कुमार द्विवेदी	राजस्व निरीक्षक
82	श्री अशोक कुमार श्रीवास्तव	राजस्व निरीक्षक	120	श्री मोहन लाल वर्मा	राजस्व निरीक्षक
83	श्री शैलेन्द्र देव सिंह सेंगा	राजस्व निरीक्षक	121	श्री संदीप कुमार बघेल	सहायक अधीक्षक, भू-अभिलेख
84	श्री अनिल सिंह भदौरिया	राजस्व निरीक्षक	122	श्री विनोद सिंह	राजस्व निरीक्षक
85	श्री सुरेश यादव	राजस्व निरीक्षक	<b>इन्दौर संभाग</b>		
86	श्री विनोद सिंह तोमर	राजस्व निरीक्षक	123	श्री बाबूसिंह निनामा	राजस्व निरीक्षक
87	श्री दिलिप दरोगा	राजस्व निरीक्षक	124	श्री राधेश्याम धाकड़	राजस्व निरीक्षक
88	श्री राजेन्द्र श्रीवास्तव	राजस्व निरीक्षक	125	श्री मुकेश मालवीय	राजस्व निरीक्षक
89	श्री बालाप्रसाद शर्मा	राजस्व निरीक्षक	126	श्री हरिबाबू श्रीवास्तव	नायब तहसीलदार
90	श्री अशोक भारती	राजस्व निरीक्षक	127	श्री पुनिया परमार	राजस्व निरीक्षक
91	श्री दिनेश कुमार व्यास	राजस्व निरीक्षक	128	श्री आदर्श शर्मा	नायब तहसीलदार
92	श्री हरिश्चन्द्र माहौर	राजस्व निरीक्षक	129	श्री नीरज कुमार बैस	राजस्व निरीक्षक
93	श्री लालसिंह राजपूत	राजस्व निरीक्षक	130	श्री सुधीर शर्मा	राजस्व निरीक्षक
94	श्री रामप्रसाद बरेलिया	राजस्व निरीक्षक	131	श्री पूनम सिंह बघेल	राजस्व निरीक्षक
95	श्री राजेश कुमार वर्मा	राजस्व निरीक्षक	132	श्री नामदेव नैय्यर	राजस्व निरीक्षक
96	श्री मोहम्मद रज्जाक खान	राजस्व निरीक्षक	133	श्री भीमराव वानखेडे	राजस्व निरीक्षक
97	श्री राम प्रकाश कनेरिया	राजस्व निरीक्षक	134	श्री कैलाश सिसौदिया	राजस्व निरीक्षक
98	श्री हरिओम सिंह गुर्जर	राजस्व निरीक्षक	135	श्री विजय महाजन	राजस्व निरीक्षक
99	श्री प्रदीप कुमार वर्मा	राजस्व निरीक्षक	136	श्री संतोष परमार	राजस्व निरीक्षक
100	श्री विश्राम सिंह बघेल	राजस्व निरीक्षक	137	श्री नरेश बिलवकर	राजस्व निरीक्षक
101	श्री रामेश्वर सिंह आर्य	राजस्व निरीक्षक	138	श्री कमलेश पाराशर	राजस्व निरीक्षक
102	श्री शशिकान्त गुप्ता	राजस्व निरीक्षक	139	श्री श्रीकान्त सारोलकर	राजस्व निरीक्षक
103	श्री अलोईस लकड़ा	अधीक्षक,	140	श्री ओमप्रकाश चतुर्वेदी	राजस्व निरीक्षक
104	श्री लोकेश कुमार नालौरै	विकासखण्ड अधिकारी	141	श्री प्रदीप सिंगलू	राजस्व निरीक्षक
105	श्री मनीष बागरी	मुख्य कार्यपालन अधिकारी	142	श्री महेन्द्र कुमार बड़ोले	राजस्व निरीक्षक

भोपाल, दिनांक 11 जून 2012

विभागीय परीक्षा की सूचना तथा कार्यक्रम

प्रदेश के सभी अधिकारी/कर्मचारियों जिनकी विभागीय परीक्षाएँ उनके विभागों द्वारा निर्धारित की गई हो, के लिए विभागीय परीक्षाएँ दिनांक 6 अगस्त 2012 से आयुक्त, जबलपुर, रीवा, भोपाल, सागर, ग्वालियर, उज्जैन, इंदौर, नर्मदापुरम एवं शहडोल द्वारा निर्धारित स्थानों में निम्नांकित कार्यक्रम के अनुसार होंगी:—

प्र. पत्र (1)	प्रश्न-पत्र का विषय (2)	समय (3)
------------------	----------------------------	------------

सोमवार दिनांक 6 अगस्त 2012

1	पहला प्रश्नपत्र-दांडिक विधि तथा प्रक्रिया (पुस्तकों सहित) पुलिस, सामान्य प्रशासन, राजस्व व भू-अभिलेख विभाग के अधिकारियों के लिये,	प्रातः 10.00 बजे से दो. 1.00 बजे.
2	पंजीयन विधि तथा प्रक्रिया-पंजीयन विभाग के अधिकारियों के लिये (केवल अधिनियम तथा नियमों की पुस्तकों सहित).	—तदैव—
3	विधि तथा प्रक्रिया-उत्पाद शुल्क विभाग के अधिकारियों के लिये, (पुस्तकों सहित)	—तदैव—
4	विधि तथा प्रक्रिया-वाणिज्यिक कर विभाग के अधिकारियों के लिये (केवल नियमों की पुस्तकों सहित)	—तदैव—
5	पहला प्रश्नपत्र-सहकारिता सामान्य (बिना पुस्तकों के) सहकारी संस्थाओं के सहायक पंजीयकों के लिये,	—तदैव—
59	विद्युत् संबंधी विधियां-ऊर्जा विभाग के अधिकारियों के लिये.	—तदैव—
6	दूसरा प्रश्नपत्र दाण्डिक विधि तथा प्रक्रिया दांडिक मामलों में आदेश/निर्णय का लिखा जाना—पुलिस, सामान्य प्रशासन भू-अभिलेख एवं राजस्व विभाग के अधिकारियों के लिये.	दोपहर 2.00 बजे से शाम 5.00 बजे तक.
7	दूसरा प्रश्नपत्र—सहकारिता तथा सामान्य विधि (पुस्तकों सहित) सहकारी संस्थाओं के सहायक पंजीयकों के लिये.	—तदैव—
8	समाज कल्याण (बिना पुस्तकों के) पंचायत एवं सामाजिक न्याय विभाग के अधिकारियों के लिये.	—तदैव—
60	भू-योजना तथा विद्युत् सुरक्षा-ऊर्जा विभाग के सहायक यंत्री, कनिष्ठ यंत्री एवं पर्यवेक्षकों के लिये.	—तदैव—

मंगलवार, दिनांक 7 अगस्त, 2012

9	पहला प्रश्नपत्र—प्रशासनिक, राजस्व विधि तथा प्रक्रिया (बिना पुस्तकों के) भाग-ए आदिम जाति कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये.	प्रातः 10.00 बजे से, दोपहर 1.00 बजे तक.
10.	पहला प्रश्नपत्र—प्रशासनिक, राजस्व, विधि तथा प्रक्रिया (बिना पुस्तकों के) सामान्य प्रशासन, राजस्व, भू-अभिलेख एवं आदिम जाति कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये. भाग-बी	—तदैव—

(1)	(2)	(3)
11	पहला प्रश्नपत्र—प्रशासनिक, राजस्व, विधि तथा प्रक्रिया (बिना पुस्तकों के) सामान्य प्रशासन, राजस्व, भू-अभिलेख एवं आदिम जाति कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये. भाग-सी.	प्रातः 10.00 बजे से, दोपहर 1.00 बजे तक.
12	उद्योग विभाग संबंधी अधिनियम तथा नियम-उद्योग विभाग के अधिकारियों के लिये (पुस्तकों सहित).	—तदैव—
13	प्रश्नपत्र—खनिज प्रबंध (पुस्तकों सहित) खनिज साधन विभाग के अधिकारियों के लिये.	—तदैव—
14	लेखा तथा कार्यालयीन प्रक्रिया प्रथम प्रश्न पत्र—पंजीयन विभाग के अधिकारियों के लिये (बिना पुस्तकों के)	—तदैव—
61	विद्युत् संस्थापनाएँ—ऊर्जा विभाग के सहायक यंत्री, कनिष्ठ यंत्री एवं पर्यवेक्षकों के लिये.	—तदैव—
15	दूसरा प्रश्नपत्र—प्रशासनिक, राजस्व, विधि तथा प्रक्रिया (पुस्तकों सहित) सामान्य प्रशासन, राजस्व, भू-अभिलेख एवं आदिम जाति कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये.	दोपहर 2.00 बजे से शाम 5.00 बजे.
16	प्रक्रिया, विकास योजनाओं, राज्यों के साधनों राज्य के नियम, पुस्तिकाओं आदि का ज्ञान— उद्योग विभाग के अधिकारियों के लिये (पुस्तकों सहित).	—तदैव—
17	तीसरा प्रश्न पत्र—बैंकिंग (बिना पुस्तकों के) सहकारी संस्थाओं के सहायक पंजीयकों के लिये.	—तदैव—
18	समाज शिक्षा (बिना पुस्तकों के) पंचायत एवं सामाजिक न्याय विभाग के अधिकारियों के लिये.	—तदैव—
19	लेखा तथा कार्यालयीन प्रक्रिया—द्वितीय प्रश्नपत्र-पंजीयन विभाग अधिकारियों के लिये (पुस्तकों सहित).	—तदैव—
62	लेखा व स्थापना—ऊर्जा विभाग के सहायक यंत्री, कनिष्ठ यंत्री एवं पर्यवेक्षकों के लिये.	—तदैव—

### बुधवार, दिनांक 8 अगस्त 2012

20	तीसरा प्रश्न-पत्र प्रशासनिक, राजस्व, विधि तथा प्रक्रिया राजस्व के मामले में आदेश का लिखा जाना—सामान्य प्रशासन, राजस्व भू-अभिलेख विभाग के अधिकारियों के लिये.	प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 1.00 बजे तक.
21	पुस्तपालन तथा कर निर्धारण-विक्रयकर विभाग के अधिकारियों के लिये (पुस्तकों सहित)	—तदैव—
22	प्रश्नपत्र प्रथम-वन विधि (बिना पुस्तकों के), सहायक वन संरक्षकों के लिये.	—तदैव—
23	पहला प्रश्नपत्र प्रक्रिया (बिना पुस्तकों के) वन क्षेत्रपालों के लिये.	—तदैव—
24	पुलिस अधिकारियों की “व्यवहारिक परीक्षा”.	—तदैव—
63	स्विच गेयर तथा संरक्षण-ऊर्जा विभाग के सहायक यंत्रियों के लिये.	—तदैव—
25	कार्यालयीन संगठन तथा प्रक्रिया-वाणिज्यिक कर विभाग के अधिकारियों के लिये.	दोपहर 2.00 बजे से शाम 5.00 बजे तक.
26	सिविल विधि तथा प्रक्रिया (पुस्तकों सहित) राजस्व एवं भू-अभिलेख विभाग के अधिकारियों के लिये.	—तदैव—
27	पुलिस अधिकारियों की “पुलिस शाखा” प्रश्न पत्र (बिना पुस्तकों के).	—तदैव—

(1)	(2)	(3)
28	दूसरा प्रश्नपत्र-सामान्य विधि (पुस्तकों सहित) सहायक वन संरक्षकों के लिये.	दोपहर 2.00 बजे से शाम 5.00 बजे तक
29	तीसरा प्रश्न पत्र-सामान्य विधि (पुस्तकों सहित) वन क्षेत्रपालों के लिये.	—तदैव—
30	स्थानीय शासन अधिनियम तथा नियम (बिना पुस्तकों के) पंचायत एवं सामाजिक न्याय विभाग के अधिकारियों के लिये.	—तदैव—
31	चौथा प्रश्नपत्र-सहकारी लेखा तथा परीक्षण (बिना पुस्तकों के) भाग-1 लेखा तथा भाग-2 सहकारिता लेखा परीक्षण, सहकारी संस्थाओं के सहायक पंजीयकों के लिये.	—तदैव—
32	समाज शास्त्र (पुस्तकों सहित) आदिम जाति कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये.	—तदैव—
64	विद्युत् रोधन समन्वय तथा परिसंकट ग्रस्त क्षेत्र (इंसूलेशन को-ऑर्डिनेशन व हजार्ड्स एरिया) ऊर्जा विभाग के सहायक यंत्री (वि/सु) के लिये.	—तदैव—

**गुरुवार, दिनांक 9 अगस्त 2012**

33	प्रश्न पत्र-लेखा (बिना पुस्तकों के) सहायक कलेक्टरों, डिप्टी कलेक्टर, तहसीलदारों, नायब तहसीलदारों तथा राजस्व एवं भू-अभिलेख विभाग के अधिकारियों के लिये.	प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 1.00 बजे तक.
34	प्रथम प्रश्नपत्र—लेखा (बिना पुस्तकों के) आदिम जाति कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये.	—तदैव—
35	प्रथम प्रश्नपत्र—लेखा (बिना पुस्तकों के) पंचायत एवं सामाजिक न्याय विभाग के अधिकारियों के लिये.	—तदैव—
36	प्रश्नपत्र—न्यायिक शाखा (बिना पुस्तकों के) पुलिस विभाग अधिकारियों के लिये.	—तदैव—
37	लेखा (पुस्तकों सहित) उत्पाद शुल्क विभाग के अधिकारियों के लिये.	—तदैव—
38	लेखा (पुस्तकों सहित)—आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग के अधिकारियों के लिये.	—तदैव—
39	लेखा (पुस्तकों सहित)—उद्योग विभाग के अधिकारियों के लिये.	—तदैव—
40	लेखा (पुस्तकों सहित)—खनिज साधन विभाग के अधिकारियों के लिये.	—तदैव—
41	लेखा (पुस्तकों सहित)—जनसम्पर्क विभाग के अधिकारियों के लिये.	—तदैव—
66	प्रथम प्रश्नपत्र-लेखा (बिना पुस्तकों के) महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारियों के लिये.	—तदैव—
42	द्वितीय प्रश्नपत्र—लेखा (पुस्तकों सहित) डिप्टी कलेक्टरों, तहसीलदारों, नायब तहसीलदारों तथा राजस्व एवं भू-अभिलेख विभाग के अधिकारियों के लिये.	दोपहर 2.00 बजे से शाम 5.00 बजे तक.
43	द्वितीय प्रश्नपत्र—लेखा (पुस्तकों सहित) आदिम जाति कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये.	—तदैव—
44	द्वितीय प्रश्नपत्र—लेखा (पुस्तकों सहित) पंचायत एवं सामाजिक न्याय विभाग के अधिकारियों के लिये.	—तदैव—
67	द्वितीय प्रश्नपत्र—लेखा (पुस्तकों सहित) महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारियों के लिये.	—तदैव—



(1)

(2)

(3)

## शुक्रवार, दिनांक 13 अगस्त 2012

- 45 सिविल पशु चिकित्सा सेवा विभाग के अधिकारियों के लिये लेखा प्रश्न-पत्र भाग-1 (बिना पुस्तकों के) पशु चिकित्सा सेवा विभाग के अधिकारियों के लिये. प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 11.00 बजे तक.
- 46 प्रथम प्रश्नपत्र लेखा के भाग-1 मत्स्य पालन विभाग के अधिकारियों के लिये (बिना पुस्तकों के). —तदैव—
- 47 प्रश्नपत्र—लेखा (पुस्तकों सहित) कृषि सेवा कार्यपालन प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय श्रेणी अधिकारियों के लिये. प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 1.00 बजे तक.
- 48 प्रथम प्रश्नपत्र—विधि तथा प्रक्रिया (बिना पुस्तकों के) डेयरी विकास विभाग के अधिकारियों के लिये. —तदैव—
- 49 प्रश्नपत्र, द्वितीय—मध्यप्रदेश मूलभूत तथ्य और ग्रामीण विकास जनसंपर्क विभाग के अधिकारियों के लिये (पुस्तकों सहित). —तदैव—
- 50 द्वितीय प्रश्नपत्र—लेखा (बिना पुस्तकों के) वन क्षेत्रपालों के लिये. —तदैव—
- 65 पंचायत राज्य प्रशासन विधि तथा प्रक्रिया—सामान्य प्रशासन, राजस्व, भू-अभिलेख, पंचायत एवं ग्रामीण विकास व अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये. —तदैव—
- 68 तृतीय प्रश्नपत्र—महिला एवं बाल कल्याण—महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारियों के लिये. प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 1.00 बजे
- 51 सिविल पशु चिकित्सा सेवा विभाग के अधिकारियों के लिये प्रश्न-पत्र लेखा भाग-2 (पुस्तकों सहित) पशु चिकित्सा सेवा विभाग के अधिकारियों के लिये. दोपहर 2.00 बजे से शाम 4.00 बजे.
- 52 प्रश्नपत्र लेखा भाग-2, मत्स्य पालन विभाग के अधिकारियों के लिये —तदैव—
- 53 सहकारी संस्थाओं के सहायक पंजीयकों के लिये किसी मामलों में आदेश या प्रतिवेदन लिखने की व्यवहारिक परीक्षा (पुस्तकों सहित). दोपहर 2.00 बजे से शाम 4.00 बजे.
- 54 तृतीय प्रश्न पत्र—प्रक्रिया तथा लेखा (पुस्तकों सहित) सहायक वन संरक्षकों के लिये. —तदैव—
- 55 द्वितीय प्रश्नपत्र—लेखा (बिना पुस्तकों के) कृषि सेवा कार्यपालन प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय श्रेणी के अधिकारियों के लिये. —तदैव—
- 56 द्वितीय प्रश्नपत्र—लेखा तथा प्रक्रिया (पुस्तकों सहित) डेयरी विकास विभाग के अधिकारियों के लिये. —तदैव—
- 57 प्रश्नपत्र तृतीय—अनुसूचित जाति तथा आदिम जाति विकास जनसम्पर्क विभाग के अधिकारियों के लिये (पुस्तकों सहित). —तदैव—
- 69 चतुर्थ प्रश्नपत्र—पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा—महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारियों के लिये. —तदैव—

## सोमवार, दिनांक 14 अगस्त 2012

- 58 हिन्दी, निबंध तथा हिन्दी से अंग्रेजी में अनुवाद सभी विभागों के अधिकारियों के लिये. प्रातः 10.00 से दोपहर 12.00 बजे.

नोट :-

1. उम्मीदवारों को सूचित किया जावे कि जिन प्रश्नपत्रों में पुस्तकों की सहायता ली जाना है, उन्हें विभागीय परीक्षा के लिये कलेक्टर कार्यालय से पुस्तकें नहीं दी जावेगी. उन्हें अपनी स्वयं की पुस्तकें ले जाना होंगी.

2. सभी संबंधित विभागों के अधिकारियों को, जो परीक्षा में सम्मिलित होने के इच्छुक हों, अपने नाम उचित मार्ग द्वारा सीधे अपने विभागाध्यक्षों को भेजना चाहिये। परीक्षार्थी राजपत्रित/अराजपत्रित है, का स्पष्ट उल्लेख आवेदन-पत्र में भरें।
3. सामान्य प्रशासन विभाग (अनुसूचित जाति आदिवासी सेल के) ज्ञापन क्र. 1/15/77-1/अ.स./जनजाति सेवा, दिनांक 15 फरवरी, 1978 के अनुसार विभागीय परीक्षाओं में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों को उत्तीर्ण होने के लिये 10 प्रतिशत अंको तक छूट दी जाती है। ये छूट अखिल भारतीय सेवा से संबंधित परीक्षार्थियों पर लागू नहीं होगी। परीक्षार्थी तत्संबंधी में अपना प्रमाण-पत्र अपने विभागाध्यक्षों/कलेक्टरों को प्रस्तुत करेंगे। इन प्रमाण-पत्रों को गृह (सामान्य) विभाग विभागीय परीक्षा प्रकोष्ठ को नहीं भेजा जावे। संबंधित विभागाध्यक्ष/कलेक्टर परीक्षा में भाग लेने वाले व्यक्तियों की सूची के साथ अनुसूचित जाति/जनजाति संबंधी प्रमाण-पत्र संबंधित परीक्षा केन्द्रों के आयुक्तों को दिनांक 6-8-2012 तक भेजेंगे। जिन परीक्षार्थियों द्वारा प्रमाण-पत्र विभागाध्यक्षों के माध्यम से आयुक्तों को प्रस्तुत नहीं किये जावेंगे, उन्हें इस प्रकार की सुविधा प्राप्त नहीं होगी। ये प्रमाण-पत्र आयुक्त कार्यालय में रखे जावेंगे।
4. परीक्षा केन्द्र आयुक्तों से निवेदन है कि परीक्षा में सम्मिलित जिन परीक्षार्थियों द्वारा अनुसूचित जाति/जनजाति के प्रमाण-पत्र उन्हें प्राप्त होंगे उनका उल्लेख शासन को भेजे जाने वाली सूची में अनिवार्य रूप से करें। इसके आधार पर ही उन्हें अंको में छूट प्रदाय की जा सकेगी। कृपया स्पष्ट उल्लेख करें कि परीक्षार्थी सामान्य या अनुसूचित जाति/जनजाति से संबंधित है। एस.सी./एस.टी. दर्शाकर कोस्टक में (प्रमाण-पत्र प्रस्तुत नहीं किया) जैसा भ्रमित उल्लेख परीक्षार्थी वाली सूची में न किया जाय।

क्र. 4648-2180-अका-विपप्र-2012.— राज्य शासन द्वारा वन विभाग के अधिकारियों के लिये विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 11 अप्रैल 2012 को प्रश्न-पत्र सामान्य विधि तृतीय (पुस्तकों सहित) विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :—

अनु क्रमांक	परीक्षार्थी का नाम	पदनाम
(1)	(2)	(3)
<b>इन्दौर संभाग</b>		
1	श्री अयज सागर	वन क्षेत्रपाल
2	श्री विजय सिंह मौर्य	वन क्षेत्रपाल
3	श्री रमेश कुमार मरकाम	वन क्षेत्रपाल
4	कु. आकांशा खातरकर	वन क्षेत्रपाल
5	कु. श्यामलता मैरावी	वन क्षेत्रपाल
6	श्री शिवकुमार धुर्वे	वन क्षेत्रपाल
7	श्री नारायण प्रसाद तिवारी	उप वन क्षेत्रपाल
<b>शहडोल संभाग</b>		
8	श्री शिव प्रसाद ककोडिया	वन क्षेत्रपाल
9	श्री विवेक कुमार कौल	वन क्षेत्रपाल
10	सुश्री संगीता सिंह	वन क्षेत्रपाल
11	श्री मनोज कुमार वास्कले	वन क्षेत्रपाल
12	श्री राजेन्द्र सिंह नरगेश	वन क्षेत्रपाल
13	श्री अनिल कुमार नेती	वन क्षेत्रपाल
14	श्री दिनेश कुमार जमरे	वन क्षेत्रपाल
15	श्री संजय साल्वे	वन क्षेत्रपाल
16	श्री जालम सिंह धावें	वन क्षेत्रपाल

(1)	(2)	(3)
17	श्री संतोषिया मरावी	वन क्षेत्रपाल
18	श्री अनूप धुर्वे	वन क्षेत्रपाल
19	श्री मोहन दास मानिकपुरी	वन क्षेत्रपाल
20	श्री अंबिका प्रसाद मेरावी	वन क्षेत्रपाल
21	कु. प्रीति साक्य	वन क्षेत्रपाल
<b>रीवा संभाग</b>		
22	श्री गुलाब सिंह नर्गेश	वन क्षेत्रपाल
23	श्री सुरेश कुमार भलावी	वन क्षेत्रपाल
24	श्री रामेश्वर उईके	वन क्षेत्रपाल
25	श्री राजेश कुमार निनामा	वन क्षेत्रपाल
26	श्री रमेश गहलोत	वन क्षेत्रपाल
<b>ग्वालियर संभाग</b>		
27	श्री राजेन्द्र कुमार सोलंकी	वन क्षेत्रपाल
28	श्री मनभरण दुबे	वन क्षेत्रपाल
29	श्री देवेन्द्र कुमार अहिरवार	वन क्षेत्रपाल
30	श्री अरविन्द कुमार केन	वन क्षेत्रपाल
31	श्री नरेन्द्र कुमार रवि	वन क्षेत्रपाल
32	श्री विनोद सिंह	वन क्षेत्रपाल
33	श्री ललित पाण्डेय	वन क्षेत्रपाल
<b>जबलपुर संभाग</b>		
34	श्री सुनील कुमार	वन क्षेत्रपाल
35	श्री शैलेन्द्र कुमार उईके	वन क्षेत्रपाल
36	श्री धरम सिंह सोलंकी	वन क्षेत्रपाल

(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)
37	श्री हेमेन्द्र सिंह सोलंकी	वन क्षेत्रपाल	79	कु. बेती मरावी	वन क्षेत्रपाल
38	श्री भूरा गायकवाड़	वन क्षेत्रपाल	80	कु. मन्जू उईके	वन क्षेत्रपाल
39	श्री हृदयलाल सिंह	वन क्षेत्रपाल	81	कु. सुचिता मेश्राम	वन क्षेत्रपाल
40	श्री इन्द्रसिंह धाकड़	वन क्षेत्रपाल	82	श्री संतोष मर्सकोले	वन क्षेत्रपाल
41	श्री हरिकिरण पटेल	वन क्षेत्रपाल	<b>होशंगाबाद संभाग</b>		
42	कु. अर्चना नारनवरे	वन क्षेत्रपाल	83	श्रीमती विनीता जाटव	वन क्षेत्रपाल
43	श्री अशोक कुमार गौतम	वन क्षेत्रपाल	84	सुश्री पुष्पलता मौर्य	वन क्षेत्रपाल
44	श्री सीताराम नगेश	वन क्षेत्रपाल	85	श्री मुकेश कुमार डूडवे	वन क्षेत्रपाल
45	श्री गुलाब सिंह बर्डे	वन क्षेत्रपाल	86	श्री दिनेश कुमार मौर्य	वन क्षेत्रपाल
46	कु. अभिश्चेता रावत	वन क्षेत्रपाल	87	कु. श्रीतिबाला ठाकुर	वन क्षेत्रपाल
47	श्री रामनरेश लोहार	वन क्षेत्रपाल	88	श्री हेमराम वट	वन क्षेत्रपाल
48	श्री लक्ष्मी नारायण चौधरी	वन क्षेत्रपाल	89	श्रीमती रिकी आर्य	वन क्षेत्रपाल
49	श्री इन्द्र सिंह बारे	वन क्षेत्रपाल	90	श्री पंकज चौहान	वन क्षेत्रपाल
50	श्री अरूण सिंह	वन क्षेत्रपाल	91	कु. वंदना मरावी	वन क्षेत्रपाल
51	कु. सीता भलावी	वन क्षेत्रपाल	92	श्री अमित खन्ना	वन क्षेत्रपाल
52	श्री जुलियस पिपलाद	वन क्षेत्रपाल	93	श्री सेवक राम मण्डलोई	वन क्षेत्रपाल
53	श्री राजेश चौहान	वन क्षेत्रपाल	94	श्री सुनील कुमार अशोक	वन क्षेत्रपाल
54	श्री मुकेश अलावा	वन क्षेत्रपाल	95	श्री सिद्धार्थ दीपांकर	वन क्षेत्रपाल
55	श्री यशपाल मेहरा	वन क्षेत्रपाल	96	श्री आशीष कुमार खोब्रागड़े	वन क्षेत्रपाल
56	श्री बसंत कुमार बरकड़े	वन क्षेत्रपाल	97	श्री बाबूलाल मूवेल	वन क्षेत्रपाल
57	श्री शैलजा ठाकुर	वन क्षेत्रपाल	<b>भोपाल संभाग</b>		
58	श्री एम. एल. बरकड़े	वन क्षेत्रपाल	98	श्री मधुसिंह सिसोदिया	वन क्षेत्रपाल
59	श्री मनमोहन सिंह जाटव	वन क्षेत्रपाल	99	श्री मुकेश कुमार मेरावी	वन क्षेत्रपाल
60	श्री एल्विन बर्मन	वन क्षेत्रपाल	100	श्री राम कुमार	वन क्षेत्रपाल
61	श्री सुनील सुलिया	वन क्षेत्रपाल	101	कु. संगीता रावत	वन क्षेत्रपाल
62	श्री सुरेश कुमार कुशरे	वन क्षेत्रपाल	102	श्री जय कुमार धुर्वे	वन क्षेत्रपाल
63	कु. मनीषा वाघाड़े	वन क्षेत्रपाल	103	श्रीमती प्रीति ककोड़िया	वन क्षेत्रपाल
64	कु. अलका भुरिया	वन क्षेत्रपाल	104	श्रीमती दीपिका मिंज	वन क्षेत्रपाल
65	श्री सुरेन्द्र कुमार जाटव	वन क्षेत्रपाल	105	श्री धीरेन्द्र सिंह	वन क्षेत्रपाल
66	कु. कीर्ति मरकाम	वन क्षेत्रपाल	106	श्री दीपक कुमार तिरपुडे	वन क्षेत्रपाल
67	श्री देवेश खराड़ी	वन क्षेत्रपाल	107	श्री अभय सिंह भूरिया	वन क्षेत्रपाल
68	श्री उत्तम सिंह सस्तया	वन क्षेत्रपाल	108	सुश्री माधुरी वाड़िया	वन क्षेत्रपाल
69	श्री सुनील कुमार पन्ड्रे	वन क्षेत्रपाल	109	सुश्री पालय राजावत	वन क्षेत्रपाल
70	श्री संदीप रावत	वन क्षेत्रपाल	110	श्री रामकृष्ण सिंह चौधरी	वन क्षेत्रपाल
71	श्री गुलाब सिंह निंगवाल	वन क्षेत्रपाल	111	श्री बिसन सिंह मौर्य	वन क्षेत्रपाल
72	श्री जितेन्द्र अवासे	वन क्षेत्रपाल	112	श्री श्याम सिंह चौहान	वन क्षेत्रपाल
73	श्री विक्रम सुल्या	वन क्षेत्रपाल	113	श्री विरेन्द्र सिंह	वन क्षेत्रपाल
74	सुश्री अंशु एलिस बरवा	वन क्षेत्रपाल			
75	श्री राकेश कुमार अडकने	वन क्षेत्रपाल			
<b>सागर संभाग</b>					
76	कु. उर्मिला मरकाम	वन क्षेत्रपाल			
77	कु. शोभना वर्मा	वन क्षेत्रपाल			
78	श्री नरेन्द्र सिंह परिहार	वन क्षेत्रपाल			

क्र. 4654-2206-अका-विपप्र-2012.— राज्य शासन द्वारा सामान्य प्रशासन, राजस्व एवं भू-अभिलेख विभाग के अधिकारियों के लिये विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 12 अप्रैल 2012 को

प्रश्न-पत्र लेखा-द्वितीय (पुस्तकों सहित) विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :-

अनुक्रमांक	परीक्षार्थी का नाम	पदनाम
(1)	(2)	(3)

### उच्चस्तर

#### शहडोल संभाग

1	श्रीमती विमला सिंह	राजस्व निरीक्षक
2	श्री प्रेमलाल चौधरी	राजस्व निरीक्षक
3	श्री शिवकुमार सिंह	राजस्व निरीक्षक
4	श्री उमेश्वर साय पैकरा	राजस्व निरीक्षक
5	श्री दिलीप सिंह	राजस्व निरीक्षक
6	श्री संतोष कुमार चौधरी	राजस्व निरीक्षक
7	श्री द्वारका प्रसाद दहायत	राजस्व निरीक्षक
8	श्री विनोद कुमार सिंह	राजस्व निरीक्षक

#### होशंगाबाद संभाग

9	श्रीमती सरिता धुर्वे ठाकुर	सहायक अधीक्षक, भू-अभिलेख.
10	श्री देवशंकर धुर्वे	सहायक अधीक्षक, भू-अभिलेख.

#### सागर संभाग

11	श्री प्रेम प्रकाश गोस्वामी	राजस्व निरीक्षक
12	श्री घनश्याम चौधरी	राजस्व निरीक्षक
13	श्री श्रीपत अहिरवार	राजस्व निरीक्षक
14	श्री राजेश मेहरा	राजस्व निरीक्षक
15	श्री रज्जन सिंह	राजस्व निरीक्षक
16	श्री प्रीतम सिंह	राजस्व निरीक्षक
17	श्री जयहिन्द सिंह गौड़	राजस्व निरीक्षक

#### जबलपुर संभाग

18	श्री देवेन्द्र सिंह नेताम	राजस्व निरीक्षक
19	श्री तेजीराम उईके	राजस्व निरीक्षक
20	श्री लोकमन कोरी	राजस्व निरीक्षक
21	कु. निधि मार्को	सहायक अधीक्षक, भू-अभिलेख.
22	श्री दिपक कुमार मेश्राम	राजस्व निरीक्षक
23	श्रीमती मर्यादा बागड़े	सहायक अधीक्षक, भू-अभिलेख.
24	श्रीमती स्मृति खण्डेलवाल	राजस्व निरीक्षक
25	श्री राजकुमार उईके	राजस्व निरीक्षक
26	श्री आर. के. कटारया	राजस्व निरीक्षक

(1)

(2)

(3)

27	श्री रतनसिंह कुर्वेती	राजस्व निरीक्षक
28	श्री हेमराम झारिया	राजस्व निरीक्षक
29	श्री केशरीचन्द बघेल	राजस्व निरीक्षक
30	श्री रेवाराम झारिया	राजस्व निरीक्षक
31	श्री रामप्रसाद मार्को	राजस्व निरीक्षक
32	श्री रायसिंह कुशराम	राजस्व निरीक्षक
33	श्री शिवप्रसाद कोरी	राजस्व निरीक्षक

#### भोपाल संभाग

34	श्री योगेश्वर सिंह भारतीय	राजस्व निरीक्षक
35	श्री गोविन्द सिंह यादव	
36	श्री शनिपाल शाह परतेती	राजस्व निरीक्षक
37	श्री राजेन्द्र सिंह	राजस्व निरीक्षक
38	श्री थानसिंह गोड़	राजस्व निरीक्षक
39	श्री संतोष पथोरिया	राजस्व निरीक्षक
40	श्री विक्रम सिंह खटीक	राजस्व निरीक्षक
41	श्री शिबूसिंह कसोरमा	राजस्व निरीक्षक
42	श्री कोमल सिंह चढार	राजस्व निरीक्षक
43	श्री रतिराम अहिरवार	राजस्व निरीक्षक
44	श्री रणधीर सिंह मीणा	राजस्व निरीक्षक
45	श्री श्याम सिंह तारे	राजस्व निरीक्षक
46	श्री करन्जूलाल अहिरवार	राजस्व निरीक्षक
47	श्री राजेश कुमार वर्मा	राजस्व निरीक्षक
48	श्रीमती इन्दु गौड़	राजस्व निरीक्षक
49	श्री शिवराम चढार	राजस्व निरीक्षक

#### ग्वालियर संभाग

50	श्री अलोरस लकड़ा	अधीक्षक
51	श्री मोतीलाल जाटव	राजस्व निरीक्षक
52	श्री रामनरेश सिंह आर्य	राजस्व निरीक्षक
53	श्री भगवति शरण शिल्पकार	राजस्व निरीक्षक
54	श्री नरेश कुमार रायपुरिया	राजस्व निरीक्षक
55	श्री हरिशचन्द्र माहौर	राजस्व निरीक्षक
56	श्री अशोक भारती	राजस्व निरीक्षक
57	श्री प्रज्ञेश पचौरी	सहायक अधीक्षक, भू-अभिलेख.
58	श्री अशोक कुमार गौतम	राजस्व निरीक्षक
59	श्री बलराम दोहरे	राजस्व निरीक्षक
61	श्री दीनानाथ किरार	राजस्व निरीक्षक
62	श्री राम नारायण सिंह	राजस्व निरीक्षक
63	श्री शैलेन्द्रदेव सिंह सेंगर	राजस्व निरीक्षक
64	श्री इलखुराम भगत	अधीक्षक

(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)
	<b>इन्दौर संभाग</b>		14	डॉ. अनिल कुमार गुप्ता	राजस्व निरीक्षक
65	श्री पवन कुमार वास्कले	सहायक अधीक्षक, भू-अभिलेख.	15	श्रीमती वर्षा शर्मा	सहायक अधीक्षक, भू-अभिलेख.
66	श्री रामदेव नैयूर	राजस्व निरीक्षक		<b>जबलपुर संभाग</b>	
67	सुश्री रेशम गवली	सहायक अधीक्षक, भू-अभिलेख.	16	श्री राजाराम दीक्षित	राजस्व निरीक्षक
68	सुश्री वंदना शिन्दे	सहायक अधीक्षक, भू-अभिलेख.	17	श्री हीरालाल तिवारी	राजस्व निरीक्षक
69	श्री पूनम सिंह बघेल	राजस्व निरीक्षक	18	श्री अवधेश कुमार पटेल	राजस्व निरीक्षक
70	श्री जगराम शाक्य	राजस्व निरीक्षक	19	श्री ज्ञानचंद राय	राजस्व निरीक्षक
71	सुश्री श्वेता जमरा	सहायक अधीक्षक, भू-अभिलेख.	20	श्री रामलोचन तिवारी	राजस्व निरीक्षक
72	श्री बाबूसिंह निनामा	राजस्व निरीक्षक	21	श्री राजकुमार श्रीपाल	राजस्व निरीक्षक
	<b>उज्जैन संभाग</b>		22	श्री आलोक कुमार सोनी	राजस्व निरीक्षक
73	श्री भारत कुमार देवड़ा	राजस्व निरीक्षक	23	श्री मंजूषा महोबिया	राजस्व निरीक्षक
74	श्री रामेश्वर डामर	राजस्व निरीक्षक	24	श्री राजकुमार नामदेव	राजस्व निरीक्षक
	<b>निम्नस्तर</b>		25	श्रीमती दुर्गा पटेल	राजस्व निरीक्षक
	<b>शहडोल संभाग</b>		26	श्री इन्द्रजीत सिंह	राजस्व निरीक्षक
1	श्री रामाधार अहिरवार	राजस्व निरीक्षक	27	श्री गणेश प्रसाद सिंगौरे	राजस्व निरीक्षक
2	श्री लक्ष्मीकान्त शर्मा	राजस्व निरीक्षक	28	श्री देवेन्द्र कुमार सिंगौरे	राजस्व निरीक्षक
3	श्री दिलीप कुमार श्रीवास्तव	राजस्व निरीक्षक	29	श्री महेन्द्र कुमार सिंगौरे	राजस्व निरीक्षक
4	श्री उपेन्द्र कुमार द्विवेदी	राजस्व निरीक्षक	30	श्री अनिल कुमार मिश्रा	राजस्व निरीक्षक
5	श्री मोहन लाल वर्मा	राजस्व निरीक्षक	31	श्रीमती मंजूषा शर्मा	सहायक अधीक्षक, भू-अभिलेख.
6	श्री विनोद कुमार वर्मा	राजस्व निरीक्षक	32	श्री राजेन्द्र कुमार श्रीवास्तव	राजस्व निरीक्षक
7	श्री संदीप कुमार बघेल	राजस्व निरीक्षक	33	श्री कल्याण सिंह क्षत्रीय	राजस्व निरीक्षक
	<b>होशंगाबाद संभाग</b>		34	श्री धर्मराज तुरकर	राजस्व निरीक्षक
8	श्री तीरथ प्रसाद इरपाची	राजस्व निरीक्षक	35	श्री लालमणि पाण्डेय	राजस्व निरीक्षक
9	कु. ज्योती ढोके	राजस्व निरीक्षक	36	श्री अनुप कुमार चौरसिया	सहायक अधीक्षक, भू-अभिलेख.
	<b>सागर संभाग</b>		37	श्री हिम्मत सिंह भवेदी	राजस्व निरीक्षक
10	डॉ. राकेश कुमार अहिरवार	सहायक अधीक्षक, भू-अभिलेख.	38	श्री योगेश कुमार शुक्ला	राजस्व निरीक्षक
11	श्री आदित्य कुमार सोनकिया	सहायक अधीक्षक, भू-अभिलेख.	39	श्री रतन सिंह धुर्वे	राजस्व निरीक्षक
12	श्री सुरेश चंद अवस्थी	राजस्व निरीक्षक	40	श्री लखनलाल लोधी	राजस्व निरीक्षक
13	श्री प्रभुदयाल गुप्ता	राजस्व निरीक्षक		<b>भोपाल संभाग</b>	
			41	श्री शंकर सिंह ठाकुर	राजस्व निरीक्षक
			42	श्री उमाशंकर विश्वकर्मा	राजस्व निरीक्षक
			43	श्री मिश्रीलाल अग्रवाल	राजस्व निरीक्षक
			44	श्री ललित सक्सेना	राजस्व निरीक्षक
			45	श्री सत्यप्रकाश शर्मा	राजस्व निरीक्षक
			46	श्री अनिल गन्हाडे	राजस्व निरीक्षक
			47	श्री सुमन्त लाल टाईट्स	राजस्व निरीक्षक
			48	श्री शरीफ अहमद	राजस्व निरीक्षक
			49	श्रीमती इन्दु गौड़	राजस्व निरीक्षक

(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)
50	श्री तृप्ति श्रीवास्तव	डिप्टी कलेक्टर	85	श्री संतोष पाराशर	राजस्व निरीक्षक
<b>ग्वालियर संभाग</b>			86	श्री रमेश कुमार रावले	राजस्व निरीक्षक
51	श्री महेन्द्र सिंह कौरव	सहायक अधीक्षक, भू-अभिलेख.	87	श्री भीमराव वानखेड़े	राजस्व निरीक्षक
52	श्री शशिकान्त गुप्ता	राजस्व निरीक्षक	88	श्री राघवेन्द्र पवनीकर	राजस्व निरीक्षक
53	श्री विश्राम सिंह बघेल	राजस्व निरीक्षक	89	श्री सुरेश चन्द्र सक्सेना	राजस्व निरीक्षक
54	श्री श्याम सुन्दर सराहिया	राजस्व निरीक्षक	90	श्री संतोष कुमार कुशवाह	राजस्व निरीक्षक
55	श्री नन्हेसिंह कुशवाह	राजस्व निरीक्षक	91	श्री सुधीर शर्मा	राजस्व निरीक्षक
56	श्री प्रदीप कुमार वर्मा	राजस्व निरीक्षक	92	श्री नीरज कुमार बैस	राजस्व निरीक्षक
57	श्री हरिओम सिंह गुर्जर	राजस्व निरीक्षक	93	श्री आदर्श शर्मा	नायब तहसीलदार
58	श्री मोहम्मद रज्जाक खान	राजस्व निरीक्षक	94	श्री हरिबाबू श्रीवास्तव	नायब तहसीलदार
59	श्री बलबीर सिंह भदौरिया	राजस्व निरीक्षक	95	श्री मुकेश मालवीय	राजस्व निरीक्षक
60	श्री मुरारीलाल उप्रैती	राजस्व निरीक्षक	96	श्री राधेश्याम धाकड़	सहायक अधीक्षक, भू-अभिलेख.
61	श्री तरसी सियुस लकड़ा	राजस्व निरीक्षक	<b>उज्जैन संभाग</b>		
62	श्री मानसिंह रावत	राजस्व निरीक्षक	97	श्री दशरथ सिंह राजपूत	सहायक अधीक्षक, भू-अभिलेख.
63	श्री रतिराम रावत	राजस्व निरीक्षक	98	श्री हरिशंकर नामदेव	राजस्व निरीक्षक
64	श्री विनोद सिंह तोमर	राजस्व निरीक्षक	99	सुश्री प्रीति चौहान	सहायक अधीक्षक, भू-अभिलेख.
65	श्री दिलीप दरोगा	राजस्व निरीक्षक	100	सुश्री प्रियंका जैन	राजस्व निरीक्षक
66	श्री राजेन्द्र श्रीवास्तव	राजस्व निरीक्षक	101	श्री प्रमोद कुमार शर्मा	सहायक अधीक्षक, भू-अभिलेख.
67	सुश्री काजल दीक्षित	राजस्व निरीक्षक	102	श्री श्री जगत सिंह ठाकुर	राजस्व निरीक्षक
68	श्री बालाप्रसाद शर्मा	राजस्व निरीक्षक	103	श्री विवेक कुमार शर्मा	सहायक अधीक्षक, भू-अभिलेख.
69	श्री दिनेश कुमार व्यास	राजस्व निरीक्षक	104	श्री लोकेश आहुजा	राजस्व निरीक्षक
70	श्री घनश्याम शर्मा	राजस्व निरीक्षक	105	श्री रतनलाल डमोर	राजस्व निरीक्षक
71	सुश्री नीलम जैन	राजस्व निरीक्षक	106	श्री रूपसिंह राजपूत	राजस्व निरीक्षक
72	श्री राजेश वत्स	सहायक अधीक्षक, भू-अभिलेख.	107	श्री राकेश कुमार मित्तल	राजस्व निरीक्षक
73	श्री निरंजन सिंह राजपूत	राजस्व निरीक्षक	क्र. 4656-2205-अका-विपप्र-2012.— राज्य शासन द्वारा सामान्य प्रशासन, राजस्व एवं भू-अभिलेख विभाग के अधिकारियों के लिये विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 9 अप्रैल 2012 को प्रश्न-पत्र दाण्डिक विधि तथा प्रक्रिया-द्वितीय (पुस्तकों सहित) विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :—		
74	श्री ए. के. सिंह	राजस्व निरीक्षक	अनुक्रमांक	परीक्षार्थी का नाम	पदनाम
75	श्री मदन मोहन शर्मा	सहायक अधीक्षक, भू-अभिलेख.	(1)	(2)	(3)
76	श्री संजय चौरसिया	सहायक अधीक्षक, भू-अभिलेख.	<b>उच्चस्तर</b>		
77	श्री अशोक कुमार श्रीवास्तव	राजस्व निरीक्षक	<b>सागर संभाग</b>		
78	श्री गजेन्द्र सिंह मीना	राजस्व निरीक्षक	1	डॉ. अनिल कुमार गुप्ता	सहायक अधीक्षक, भू-अभिलेख.
79	श्री अनिल सिंह भदौरिया	राजस्व निरीक्षक			
<b>इन्दौर संभाग</b>					
80	श्री राजकुमार खरे	राजस्व निरीक्षक			
81	श्री महेन्द्र कुमार बड़ोले	सहायक अधीक्षक, भू-अभिलेख.			
82	श्री प्रदीप शिगलू	राजस्व निरीक्षक			
83	श्री श्रीकान्त सारोलकर	राजस्व निरीक्षक			
84	श्री नरेश बिवलकर	राजस्व निरीक्षक			

(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)
2	श्री घनश्याम प्रसाद चौधरी	सहायक अधीक्षक, भू-अभिलेख.	34	श्री निरंजन सिंह राजपूत	सहायक अधीक्षक, भू-अभिलेख.
3	श्री श्रीपत अहिरवार	राजस्व निरीक्षक	35	श्री मदन मोहन शर्मा	सहायक अधीक्षक, भू-अभिलेख.
4	डॉ. राकेश कुमार अहिरवार	सहायक अधीक्षक, भू-अभिलेख.	36	श्री राकेश कुमार ढोडी	राजस्व निरीक्षक
5	श्री प्रेम प्रकाश गोस्वामी	राजस्व निरीक्षक	37	श्री संजय चौरसिया	सहायक अधीक्षक, भू-अभिलेख.
<b>होशंगाबाद संभाग</b>			<b>इन्दौर संभाग</b>		
6	श्रीमती सरिता धुर्वे ठाकुर	सहायक अधीक्षक, भू-अभिलेख.	38	श्री अशोक कुमार गौतम	राजस्व निरीक्षक
7	श्री देवशंकर धुर्वे	सहायक अधीक्षक, भू-अभिलेख.	39	श्री बलराम दोहरे	राजस्व निरीक्षक
<b>भोपाल संभाग</b>			40	श्री दीनानाथ किरार	राजस्व निरीक्षक
8	श्री योगेश्वर सिंह भारतीय	राजस्व निरीक्षक	41	श्री राम नारायण सिंह	राजस्व निरीक्षक
9	श्री शनिपाल शाह परतेती	राजस्व निरीक्षक	42	श्री अशोक कुमार श्रीवास्तव	राजस्व निरीक्षक
10	श्री दर्शनलाल नेगी	राजस्व निरीक्षक	<b>इन्दौर संभाग</b>		
11	श्री धनीराम अहिरवार	राजस्व निरीक्षक	43	श्रीमती वंदना शिन्दे	सहायक अधीक्षक, भू-अभिलेख.
12	श्री संतोष पथारिया	राजस्व निरीक्षक	44	श्री पवन कुमार वास्कले	सहायक अधीक्षक, भू-अभिलेख.
13	श्री विक्रम सिंह खटीक	राजस्व निरीक्षक	<b>उज्जैन संभाग</b>		
14	श्री शिवराम चढ़ार	राजस्व निरीक्षक	45	श्री रविशंकर नामदेव	राजस्व निरीक्षक
15	श्री शिबूसिंह कसोरमा	राजस्व निरीक्षक	46	श्री रामेश्वर डामर	राजस्व निरीक्षक
16	श्री कोमल सिंह चढ़ार	राजस्व निरीक्षक	47	कु. प्रियंका जैन	सहायक अधीक्षक, भू-अभिलेख.
17	श्री रतिराम अहिरवार	राजस्व निरीक्षक	<b>शहडोल संभाग</b>		
<b>ग्वालियर संभाग</b>			48	श्री लक्ष्मीकान्त शर्मा	राजस्व निरीक्षक
18	श्री रामनरेश सिंह आर्य	राजस्व निरीक्षक	49	श्री बालमीक प्रसाद साकेत	राजस्व निरीक्षक
19	श्री विश्राम सिंह बघेल	राजस्व निरीक्षक	50	श्रीमती विमला सिंह	राजस्व निरीक्षक
20	श्री राम प्रकाश कनेरिया	राजस्व निरीक्षक	<b>जबलपुर संभाग</b>		
21	श्री मोहम्मद रज्जाक खान	राजस्व निरीक्षक	51	श्री लालमणि पाण्डेय	राजस्व निरीक्षक
22	श्री हरिशचन्द्र माहौर	राजस्व निरीक्षक	52	श्री शैलेन्द्र गोड़	राजस्व निरीक्षक
23	श्री दिलीप दरोगा	राजस्व निरीक्षक	53	श्री रेवाराम झारिया	राजस्व निरीक्षक
24	सुश्री काजल दीक्षित	सहायक अधीक्षक, भू-अभिलेख.	54	श्री रामप्रसाद मार्को	राजस्व निरीक्षक
25	श्री अशोक भारती	राजस्व निरीक्षक	55	श्री रामसिंह कुशराम	राजस्व निरीक्षक
26	श्री सामन्त लाल धाकड़	सहायक अधीक्षक, भू-अभिलेख.	56	श्री अनूप कुमार चौरसिया	राजस्व निरीक्षक
27	श्री दिनेश कुमार व्यास	राजस्व निरीक्षक	57	श्री दामोदर प्रसाद दुबे	राजस्व निरीक्षक
28	श्री अजय शंकर शर्मा	राजस्व निरीक्षक	58	श्री रतन सिंह धुर्वे	राजस्व निरीक्षक
29	श्री घनश्याम शर्मा	राजस्व निरीक्षक	59	श्री योगेश कुमार शुक्ला	राजस्व निरीक्षक
30	श्री दुर्ग सिंह मौर्य	राजस्व निरीक्षक	60	श्रीमती दुर्गा पटेल	सहायक अधीक्षक, भू-अभिलेख.
31	श्रीमती नीलम जैन	सहायक अधीक्षक, भू-अभिलेख.	61	श्री आर. के. कटारया	राजस्व निरीक्षक
32	श्री प्रज्ञेश पचौरी	सहायक अधीक्षक, भू-अभिलेख.	62	श्री इन्द्रजीत सिंह	राजस्व निरीक्षक
33	श्री राजेश वत्स	राजस्व निरीक्षक	63	श्री देवेन्द्र कुमार सिंगौरै	राजस्व निरीक्षक
			64	श्री राजेश कुमार दुबे	राजस्व निरीक्षक

(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)
65	श्री हेमराज झारिया	सहायक अधीक्षक, भू-अभिलेख.	25	श्री शैलेन्द्रदेव सिंह सेंगर	राजस्व निरीक्षक
66	श्री केशरीचंद बघेल	राजस्व निरीक्षक	26	श्री गजेन्द्र सिंह मोना	राजस्व निरीक्षक
67	श्री लोकमन कोरी	राजस्व निरीक्षक	27	श्री अनिल सिंह भदौरिया	राजस्व निरीक्षक
68	श्री राजाराम दीक्षित	राजस्व निरीक्षक	<b>इन्दौर संभाग</b>		
<b>निम्नस्तर</b>			28	श्री बाबूसिंह निनामा	राजस्व निरीक्षक
<b>सागर संभाग</b>			29	कु. श्वेता जमरा	सहायक अधीक्षक, भू-अभिलेख.
1	श्री जयहिन्द सिंह गौड़	राजस्व निरीक्षक	30	श्री आदर्श शर्मा	नायब तहसीलदार
2	श्री आदित्य कुमार सोनकिया	सहायक अधीक्षक, भू-अभिलेख.	31	श्री आर. सी. मण्डलोई	अधीक्षक
3	श्री राजेश मेहरा	राजस्व निरीक्षक	32	श्री नीरज कुमार बैस	राजस्व निरीक्षक
<b>होशंगाबाद संभाग</b>			33	श्री पूनम सिंह बघेल	राजस्व निरीक्षक
4	श्री तीरथ प्रसाद इरपाची	राजस्व निरीक्षक	34	कु. रेशम गवली	सहायक अधीक्षक, भू-अभिलेख.
5	कु. ज्योति ठोके	सहायक अधीक्षक, भू-अभिलेख.	35	श्री राघवेन्द्र पवनीकर	राजस्व निरीक्षक
<b>भोपाल संभाग</b>			36	श्री भीमराव वानखेड़े	राजस्व निरीक्षक
6	श्री गोविन्द सिंह यादव	राजस्व निरीक्षक	37	श्री कैलाश सिसोदिया	राजस्व निरीक्षक
7	श्री शंकरसिंह ठाकुर	राजस्व निरीक्षक	38	श्री विजय महाजन	राजस्व निरीक्षक
8	श्री मिश्रीलाल अग्रवाल	राजस्व निरीक्षक	39	श्री रमेश कुमार रावले	राजस्व निरीक्षक
9	श्री ललित सक्सेना	राजस्व निरीक्षक	40	श्री कच्छेदीलाल जैन	राजस्व निरीक्षक
<b>ग्वालियर संभाग</b>			41	श्री संतोष पराशर	राजस्व निरीक्षक
10	श्री महेन्द्र सिंह कौरव	सहायक अधीक्षक, भू-अभिलेख.	42	श्री नरेश बिवलकर	राजस्व निरीक्षक
11	श्री मोतीलाल जाटव	राजस्व निरीक्षक	43	श्री मोहनलाल पालीवाल	राजस्व निरीक्षक
12	श्री भगवति शरण शिल्पकार	राजस्व निरीक्षक	44	श्री राजेन्द्र सिंह सोलंकी	राजस्व निरीक्षक
13	श्री नरेश कुमार रायपुरिया	राजस्व निरीक्षक	45	श्री कमलेश पाराशर	राजस्व निरीक्षक
14	श्रीमती हेमा राजपूत	राजस्व निरीक्षक	46	श्री प्रकाशचंद शर्मा	राजस्व निरीक्षक
15	श्री नन्हेसिंह कुशवाह	राजस्व निरीक्षक	<b>रीवा संभाग</b>		
16	श्री प्रदीप कुमार वर्मा	राजस्व निरीक्षक	47	श्री ललित कुमार नागवंशी	सहायक अधीक्षक, भू-अभिलेख.
17	श्री हरिओम सिंह गुर्जर	राजस्व निरीक्षक	<b>उज्जैन संभाग</b>		
18	श्री मुरारीलाल उप्रैती	राजस्व निरीक्षक	48	श्री श्यामेन्द्र जायसवाल	डिप्टी कलेक्टर
19	श्री तरसी सियुस लकड़ा	राजस्व निरीक्षक	49	श्रीमती प्रीति चौहान	सहायक अधीक्षक, भू-अभिलेख.
20	श्री मानसिंह रावत	राजस्व निरीक्षक	50	श्री दयाराम निगम	राजस्व निरीक्षक
21	श्री रतिराम रावत	राजस्व निरीक्षक	51	श्री विनोद पटेल	राजस्व निरीक्षक
22	श्री विनोद सिंह तौमर	राजस्व निरीक्षक	52	श्री लोकेश आहुआ	राजस्व निरीक्षक
23	श्री राजेन्द्र श्रीवास्तव	राजस्व निरीक्षक			
24	श्री बालाप्रसाद शर्मा	राजस्व निरीक्षक			



(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)
53	श्री विनोद कुमार शर्मा	राजस्व निरीक्षक	81	श्री ज्ञानचंद राय	राजस्व निरीक्षक
54	श्री प्रदीप कुमार गुप्ता	राजस्व निरीक्षक	82	श्री रामलोचन तिवारी	राजस्व निरीक्षक
55	श्री अजय सरावगी	राजस्व निरीक्षक	83	श्री आलोक कुमार सोनी	राजस्व निरीक्षक
			84	श्री राजकुमार नामदेव	राजस्व निरीक्षक

### शहडोल संभाग

56	श्री दिलीप कुमार श्रीवास्तव	राजस्व निरीक्षक
57	श्री प्रेमलाल चौधरी	राजस्व निरीक्षक
58	श्री शिवकुमार सिंह	राजस्व निरीक्षक
59	श्री उमेश्वर साय पैकरा	राजस्व निरीक्षक
60	श्री दिलीप सिंह	राजस्व निरीक्षक
61	श्री उपेन्द्र कुमार द्विवेदी	राजस्व निरीक्षक
62	श्री विनोद कुमार वर्मा	राजस्व निरीक्षक
63	श्री द्वारका प्रसाद दहायत	राजस्व निरीक्षक

### जबलपुर संभाग

64	श्री हेमन्त लाल अवधिया	राजस्व निरीक्षक
65	श्री शिव प्रसाद कौरि	राजस्व निरीक्षक
66	कु. स्मृति खण्डलवाल	सहायक अधीक्षक, भू-अभिलेख.
67	श्री संतोष कुमार श्रीवास्तव	राजस्व निरीक्षक
68	श्री राजकुमार उईके	राजस्व निरीक्षक
69	श्री गणेश प्रसाद सिंगौरे	राजस्व निरीक्षक
70	श्री महेन्द्र कुमार सिंगौरे	राजस्व निरीक्षक
71	श्री रतनसिंह कुर्वेती	राजस्व निरीक्षक
72	श्रीमती मंजूषा शर्मा	सहायक अधीक्षक, भू-अभिलेख.
73	श्री राजेन्द्र कुमार श्रीवास्तव	राजस्व निरीक्षक
74	श्री कल्याण सिंह क्षेत्रिय	राजस्व निरीक्षक
75	श्री राजेश तिवारी	राजस्व निरीक्षक
76	श्री देवेन्द्र सिंह नेताम	राजस्व निरीक्षक
77	कु. निधि मार्को	सहायक अधीक्षक, भू-अभिलेख.
78	श्री मंगल सिंह मार्को	सहायक अधीक्षक, भू-अभिलेख.
79	श्री दीपक कुमार मेश्राम	राजस्व निरीक्षक
80	श्रीमती मर्यादा बागडे	सहायक अधीक्षक, भू-अभिलेख.

क्र. 4658-2205-अका-विपप्र-2012.— राज्य शासन द्वारा गृह (पुलिस) विभाग के अधिकारियों के लिये विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 11 अप्रैल 2012 को प्रश्न-पत्र पुलिस शाखा (बिना पुस्तकों के) विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :—

अनुक्रमांक	परीक्षार्थी का नाम	पदनाम
(1)	(2)	(3)

### उज्जैन संभाग

1	श्री दि. कल्याण चक्रवर्ती	सहायक पुलिस अधीक्षक
2	श्री गौरव कुमार तिवारी	सहायक पुलिस अधीक्षक

### इन्दौर संभाग

3	श्री रूडाल्फ अलवारिश	पुलिस अधीक्षक
4	श्री आशुतोष प्रताप सिंह	सहायक पुलिस अधीक्षक

### सागर संभाग

5	श्री तरूण नायक	एस. डी. ओ. पी.
---	----------------	----------------

### जबलपुर संभाग

6	श्री निमिष अग्रवाल	सहायक पुलिस अधीक्षक
---	--------------------	---------------------

### भोपाल संभाग

7	श्री नवनीत भसीन	एस. डी. ओ. पी.
8	श्री मोहम्मद युसुफ कुरैशी	एस. डी. ओ. पी.

### ग्वालियर संभाग

9	श्री एस. सतीश बिले	अति. पुलिस अधीक्षक
10	श्री जयदेवन ए.	अति. पुलिस अधीक्षक
11	श्री अमित सिंह	अति. पुलिस अधीक्षक
12	श्री अजित	अति. पुलिस अधीक्षक
13	श्री आबिद खान	अति. पुलिस अधीक्षक
14	श्री सिद्धार्थ बहुगुणा	अति. पुलिस अधीक्षक

भोपाल, दिनांक 19 जून 2012

क्र. 4864-2202-अका-विपप्र-2012.—राज्य शासन द्वारा सहकारिता विभाग के अधिकारियों के लिये विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 10 अप्रैल 2012 को प्रश्नपत्र—बैंकिंग-तृतीय (बिना पुस्तकों के) विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है:—

अनु क्रमांक	परीक्षार्थी का नाम	पदनाम
(1)	(2)	(3)

**उच्चस्तर**

**इन्दौर संभाग**

1	श्री पुष्पेन्द्र कुमार कुशवाह	सहायक पंजीयक
2	कु. वर्षा श्रीवास	सहायक पंजीयक
3	कु. श्वेता रात	सहायक पंजीयक
4	श्री दिनेश कुमार चौरसिया	सहायक आयुक्त (सहकारिता)

**ग्वालियर संभाग**

5	श्रीमती आरती पटेल	सहायक आयुक्त (सहकारिता)
---	-------------------	-------------------------

**निम्नस्तर**

**उज्जैन संभाग**

1	श्री छबिकान्त वाघमारे	सहायक आयुक्त (सहकारिता)
---	-----------------------	-------------------------

क्र. 4866-2179-अका-विपप्र-2012-संशोधन.—राज्य शासन द्वारा विभागीय परीक्षा, माह अप्रैल 2012 को प्रश्नपत्र पंजीयन विधि तथा प्रक्रिया (पुस्तकों सहित-टिप्पणी रहित) जो कि पंजीयन विभाग के अधिकारियों के लिये था, जिसकी अधिसूचना क्रमांक 4578-2179-अका-विपप्र-2012, दिनांक 6 जून 2012 को जारी की गई थी, में आंशिक संशोधन अनुसार पढ़ा जाये है:—

अनु क्रमांक	परीक्षार्थी का नाम	पदनाम
(1)	(2)	(3)

**उच्चस्तर**

**इन्दौर संभाग**

1	कुं. क्षिप्रा सेना	उप पंजीयक
2	डॉ. मंजूलता पटेल	उप पंजीयक

**संशोधित अधिसूचना**

1	कुं. क्षिप्रा सेन	जिला पंजीयक
2	डॉ. मंजूलता पटेल	जिला पंजीयक

क्र. 4879-2128-अका-विपप्र-2012.—राज्य शासन द्वारा सामान्य प्रशासन, राजस्व एवं भू-अभिलेख विभाग के अधिकारियों के लिये विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 12 अप्रैल 2012 को प्रश्नपत्र—लेखा-

प्रथम (बिना पुस्तकों के) विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थी को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है:—

अनु क्रमांक	परीक्षार्थी का नाम	पदनाम
(1)	(2)	(3)

**उच्चस्तर**

**होशंगाबाद संभाग**

1	श्रीमती सरिता धुर्वे ठाकुर	सहायक अधीक्षक, भू-अभिलेख
2	श्री देवशंकर धुर्वे	सहायक अधीक्षक, भू-अभिलेख

**सागर संभाग**

3	डॉ. राकेश कुमार अहिरवार	सहायक अधीक्षक, भू-अभिलेख
4	श्री आदित्य सोनकिया	सहायक अधीक्षक, भू-अभिलेख
5	श्री श्रीपत अहिरवार	राजस्व निरीक्षक
6	श्री घनश्याम प्रसाद चौधरी	सहायक अधीक्षक, भू-अभिलेख

**जबलपुर संभाग**

7	श्री रेवाराम झारिया	राजस्व निरीक्षक
8	श्री रामप्रसाद मार्को	राजस्व निरीक्षक
9	श्री रायसिंह कुशराम	राजस्व निरीक्षक
10	श्रीमती मर्यादा बागड़े	सहायक अधीक्षक, भू-अभिलेख
11	श्री देवेन्द्र कुमार नेताम	राजस्व निरीक्षक
12	श्री तेजीराम उईके	राजस्व निरीक्षक
13	श्री लोकमन कोरी	राजस्व निरीक्षक
14	सुश्री निधि मार्को	राजस्व निरीक्षक

**ग्वालियर संभाग**

15	मोतीलाल जाटव	राजस्व निरीक्षक
16	श्री राम नरेश सिंह आर्य	राजस्व निरीक्षक
17	श्री भगवति शरण शिल्पकार	राजस्व निरीक्षक
18	श्री नरेश कुमार रायपुरिया	राजस्व निरीक्षक
19	श्री मोहम्मद रज्जाक खान	राजस्व निरीक्षक
20	श्री हरिशचन्द्र माहौर	राजस्व निरीक्षक
21	श्री अशोक भारती	राजस्व निरीक्षक
22	श्री अशोक कुमार गौतम	राजस्व निरीक्षक
23	श्री बलराम दोहरे	राजस्व निरीक्षक
24	श्री दिनानाथ किरार	राजस्व निरीक्षक
25	श्री रामनारायण सिंह	राजस्व निरीक्षक

**इंदौर संभाग**

26	श्री पवन कुमार वास्केल	सहायक अधीक्षक, भू-अभिलेख.
27	श्री रामदेव नैय्यर	राजस्व निरीक्षक
28	सुश्री रेशम गवली	सहायक अधीक्षक, भू-अभिलेख.
29	कु. वंदना शिन्दे	सहायक अधीक्षक, भू-अभिलेख.

(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)
30	श्री पूनमचन्द बघेल	राजस्व निरीक्षक	16	श्री लखन लाल लोधी	राजस्व निरीक्षक
31	सुश्री श्वेता जमरा	सहायक अधीक्षक, भू-अभिलेख.	17	श्री राजेन्द्र कुमार श्रीवास्तव	राजस्व निरीक्षक
32	श्री बाबूसिंह निनामा	राजस्व निरीक्षक	18	श्री केशरी चन्द बघेल	राजस्व निरीक्षक
<b>उज्जैन संभाग</b>			19	श्री कल्याण सिंह क्षत्रिय	राजस्व निरीक्षक
33	सुश्री प्रीति चौहान	सहायक अधीक्षक, भू-अभिलेख.	20	श्री धर्मराज तुरकर	राजस्व निरीक्षक
34	श्री भारत कुमार देवड़ा	राजस्व निरीक्षक	21	श्री लालमणि पाण्डेय	राजस्व निरीक्षक
<b>शहडोल संभाग</b>			22	श्री शैलेश गौड़	राजस्व निरीक्षक
35	श्री संतोष कुमार चौधरी	राजस्व निरीक्षक	23	श्री गणेश प्रसाद सिंगौरै	राजस्व निरीक्षक
36	श्री द्वारका प्रसाद दहायत	राजस्व निरीक्षक	24	श्री देवेन्द्र कुमार सिंगौरै	राजस्व निरीक्षक
<b>भोपाल संभाग</b>			25	श्री महेन्द्र कुमार सिंगौरै	राजस्व निरीक्षक
37	श्री शनिपाल शाह परतेती	राजस्व निरीक्षक	26	श्री अनिल कुमार मिश्रा	राजस्व निरीक्षक
38	श्री राजेन्द्र सिंह	राजस्व निरीक्षक	27	श्री रतन सिंह कुवेती	राजस्व निरीक्षक
39	श्री संतोष पथारिया	राजस्व निरीक्षक	28	श्रीमती मंजूषा शर्मा	सहायक अधीक्षक, भू-अभिलेख.
40	श्री विक्रम सिंह खटिक	राजस्व निरीक्षक	29	श्री हेमराज झारिया	राजस्व निरीक्षक
41	श्री कोमल सिंह चढ़ार	राजस्व निरीक्षक	30	श्रीमती मंजूषा महोबिया	राजस्व निरीक्षक
42	श्री श्याम सिंह तारे	राजस्व निरीक्षक	31	श्री राजकुमार नामदेव	राजस्व निरीक्षक
43	श्री करन्जूलाल अहिरवार	राजस्व निरीक्षक	32	सुश्री स्मृति खण्डेवाल	सहायक अधीक्षक, भू-अभिलेख.
<b>निम्नस्तर</b>			33	श्री राजकुमार उईके	राजस्व निरीक्षक
<b>होशंगाबाद संभाग</b>			34	श्रीमती दुर्गा पटेल	राजस्व निरीक्षक
1	कु. ज्योति ढोके	सहायक अधीक्षक, भू-अभिलेख.	35	श्री आर. के. कटारया	राजस्व निरीक्षक
2	श्री तीरथ प्रसाद इरपाची	राजस्व निरीक्षक	36	श्री इन्द्रजीत सिंह	राजस्व निरीक्षक
<b>सागर संभाग</b>			37	श्री अवधेश श्याम पटेल	राजस्व निरीक्षक
3	डॉ. अनिल कुमार गुप्ता	सहायक अधीक्षक, भू-अभिलेख.	38	श्री ज्ञानचंद राय	राजस्व निरीक्षक
4	श्री प्रभुदयाल गुप्ता	सहायक अधीक्षक, भू-अभिलेख.	39	श्री रामलोचन तिवारी	राजस्व निरीक्षक
5	श्री प्रेम प्रकाश गोस्वामी	राजस्व निरीक्षक	40	श्री राजकुमार श्रीपाल	राजस्व निरीक्षक
6	श्री सुरेश चंद अवस्थी	राजस्व निरीक्षक	41	श्री आलोक कुमार सोनी	राजस्व निरीक्षक
7	श्री जयहिन्द सिंह गौड़	राजस्व निरीक्षक	42	श्री राजाराम दीक्षित	राजस्व निरीक्षक
8	श्री रज्जन सिंह	राजस्व निरीक्षक	43	श्री दीपक कुमार मेश्राम	राजस्व निरीक्षक
9	श्री प्रीतम सिंह	राजस्व निरीक्षक	44	श्री हीरालाल तिवारी	सहायक अधीक्षक, भू-अभिलेख.
10	श्रीमती वर्षा शर्मा	राजस्व निरीक्षक	<b>ग्वालियर संभाग</b>		
11	श्री राजेश मेहरा	राजस्व निरीक्षक	45	श्री अलोइस लकड़ा	अधीक्षक
<b>जबलपुर संभाग</b>			46	श्री महेन्द्र सिंह कौरव	सहायक अधीक्षक, भू-अभिलेख.
12	श्री अनुप कुमार चौरसिया	राजस्व निरीक्षक	47	श्री शशिकान्त गुप्ता	राजस्व निरीक्षक
13	श्री योगेश कुमार शुक्ला	राजस्व निरीक्षक	48	श्री विश्राम सिंह बघेल	राजस्व निरीक्षक
14	श्री शिव प्रसाद कोरी	राजस्व निरीक्षक	49	श्री श्याम सुन्दर सराहिया	राजस्व निरीक्षक
15	श्री रतन सिंह धुर्वे	राजस्व निरीक्षक	50	श्री प्रदीप कुमार वर्मा	राजस्व निरीक्षक
			51	श्री हरिओम सिंह गुर्जर	राजस्व निरीक्षक
			52	श्री रामप्रकाश कनेरिया	राजस्व निरीक्षक
			53	श्री बलबीर सिंह भदौरिया	राजस्व निरीक्षक
			54	श्री मुरारीलाल उप्रैती	राजस्व निरीक्षक
			55	श्री तरसी सियुस लकड़ा	राजस्व निरीक्षक
			56	श्री मानसिंह रावत	राजस्व निरीक्षक
			57	श्री रतिराम रावत	राजस्व निरीक्षक

(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)
58	श्री विनोद सिंह तौमर	राजस्व निरीक्षक	100	श्री हरिशंकर नामदेव	राजस्व निरीक्षक
59	श्री दिलीप दरोगा	राजस्व निरीक्षक	101	श्री विवेक कुमार शर्मा	सहायक अधीक्षक, भू-अभिलेख.
60	श्री राजेन्द्र श्रीवास्त	राजस्व निरीक्षक	102	श्री प्रमोद कुमार शर्मा	राजस्व निरीक्षक
61	सुश्री काजल दीक्षित	सहायक अधीक्षक, भू-अभिलेख.	103	श्री रूपसिंह राजपूत	सहायक अधीक्षक, भू-अभिलेख.
62	श्री दिनेश कुमार व्यास	राजस्व निरीक्षक	104	श्री राकेश मित्तल	राजस्व निरीक्षक
63	श्री घनश्याम शर्मा	राजस्व निरीक्षक	105	श्री प्रदीप कुमार गुप्ता	सहायक अधीक्षक, भू-अभिलेख.
64	श्री प्रज्ञेश पचौरी	राजस्व निरीक्षक	<b>शहडोल संभाग</b>		
65	सुश्री नीलम जैन	राजस्व निरीक्षक	106	श्री लक्ष्मीकान्त शर्मा	राजस्व निरीक्षक
66	श्री राजेश वत्स	सहायक अधीक्षक, भू-अभिलेख.	107	श्री दिलीप कुमार श्रीवास्तव	राजस्व निरीक्षक
67	श्री निरंजन सिंह राजपूत	राजस्व निरीक्षक	108	श्रीमती विमला सिंह	राजस्व निरीक्षक
68	श्री मदन मोहन शर्मा	सहायक अधीक्षक, भू-अभिलेख.	109	श्री प्रेमलाल चौधरी	राजस्व निरीक्षक
69	श्री ए. के. सिंह	राजस्व निरीक्षक	110	श्री शिवकुमार सिंह	राजस्व निरीक्षक
70	श्री मोहन लाल शर्मा	राजस्व निरीक्षक	111	श्री उमेश्वर साय पैकरा	राजस्व निरीक्षक
71	श्री संजय चौरसिया	सहायक अधीक्षक, भू-अभिलेख.	112	श्री दिलीप सिंह	राजस्व निरीक्षक
72	श्री अशोक कुमार श्रीवास्तव	राजस्व निरीक्षक	113	श्री उपेन्द्र कुमार द्विवेदी	राजस्व निरीक्षक
73	श्री शैलेन्द्र देव सिंह सेंगर	राजस्व निरीक्षक	114	श्री मोहनलाल वर्मा	राजस्व निरीक्षक
74	श्री गजेन्द्र सिंह मीना	राजस्व निरीक्षक	115	श्री विनोद कुमार वर्मा	राजस्व निरीक्षक
75	श्री अनिल सिंह भदौरिया	राजस्व निरीक्षक	116	श्री संदीप कुमार बघेल	राजस्व निरीक्षक
76	श्री इलखुराम भगत	अधीक्षक	117	श्री विनोद कुमार सिंह	राजस्व निरीक्षक
<b>इंदौर संभाग</b>			<b>भोपाल संभाग</b>		
77	श्री प्रदीप शिगलू	राजस्व निरीक्षक	118	श्री योगेश्वर सिंह भारतीय	राजस्व निरीक्षक
78	श्री महेन्द्र कुमार बड़ोले	राजस्व निरीक्षक	119	श्री गोविन्द सिंह यादव	राजस्व निरीक्षक
79	श्री राजकुमार खरे	राजस्व निरीक्षक	120	श्री थानसिंह गोड़	राजस्व निरीक्षक
80	श्री श्रीकान्त बनोट	सहायक कलेक्टर	121	श्री शंकर सिंह ठाकुर	राजस्व निरीक्षक
81	श्री श्रीकान्त सारोलकर	राजस्व निरीक्षक	122	श्री शिबूसिंह कसोरमा	राजस्व निरीक्षक
82	श्री नरेश बिबलकर	राजस्व निरीक्षक	123	श्री उमाशंकर विश्वकर्मा	राजस्व निरीक्षक
83	श्री संतोष पाराशर	राजस्व निरीक्षक	124	श्री मिश्री लाल अग्रवाल	राजस्व निरीक्षक
84	श्री भीमराव वानखेडे	राजस्व निरीक्षक	125	श्री ललित सक्सेना	राजस्व निरीक्षक
85	श्री राघवेन्द्र पवनीकर	राजस्व निरीक्षक	126	श्री सत्यप्रकाश शर्मा	राजस्व निरीक्षक
86	श्री सुरेश चन्द्र सक्सेना	राजस्व निरीक्षक	127	श्री रतिराम अहिरवार	राजस्व निरीक्षक
87	श्री सुधीर शर्मा	राजस्व निरीक्षक	128	श्री रणधीर सिंह मीना	राजस्व निरीक्षक
88	श्री नीरज कुमार बैस	राजस्व निरीक्षक	129	श्री अनिल गन्हाडे	राजस्व निरीक्षक
89	श्री जगराम शाक्य	राजस्व निरीक्षक	130	श्री सुमन्त पोल टाईट्स	राजस्व निरीक्षक
90	श्री आर्दश शर्मा	नायब तहसीलदार	131	श्री शरीफ अहमद	राजस्व निरीक्षक
91	श्री हरिबाबू श्रीवास्तव	नायब तहसीलदार	132	श्री राकेश कुमार वर्मा	राजस्व निरीक्षक
92	श्री मुकेश मालवीय	राजस्व निरीक्षक	133	श्रीमती इन्दु गौड़	राजस्व निरीक्षक
93	श्री राधेश्याम धाकड़	राजस्व निरीक्षक	134	श्री शिवराम चढ़ार	राजस्व निरीक्षक
94	श्री दशरथ सिंह राजपूत	सहायक अधीक्षक, भू-अभिलेख.			
95	सुश्री प्रीति चौहान	सहायक अधीक्षक, भू-अभिलेख.			
96	श्री लोकेश आहुजा	राजस्व निरीक्षक			
97	सुश्री प्रियंका जैन	राजस्व निरीक्षक			
98	श्री रामेश्वर डामर	राजस्व निरीक्षक			
99	श्री जगत सिंह ठाकुर	राजस्व निरीक्षक			

क्र. 4884-2198-वपप्र-2012.—राज्य शासन द्वारा सामान्य प्रशासन, राजस्व एवं भू-अभिलेख विभाग के अधिकारियों के लिये विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 11 अप्रैल 2012 को प्रश्नपत्र—

प्रशासनिक, राजस्व विधि तथा प्रक्रिया-तृतीय विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थी को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है:—

अनु. परीक्षार्थी का नाम पदनाम  
(1) (2) (3)

## उच्चस्तर

## होशंगाबाद संभाग

1	कु. ज्योति ढोके	सहायक अधीक्षक, भू-अभिलेख.
2	श्री देवशंकर धुर्वे	सहायक अधीक्षक, भू-अभिलेख.
3	श्रीमती सरिता धुर्वे	सहायक अधीक्षक, भू-अभिलेख.
4	श्री तीरथ प्रसाद ईरपाची	राजस्व निरीक्षक
5	श्री कर्मवीर शर्मा	सहायक कलेक्टर

## सागर संभाग

6	श्रीमती प्रीति मैथिल	सहायक कलेक्टर (सश्रेय)
7	श्रीमती वर्षा शर्मा	सहायक अधीक्षक भू-अभिलेख.
8	श्री घनश्याम प्रसाद चौधरी	सहायक अधीक्षक, भू-अभिलेख.
9	श्री श्रीपत अहिरवार	राजस्व निरीक्षक
10	श्री प्रीतम सिंह	राजस्व निरीक्षक
11	श्री राजेश मेहरा	राजस्व निरीक्षक
12	श्री सुरेश चन्द्र अवस्थी	राजस्व निरीक्षक
13	श्री प्रेम प्रकाश गोस्वामी	राजस्व निरीक्षक
14	श्री आदित्य कुमार सोनकिया	सहायक अधीक्षक, भू-अभिलेख.
15	श्री प्रभुदयाल गुप्ता	सहायक अधीक्षक, भू-अभिलेख.
16	डॉ. अनिल कुमार गुप्ता	सहायक अधीक्षक, भू-अभिलेख.
17	डॉ. राकेश कुमार अहिरवार	सहायक अधीक्षक, भू-अभिलेख.

## भोपाल संभाग

18	श्री शनिपाल शाह परतेती	राजस्व निरीक्षक
19	श्री राजेन्द्र सिंह	राजस्व निरीक्षक
20	श्री धनीराम अहिरवार	राजस्व निरीक्षक
21	श्री संतोष पथोरिया	राजस्व निरीक्षक
22	श्री विक्रम सिंह खटीक	राजस्व निरीक्षक
23	श्री शिवराम चढ़ार	राजस्व निरीक्षक
24	श्री शिबूसिंह कसोरमा	राजस्व निरीक्षक
25	श्री कोमल सिंह चढ़ार	राजस्व निरीक्षक
26	श्री रतिराम अहिरवार	राजस्व निरीक्षक
27	श्री रणधीर सिंह मीणा	राजस्व निरीक्षक
28	कु. रितु चौहान	डिप्टी कलेक्टर
29	कु. तृप्ति श्रीवास्तव	डिप्टी कलेक्टर (सश्रेय)
30	श्री श्यामसिंह तारे	राजस्व निरीक्षक
31	श्री तरुण राठी	सहायक कलेक्टर

(1) (2) (3)

32	सुश्री सुफिया फारूकी	सहायक कलेक्टर
33	श्री विजय सिंह सराठिया	सहायक अधीक्षक, भू-अभिलेख.
34	कु. टीना यादव	डिप्टी कलेक्टर

## जबलपुर संभाग

35	श्री देवेन्द्र सिंह नेताम	राजस्व निरीक्षक
36	श्री रविशंकर धुर्वे	राजस्व निरीक्षक
37	श्री रामराज चौधरी	राजस्व निरीक्षक
38	श्री तेजीराम उईके	राजस्व निरीक्षक
39	कु. निधि मार्को	सहायक अधीक्षक, भू-अभिलेख.
40	श्री दीपक कुमार मेश्राम	राजस्व निरीक्षक
41	श्रीमती मर्यादा बागड़े	सहायक अधीक्षक, भू-अभिलेख.
42	श्री ज्ञानचंद राय	राजस्व निरीक्षक
43	श्री देवेन्द्र प्रसाद सिंगौरें	राजस्व निरीक्षक
44	श्री पुष्पेन्द्र पाण्डेय	राजस्व निरीक्षक
45	श्री सुरेश उपाध्याय	राजस्व निरीक्षक
46	श्री तीरथ प्रसाद अहारया	राजस्व निरीक्षक
47	श्रीमती मंजूषा शर्मा	सहायक अधीक्षक, भू-अभिलेख.
48	श्री राजेश तिवारी	राजस्व निरीक्षक
49	श्री धर्मराज तुरकर	राजस्व निरीक्षक
50	श्री आशीष सिंह	सहायक कलेक्टर
51	श्री योगेश कुमार शुक्ला	राजस्व निरीक्षक

## ग्वालियर संभाग

52	श्री अलोईस लकड़ा	अधीक्षक
53	श्री महेन्द्र सिंह कौरव	सहायक अधीक्षक, भू-अभिलेख.
54	श्री मोतीलाल जाटव	राजस्व निरीक्षक
55	श्री शशिकान्त गुप्ता	राजस्व निरीक्षक
56	श्री रामनरेश आर्य	राजस्व निरीक्षक
57	श्री विश्राम सिंह बघेल	राजस्व निरीक्षक
58	श्री भगवति शरण शिल्पकार	राजस्व निरीक्षक
59	श्री श्याम सुन्दर सराहिया	राजस्व निरीक्षक
60	श्री नरेश कुमार रायपुरिया	राजस्व निरीक्षक
61	श्री हरिओम सिंह गुर्जर	राजस्व निरीक्षक
62	श्री मोहम्मद रज्जाक खान	राजस्व निरीक्षक
63	श्री बलबीर सिंह भदौरिया	राजस्व निरीक्षक
64	श्री मुरारीलाल उप्रैती	राजस्व निरीक्षक
65	श्री तरसी सियुस लकड़ा	राजस्व निरीक्षक
66	श्री मानसिंह रावत	राजस्व निरीक्षक
67	श्री रतिराम रावत	राजस्व निरीक्षक
68	श्री फूलसिंह जादौन	सहायक अधीक्षक, भू-अभिलेख.
69	श्री विनोद सिंह तोमर	राजस्व निरीक्षक
70	श्री दिलीप दरोगा	राजस्व निरीक्षक
71	श्री राजेन्द्र श्रीवास्तव	राजस्व निरीक्षक
72	श्री मुन्नासिंह गुर्जर	राजस्व निरीक्षक
73	श्री दिनेश कुमार व्यास	राजस्व निरीक्षक
74	श्री अजय शंकर शर्मा	राजस्व निरीक्षक

(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)
75	श्री नरेन्द्र कुमार जैन	राजस्व निरीक्षक	113	श्री सुधीर शर्मा	राजस्व निरीक्षक
76	श्री घनश्याम शर्मा	राजस्व निरीक्षक	114	श्री पूनमसिंह बघेल	राजस्व निरीक्षक
77	श्री भूदेवसिंह महोबिया	राजस्व निरीक्षक	115	श्रीमती वंदना शिन्दे	सहायक अधीक्षक, भू-अभिलेख.
78	सुश्री नीलम जैन	सहायक अधीक्षक, भू-अभिलेख.	116	श्री रामदेव नैय्यर	राजस्व निरीक्षक
79	श्री प्रज्ञेश पचौरी	सहायक अधीक्षक, भू-अभिलेख.	117	श्री पवन कुमार वास्कले	सहायक अधीक्षक, भू-अभिलेख.
80	श्री निरंजन सिंह राजपूत	राजस्व निरीक्षक	118	श्री कैलाश सिसोदिया	राजस्व निरीक्षक
81	श्री मदन मोहन शर्मा	सहायक अधीक्षक, भू-अभिलेख.	119	श्री विजय महाजन	राजस्व निरीक्षक
82	श्री ए. के. सिंह	राजस्व निरीक्षक	120	श्री कन्हेदीलाल जैन	राजस्व निरीक्षक
83	श्री मोहन लाल शर्मा	राजस्व निरीक्षक	121	श्री नरेश बिबलकर	राजस्व निरीक्षक
84	श्री राजेश राठौर	डिप्टी कलेक्टर	122	श्री कुलदीप खेड़े	राजस्व निरीक्षक
85	श्री संजय चौरसिया	सहायक अधीक्षक, भू-अभिलेख.	123	श्री श्रीकान्त सारोलकर	राजस्व निरीक्षक
86	श्री अशोक कुमार गौतम	राजस्व निरीक्षक	124	श्री अमरचंद यादव	राजस्व निरीक्षक
87	श्री बलराम दोहरे	राजस्व निरीक्षक	125	श्री श्रीकान्त बनोट	सहायक कलेक्टर
88	श्री दिनानाथ किरार	राजस्व निरीक्षक	126	श्री सुन्दरलाल ठाकुर	राजस्व निरीक्षक
89	श्री रामनारायण सिंह	राजस्व निरीक्षक	127	श्री कुवंर सिंह चौहान	सहायक अधीक्षक, भू-अभिलेख.
90	श्री अशोक कुमार श्रीवास्तव	राजस्व निरीक्षक	128	श्री माधव सिंह रावत	सहायक अधीक्षक, भू-अभिलेख.
91	श्री शैलेन्द्र देव सिंह सेंगर	राजस्व निरीक्षक			
92	श्री राजेन्द्र सिंह मीना	सहायक अधीक्षक, भू-अभिलेख.			निम्नस्तर
93	श्री अनिल सिंह भदौरिया	राजस्व निरीक्षक			सागर संभाग
94	श्री धीरज सिंह परिहार	राजस्व निरीक्षक	1	श्री जयहिन्द सिंह गौड़	राजस्व निरीक्षक
95	डॉ. योगेन्द्र बाबू शुक्ला	राजस्व निरीक्षक	2	श्री मनीराम गौड़	राजस्व निरीक्षक
96	श्री उत्तम कुमार शर्मा	राजस्व निरीक्षक			भोपाल संभाग
97	श्री सुरेश यादव	राजस्व निरीक्षक	3	श्री योगेश्वर भारतीय	राजस्व निरीक्षक
	<b>उज्जैन संभाग</b>		4	श्री गोविन्द सिंह यादव	राजस्व निरीक्षक
98	श्री श्यामेन्द्र जायसवाल	डिप्टी कलेक्टर	5	श्री धानसिंह गौड़	राजस्व निरीक्षक
99	श्री दशरथ सिंह राजपूत	सहायक अधीक्षक, भू-अभिलेख.	6	श्री शंकर सिंह ठाकुर	राजस्व निरीक्षक
100	श्रीमती प्रीति चौहान	सहायक अधीक्षक, भू-अभिलेख.	7	श्रीमती इन्दु गौड़	राजस्व निरीक्षक
	<b>शहडोल संभाग</b>		8	श्री उमाशंकर विश्वकर्मा	राजस्व निरीक्षक
101	श्री लक्ष्मीकांत शर्मा	राजस्व निरीक्षक	9	श्री मिश्रीलाल अग्रवाल	राजस्व निरीक्षक
102	श्री के. एम. चौधरी	अधीक्षक	10	श्री ललित सक्सेना	राजस्व निरीक्षक
103	श्री रामाधार अहिरवार	राजस्व निरीक्षक	11	श्री अनिल गव्हाड़े	राजस्व निरीक्षक
	<b>इंदौर संभाग</b>		12	श्री सुमन्त लाल टाईट्स	राजस्व निरीक्षक
104	श्री रणजीत सिंह बघेल	राजस्व निरीक्षक	13	श्री शरीफ अहमद	राजस्व निरीक्षक
105	श्री इगुसिंह गणावा	राजस्व निरीक्षक	14	श्री राजेश कुमार धाड़से	राजस्व निरीक्षक
106	श्री बाबूसिंह निनामा	राजस्व निरीक्षक			जबलपुर संभाग
107	कु. श्वेता जमरा	सहायक अधीक्षक, भू-अभिलेख.	15	श्री रधवा कौल	राजस्व निरीक्षक
108	श्री धुलिया पालिया	राजस्व निरीक्षक	16	श्री राजेन्द्र प्रसाद झारिया	राजस्व निरीक्षक
109	श्री देवराम निहरता	राजस्व निरीक्षक	17	श्री प्रसन्न कुमार वर्मा	राजस्व निरीक्षक
110	श्री आर. सी. मण्डलोई	अधीक्षक	18	श्री लोकमन कोरी	राजस्व निरीक्षक
111	श्री संतोष कुमार सोनकिया	राजस्व निरीक्षक	19	श्री राजाराम दीक्षित	राजस्व निरीक्षक
112	श्री जगराम शाक्य	सहायक अधीक्षक, भू-अभिलेख.	20	श्री चन्द्रभान दीवान	राजस्व निरीक्षक
			21	श्री उमराव सिंह ठाकुर	राजस्व निरीक्षक
			22	श्री हीरालाल तिवारी	राजस्व निरीक्षक
			23	श्री राम प्रताप सिंह ठाकुर	राजस्व निरीक्षक
			24	श्री अवधेश कुमार पटेल	राजस्व निरीक्षक
			25	श्री रामलोचन तिवारी	राजस्व निरीक्षक
			26	श्री राजकुमार श्रीपाल	राजस्व निरीक्षक
			27	श्री आलोक कुमार सोनी	राजस्व निरीक्षक

(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)
28	श्रीमती मंजूला महोलिया	राजस्व निरीक्षक	72	श्री बालाप्रसाद शर्मा	राजस्व निरीक्षक
29	श्री राजकुमार नामदेव	राजस्व निरीक्षक	73	श्री अशोक भारती	राजस्व निरीक्षक
30	श्री भरतलाल पाटिलकर	सहायक अधीक्षक, भू- अभिलेख.	74	श्री राजेश वत्स	राजस्व निरीक्षक
31	श्री राजकुमार उईके	राजस्व निरीक्षक	<b>उज्जैन संभाग</b>		
32	श्री राजेन्द्र सिंह टेकाम	राजस्व निरीक्षक	75	श्री लोकाेश आहुजा	सहायक अधीक्षक, भू- अभिलेख.
33	श्रीमती दुर्गा पटेल	सहायक अधीक्षक, भू- अभिलेख.	76	श्री लघुनाथ मचार	राजस्व निरीक्षक
34	श्री इन्द्रजीत सिंह	राजस्व निरीक्षक	77	श्री विवेक कुमार शर्मा	राजस्व निरीक्षक
35	श्री गणेश प्रसाद सिगौरें	राजस्व निरीक्षक	78	श्री दयाराम निगम	राजस्व निरीक्षक
36	श्री महेन्द्र कुमार सिगौरें	राजस्व निरीक्षक	79	श्री प्रदीप कुमार गुप्ता	राजस्व निरीक्षक
37	श्री अनिलकुमार मिश्रा	राजस्व निरीक्षक	80	श्री कैलाश परिहार	राजस्व निरीक्षक
38	श्री हिम्मत सिंह सनोडिया	राजस्व निरीक्षक	81	श्री विनोद पटेल	राजस्व निरीक्षक
39	श्री राजकुमार खरे	राजस्व निरीक्षक	<b>शहडोल संभाग</b>		
40	श्री धर्मेन्द्र साहू	राजस्व निरीक्षक	82	श्रीमती विमला सिंह	राजस्व निरीक्षक
41	श्री चन्द्र किशोर काकोडिया	राजस्व निरीक्षक	83	श्री प्रेमलाल चौधरी	राजस्व निरीक्षक
42	श्री रतनसिंह कुर्वेती	राजस्व निरीक्षक	84	श्री शिव कुमार सिंह	राजस्व निरीक्षक
43	श्री रमेश कुमार मरावी	राजस्व निरीक्षक	85	श्री उपेन्द्र कुमार द्विवेदी	राजस्व निरीक्षक
44	श्री अमृतलाल धुर्वे	राजस्व निरीक्षक	86	श्री संतोष कुमार चौधरी	राजस्व निरीक्षक
45	श्री हेमराम झारिया	राजस्व निरीक्षक	87	श्री द्वारका प्रसाद दहायत	राजस्व निरीक्षक
46	श्री केशरीचंद बघेल	राजस्व निरीक्षक	88	श्री विनोद सिंह	राजस्व निरीक्षक
47	श्री कल्याण सिंह क्षत्रिय	राजस्व निरीक्षक	89	श्री अंकुर मेश्राम	डिप्टी कलेक्टर
48	श्री बलराम सिंह बघेल	नायब तहसीलदार	90	श्री दिलीप सिंह	राजस्व निरीक्षक
49	श्री नरेश कुमार खरे	राजस्व निरीक्षक	<b>इन्दौर संभाग</b>		
50	श्री मंगलसिंह मार्को	सहायक अधीक्षक, भू- अभिलेख.	91	श्री धनजी गरवाल	राजस्व निरीक्षक
51	श्री जयसिंह धुर्वे	राजस्व निरीक्षक	92	राधेश्याम धाकड़	राजस्व निरीक्षक
52	श्री प्रेम नारायण सिंह		93	श्री मुकेश मालवीय	राजस्व निरीक्षक
53	श्री बी. के. सिंह मार्को	राजस्व निरीक्षक	94	श्री हरिबाबू श्रीवास्तव	नायब तहसीलदार
54	श्री मनीराम आर्मो	राजस्व निरीक्षक	95	श्री आदर्श शर्मा	नायब तहसीलदार
55	श्री लालमणि पाण्डे	राजस्व निरीक्षक	96	श्री संतोष कुमरा कुशवाह	नायब तहसीलदार
56	श्री चैनसिंह मार्को	राजस्व निरीक्षक	97	श्री योगेश मलतारे	राजस्व निरीक्षक
57	श्री शैलेश गोड	राजस्व निरीक्षक	98	कु. रेशम गवली	सहायक अधीक्षक, भू- अभिलेख.
58	श्री रेवाराम झारिया	राजस्व निरीक्षक	99	श्री राघवेन्द्र पवनीकर	राजस्व निरीक्षक
59	श्री रामप्रसाद मार्को	राजस्व निरीक्षक	100	श्री भगवान दास तनखानिया	राजस्व निरीक्षक
60	श्री राजेन्द्र प्रसाद सेन	राजस्व निरीक्षक	101	श्री भीमराव वानखेडे	राजस्व निरीक्षक
61	श्री राजेश कुमार पटवा	राजस्व निरीक्षक	102	श्री सुनील कुमार बागुल	राजस्व निरीक्षक
62	श्री अनूप कुमार चौरसिया	राजस्व निरीक्षक	103	श्री संतोष पाटील	राजस्व निरीक्षक
63	श्री ओम प्रकाश सनोडिया	राजस्व निरीक्षक	104	श्री चन्द्रपाल पॉल	राजस्व निरीक्षक
64	श्री जगदीश प्रसाद सिंगौरें	राजस्व निरीक्षक	105	श्री रमेशचन्द्र चौहान	राजस्व निरीक्षक
65	श्री शिवप्रसाद कौरि	राजस्व निरीक्षक	106	श्री रजान सस्तिया	राजस्व निरीक्षक
66	श्री रतनसिंह धुर्वे	राजस्व निरीक्षक	107	श्री बसंत कुमार बरखानिया	राजस्व निरीक्षक
67	श्री लखन लाल लोधी	राजस्व निरीक्षक	108	श्री रविन्द्र कुमार डामर	राजस्व निरीक्षक
<b>ग्वालियर संभाग</b>			109	श्री प्रदीप शिंगुल	राजस्व निरीक्षक
68	श्री प्रदीप कुमार वर्मा	राजस्व निरीक्षक	110	श्री दीलिप गंगराड़े	राजस्व निरीक्षक
69	श्री राम प्रकाश कनेरिया	राजस्व निरीक्षक	111	श्री अभय भटोरे	राजस्व निरीक्षक
70	श्री हरिशचन्द्र माहौर	राजस्व निरीक्षक	112	श्री आपसिंह कटारा	सहायक अधीक्षक, भू- अभिलेख.
71	सुश्री काजल दीक्षित	सहायक अधीक्षक, भू- अभिलेख.			

क्र. 4886-2185-अका-विपप्र-2012.—राज्य शासन द्वारा वन विभाग के अधिकारियों के लिये विभागीय परीक्षा, जो कि दिनांक 13 अप्रैल 2012 को प्रश्न-पत्र प्रक्रिया एवं लेखा (पुस्तकों सहित) विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है:—

अनुक्रमांक	परीक्षार्थी का नाम	पदनाम
(1)	(2)	(3)
<b>उज्जैन संभाग</b>		
1	श्री प्रदीप कछावा	वन क्षेत्रपाल
2	श्री अनपुम सहाय	वन क्षेत्रपाल
<b>इन्दौर संभाग</b>		
3	श्री विजय कुमार रैना	सहायक वन संरक्षक
4	श्री कैलाश भदकारे	सहायक वन संरक्षक
5	श्री रामचन्द्र गहलोट	वन क्षेत्रपाल
6	श्री फलेसिंह निनामा	वन क्षेत्रपाल
7	श्री अंतरसिंह ओहरिया	वन क्षेत्रपाल
<b>शहडोल संभाग</b>		
8	श्री रणजीत सिंह उईके	सहायक वन संरक्षक
9	श्री सुरेश बरोले	वन क्षेत्रपाल
10	श्री ओ. पी. गोस्वामी	सहायक वन संरक्षक
11	श्री राहुल मिश्रा	सहायक वन संरक्षक
<b>रीवा संभाग</b>		
12	श्री आर. के. सिंह	वन क्षेत्रपाल
13	श्री मितेन्द्र कुमार चिचखेड़े	वन क्षेत्रपाल
14	श्री गणेश कुमार उईके	वन क्षेत्रपाल
15	श्री सुन्दर दास सोनवानी	वन क्षेत्रपाल
16	श्री आर. एस. कुशवाह	वन क्षेत्रपाल
17	श्री एस. के. मिश्रा	सहायक वन संरक्षक

#### जबलपुर संभाग

18	श्री एस. के. खरे	वन क्षेत्रपाल
19	श्री अमित सोनी	वन क्षेत्रपाल
20	डॉ. किरण बिसेन	सहायक वन संरक्षक
21	श्री विक्रम सिंह सोलंकी	सहायक वन संरक्षक
22	श्री विनय कुमार मेश्राम	वन क्षेत्रपाल
23	श्री मनोज कुमार सोलंकी	वन क्षेत्रपाल
24	श्री विरेन्द्र सिंह जामोर	वन क्षेत्रपाल

(1)	(2)	(3)
25	श्री संदीप कुमार गौतम	वन क्षेत्रपाल
26	श्री आर. सी. गुप्ता	वन क्षेत्रपाल
<b>ग्वालियर संभाग</b>		
27	श्री सुरेश कुमार पाराशर	वन क्षेत्रपाल
28	श्री अनूप कुमार श्रीवास्तव	वन क्षेत्रपाल
29	श्री श्रीकृष्ण सिंह भदौरिया	वन क्षेत्रपाल
30	श्री सुनील कुमार	वन क्षेत्रपाल
31	श्री दशरथ अखण्ड	वन क्षेत्रपाल
32	श्री ललित कुमार पाण्डेय	वन क्षेत्रपाल
33	श्री भानेन्द्र कुमार शर्मा	वन क्षेत्रपाल
34	श्री अनूप कुमार पाराशर	वन क्षेत्रपाल
35	श्री उदयभान मांझी	सहायक वन संरक्षक
36	श्री के. के. शर्मा	सहायक वन संरक्षक

#### होशंगाबाद संभाग

37	श्री प्रशांत कुमार सिंह	वन क्षेत्रपाल
38	श्री मनेन्द्र सिंह जयंत	वन क्षेत्रपाल
39	श्री मधु बी राज	सहायक वन संरक्षक
40	श्री मुकेश कुमार जामोर	वन क्षेत्रपाल

#### भोपाल संभाग

41	श्री ब्रम्ह प्रताप सिंह	वन क्षेत्रपाल
42	श्री विजेन्द्र सिंह यादव	वन क्षेत्रपाल
43	श्री डी. पी. गुप्ता	वन क्षेत्रपाल
44	श्री एस. के. उदयपुरे	वन क्षेत्रपाल
45	श्री वीरेन्द्र सिंह यादव	वन क्षेत्रपाल
46	श्री बी. के. सनाढ्य	सहायक वन संरक्षक

क्र. 4888-2177-वपप्र-2012.—राज्य शासन द्वारा सामान्य प्रशासन, राजस्व एवं भू-अभिलेख विभाग के अधिकारियों के लिये विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 9 अप्रैल 2012 को प्रश्न-पत्र प्रथम-दाण्डिक विधि तथा प्रक्रिया विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है:—

अनुक्रमांक	परीक्षार्थी का नाम	पदनाम
(1)	(2)	(3)

#### उच्चस्तर

#### जबलपुर संभाग

1	श्री हीरालाल तिवारी	सहायक अधीक्षक, भू-अभिलेख
---	---------------------	--------------------------



(1)	(2)	(3)
	<b>इन्दौर संभाग</b>	
2	श्री पवन कुमार वास्कले	सहायक अधीक्षक, भू-अभिलेख

**शहडोल संभाग**

3	श्री गोरेलाल मरावी	राजस्व निरीक्षक
---	--------------------	-----------------

**निम्नस्तर**

**होशंगाबाद संभाग**

1	श्री तीरथ प्रसाद ईरपाची	राजस्व निरीक्षक
2	श्री देवशंकर धुर्वे	सहायक अधीक्षक, भू-अभिलेख

**सागर संभाग**

3	डॉ. अनिल कुमार गुप्ता	सहायक अधीक्षक, भू-अभिलेख
4	श्री प्रभुदयाल गुप्ता	सहायक अधीक्षक, भू-अभिलेख
5	श्री घनश्याम चौधरी	सहायक अधीक्षक, भू-अभिलेख
6	डॉ. राकेश कुमार अहिरवार	सहायक अधीक्षक, भू-अभिलेख
7	श्री आदित्य सोनकिया	सहायक अधीक्षक, भू-अभिलेख

**भोपाल संभाग**

8	श्री शनिपाल शाह परतेती	राजस्व निरीक्षक
9	श्री संतोष पथोरिया	राजस्व निरीक्षक
10	श्री शंकर सिंह ठाकुर	राजस्व निरीक्षक
11	श्री वीरसिंह चौहान	डिप्टी कलेक्टर
12	श्री शिवराम चढार	राजस्व निरीक्षक
13	श्री रामजी तिवारी	राजस्व निरीक्षक
14	श्री सत्यप्रकाश शर्मा	डिप्टी कलेक्टर
15	श्री मनोहर कुल्हारे	राजस्व निरीक्षक
16	श्री कृष्ण कुमार बालपुरे	राजस्व निरीक्षक
17	श्री अनिल गव्हाडे	राजस्व निरीक्षक

**जबलपुर संभाग**

18	श्री भगवान दास रैदास	राजस्व निरीक्षक
19	श्री भागसिंह धुर्वे	राजस्व निरीक्षक
20	श्री योगेश कुमार शुक्ला	राजस्व निरीक्षक
21	श्री चैनसिंह मार्को	राजस्व निरीक्षक
22	श्री शैलेश गौड़	राजस्व निरीक्षक
23	श्री रतनसिंह कुर्वेती	राजस्व निरीक्षक
24	श्रीमती मंजूषा शर्मा	सहायक अधीक्षक, भू-अभिलेख
25	श्री बी. के. सिंह मार्को	राजस्व निरीक्षक
26	श्री नरेन्द्र गनवीर	राजस्व निरीक्षक

(1)	(2)	(3)
27	श्रीमती दुर्गा पटेल	सहायक अधीक्षक, भू-अभिलेख
28	श्री आर. के. कटारया	राजस्व निरीक्षक
29	सुश्री स्मृति खण्डेलवाल	सहायक अधीक्षक, भू-अभिलेख
30	श्री उमेश सिंह कुशवाह	राजस्व निरीक्षक
31	श्री दीपक कुमार मेश्राम	राजस्व निरीक्षक
32	श्रीमती मर्यादा बागड़े	सहायक अधीक्षक, भू-अभिलेख
33	श्री ज्ञानचंद राय	राजस्व निरीक्षक
34	श्री ज्ञामसिंह इरकीया	राजस्व निरीक्षक
35	श्री रामराज चौधरी	राजस्व निरीक्षक

**ग्वालियर संभाग**

36	श्री महेन्द्र सिंह कौरव	सहायक अधीक्षक, भू-अभिलेख
37	श्री शिरोमन सिंह	राजस्व निरीक्षक
38	श्री भगवति शरण शिल्पकार	राजस्व निरीक्षक
39	श्री रमाशंकर शर्मा	राजस्व निरीक्षक
40	श्री विनोद कुमार चौरसिया	राजस्व निरीक्षक
41	श्रीमती हेमा राजपूत	राजस्व निरीक्षक
42	सुश्री काजल दीक्षित	राजस्व निरीक्षक
43	श्री चन्द्रपाल सिंह सेंगर	राजस्व निरीक्षक
44	श्री महेन्द्र सिंह यादव	राजस्व निरीक्षक
45	श्री अशोक कुमार तोमर	राजस्व निरीक्षक
46	श्री घनश्याम शर्मा	राजस्व निरीक्षक
47	श्री प्रज्ञेश पचौरी	सहायक अधीक्षक, भू-अभिलेख
48	श्री ए. के. सिंह	राजस्व निरीक्षक
49	श्री मोहन लाल शर्मा	राजस्व निरीक्षक
50	श्री अशोक गुमार गौतम	राजस्व निरीक्षक
51	डॉ. योगेन्द्र बाबू शुक्ला	राजस्व निरीक्षक

**इन्दौर संभाग**

53	श्री नरेन्द्र कुमार शर्मा	सहायक अधीक्षक, भू-अभिलेख
54	श्री नरेश बिवलकर	राजस्व निरीक्षक
55	श्री संतोष पाराशर	सहायक अधीक्षक, भू-अभिलेख
56	श्री कन्छेदी लाल जैन	राजस्व निरीक्षक
57	श्री रमेशचंद चौहान	राजस्व निरीक्षक
58	श्री रमेश कुमार रावले	राजस्व निरीक्षक
59	श्री कमल राय सुनहरे	राजस्व निरीक्षक
60	श्री विजय महाजन	राजस्व निरीक्षक
61	श्री चन्द्रपाल पॉल	राजस्व निरीक्षक
62	श्री संतोष पाटील	राजस्व निरीक्षक

(1)	(2)	(3)
63	श्री सुनिल कुमार बागुल	राजस्व निरीक्षक
64	श्री भीमराव वानखेड़े	राजस्व निरीक्षक
65	श्री भगवान दास तमखारिया	राजस्व निरीक्षक
66	श्रीमती वंदना शिन्दे	सहायक अधीक्षक, भू-अभिलेख
67	श्री सुरेश चन्द्र सक्सेना	सहायक अधीक्षक, भू-अभिलेख
68	श्री योगेश मलतारे	राजस्व निरीक्षक
69	श्री संतोष कुमार कुशवाह	राजस्व निरीक्षक
70	श्री पूनमसिंह बघेल	राजस्व निरीक्षक
71	श्री सुधीर शर्मा	राजस्व निरीक्षक
72	श्री आदर्श शर्मा	नायब तहसीलदार
73	श्री योगेन्द्र राजवैद्य	राजस्व निरीक्षक
74	श्री बिहारी लाल कुमरावत	राजस्व निरीक्षक
75	श्री मोबिन खान	राजस्व निरीक्षक
76	श्री हरिबाबू श्रीवास्तव	नायब तहसीलदार
77	श्री धुनिया पालिया	राजस्व निरीक्षक
78	श्री मुकेश मालवीय	सहायक अधीक्षक, भू-अभिलेख
79	कु. श्वेता जमरा	सहायक अधीक्षक, भू-अभिलेख
80	श्री धनजी गरवाल	सहायक अधीक्षक, भू-अभिलेख
81	श्री इगूसिंह गणवा	सहायक अधीक्षक, भू-अभिलेख

#### शहडोल संभाग

82	श्री बालमिक प्रसाद साकेत	राजस्व निरीक्षक
83	श्रीमती विमला सिंह	राजस्व निरीक्षक
84	श्री प्रेमलाल चौधरी	राजस्व निरीक्षक
85	श्री संतोष कुमार चौधरी	राजस्व निरीक्षक

#### उज्जैन संभाग

86	श्री रूपसिंह राजपूत	राजस्व निरीक्षक
87	श्रीमती प्रीति चौहान	सहायक अधीक्षक, भू-अभिलेख
88	श्री भरत कुमार देवड़ा	राजस्व निरीक्षक
89	श्री दयाराम निगम	सहायक अधीक्षक, भू-अभिलेख
90	श्री रामेश्वर डामर	राजस्व निरीक्षक
91	श्री पूनम सिंह	राजस्व निरीक्षक
92	श्री लोकेश आहुआ	राजस्व निरीक्षक
93	श्री रघुनाथ मचार	राजस्व निरीक्षक
94	श्री गोवर्धन लाल राजौरिया	राजस्व निरीक्षक
95	श्री प्रदीप कुमार गुप्ता	राजस्व निरीक्षक
96	श्री विवेक कुमार शर्मा	सहायक अधीक्षक, भू-अभिलेख

क्र. 4890-2196-वपप्र-2012.—राज्य शासन द्वारा सामान्य प्रशासन, राजस्व एवं भू-अभिलेख विभाग के अधिकारियों के लिये विभागीय परीक्षा, जो कि दिनांक 11 अप्रैल 2012 को प्रश्न-पत्र सिविल विधि तथा प्रक्रिया विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है:—

अनुक्रमांक	परीक्षार्थी का नाम	पदनाम
(1)	(2)	(3)

#### उच्चस्तर

#### होशंगाबाद संभाग

1	श्री देवशंकर धुर्वे	सहायक अधीक्षक, भू-अभिलेख
2	सुश्री सरिता धुर्वे ठाकुर	सहायक अधीक्षक, भू-अभिलेख

#### सागर संभाग

3	डॉ. रakesh कुमार अहिरवार	सहायक अधीक्षक, भू-अभिलेख
4	डॉ. अनिल कुमार गुप्ता	सहायक अधीक्षक, भू-अभिलेख
5	श्री आदित्य कुमार सोनिकिया	सहायक अधीक्षक, भू-अभिलेख
6	श्री श्रीपत अहिरवार	
7	श्री घनश्याम चौधरी	सहायक अधीक्षक, भू-अभिलेख

#### भोपाल संभाग

8	श्री योगेश्वर सिंह भारतीय	राजस्व निरीक्षक
9	श्री संतोष पथोरिया	राजस्व निरीक्षक
10	श्री प्रहलाद सिंह मीना	राजस्व निरीक्षक
11	श्री वीरसिंह चौहान	डिप्टी कलेक्टर
12	श्री विक्रम सिंह खटीक	राजस्व निरीक्षक
13	श्री मनोहर कुल्हारे	राजस्व निरीक्षक

#### ग्वालियर संभाग

14	श्री प्रवेश पचौरी	सहायक अधीक्षक, भू-अभिलेख
15	श्री राजेश वत्स	राजस्व निरीक्षक

#### उज्जैन संभाग

16	श्रीमती प्रीति चौहान	सहायक अधीक्षक, भू-अभिलेख
----	----------------------	--------------------------

#### इन्दौर संभाग

17	कु. श्वेता जमरा	सहायक अधीक्षक, भू-अभिलेख
18	श्री पूनम सिंह बघेल	राजस्व निरीक्षक
19	श्रीमती वंदना शिन्दे	सहायक अधीक्षक, भू-अभिलेख
20	कु. रेशम गवली	सहायक अधीक्षक, भू-अभिलेख
21	श्री रामदेव नैय्यर	राजस्व निरीक्षक
22	श्री पवन कुमार वास्कले	सहायक अधीक्षक, भू-अभिलेख

(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)
	<b>जबलपुर संभाग</b>		25	श्री हरिओम गुर्जर	राजस्व निरीक्षक
23	श्री तेजीराम उईक	राजस्व निरीक्षक	26	श्री राम प्रसाद बरेलिया	राजस्व निरीक्षक
24	श्री रधवा कोल	राजस्व निरीक्षक	27	श्री बलवीर सिंह भदौरिया	राजस्व निरीक्षक
25	कु. निधि मार्को	सहायक अधीक्षक, भू-अभिलेख	28	श्री मुरारी लाल उप्रैती	राजस्व निरीक्षक
26	श्रीमती मर्यादा बागड़े	सहायक अधीक्षक, भू-अभिलेख	29	श्री हरिश्चन्द्र माहौर	राजस्व निरीक्षक
27	श्री रजनसिंह कुर्वेती	राजस्व निरीक्षक	30	श्री विनोद सिंह तोमर	राजस्व निरीक्षक
28	श्री भरतसिंह राय	राजस्व निरीक्षक	31	श्री राजेन्द्र श्रीवास्तव	राजस्व निरीक्षक
29	श्री शिवकुमार कोरी	राजस्व निरीक्षक	32	सुश्री काजल दीक्षित	राजस्व निरीक्षक

**निम्नस्तर****सागर संभाग**

1	श्री मनीराम गौड़	राजस्व निरीक्षक
2	श्री प्रभुदयाल गुप्ता	राजस्व निरीक्षक
3	श्री प्रेम प्रकाश गोस्वामी	राजस्व निरीक्षक
4	श्रीमती वर्षा शर्मा	सहायक अधीक्षक, भू-अभिलेख

**भोपाल संभाग**

5	श्री गोविन्द सिंह यादव	राजस्व निरीक्षक
6	श्री शनिपाल शाह परतेती	राजस्व निरीक्षक
7	श्री राजेन्द्र सिंह	राजस्व निरीक्षक
8	श्री थानसिंह गौड़	राजस्व निरीक्षक
9	श्री राधेश्याम राठौर	राजस्व निरीक्षक
10	श्री शंकर सिंह ठाकुर	राजस्व निरीक्षक
11	श्री शिवराम चढार	राजस्व निरीक्षक
12	श्री शिबूसिंह कसोरमा	राजस्व निरीक्षक
13	श्री कोमलसिंह चढार	राजस्व निरीक्षक
14	श्री कृष्ण कुमार बालापुरे	राजस्व निरीक्षक
15	श्री अनिल गव्हाडे	राजस्व निरीक्षक
16	श्री शरीफ अहमद	राजस्व निरीक्षक
17	श्री श्याम सिंह तारे	राजस्व निरीक्षक
18	श्री राजेश कुमार धाड़से	राजस्व निरीक्षक
19	श्री विजय सिंह सराठिया	राजस्व निरीक्षक

**ग्वालियर संभाग**

20	श्री मोतीलाल जाटव	राजस्व निरीक्षक
21	श्री रामनरेश सिंह आर्य	राजस्व निरीक्षक
22	श्री भगवति शरण शिल्पकर	राजस्व निरीक्षक
23	श्री श्याम सुन्दर सराहिया	राजस्व निरीक्षक
24	श्री नरेश कुमार रायपुरिया	राजस्व निरीक्षक

33	श्री अशोक भारती	राजस्व निरीक्षक
34	श्री घनश्याम शर्मा	राजस्व निरीक्षक
35	श्रीमती नीलम जैन	राजस्व निरीक्षक
36	श्री ए. के. सिंह	राजस्व निरीक्षक
37	श्री मोहनलाल शर्मा	राजस्व निरीक्षक
38	श्री संजय चौरसिया	राजस्व निरीक्षक
39	श्री अशोक कुमार गौतम	राजस्व निरीक्षक
40	श्री अशोक कुमार श्रीवास्तव	राजस्व निरीक्षक
41	श्री शैलेन्द्र देव सिंह सेंगर	राजस्व निरीक्षक
42	श्री गजेन्द्र सिंह मीना	राजस्व निरीक्षक
43	श्री अनिल सिंह भदौरिया	राजस्व निरीक्षक
44	श्री इलखुराम भगत	राजस्व निरीक्षक

**उज्जैन संभाग**

45	श्री लोकेश आहुजा	सहायक अधीक्षक, भू-अभिलेख
46	श्री विवेक कुमार शर्मा	सहायक अधीक्षक, भू-अभिलेख
47	श्री रघुनाथ मचार	राजस्व निरीक्षक
48	श्री गोवर्धन लाल राजौरिया	राजस्व निरीक्षक
49	कु. प्रियंका जैन	सहायक अधीक्षक, भू-अभिलेख
50	श्री प्रदीप कुमार गुप्ता	—

**शहडोल संभाग**

51	श्री प्रेमलाल चौधरी	राजस्व निरीक्षक
52	श्री उपेन्द्र कुमार द्विवेदी	राजस्व निरीक्षक
53	श्री संतोष कुमार चौधरी	राजस्व निरीक्षक
54	श्री द्वारका प्रसाद दहायत	राजस्व निरीक्षक
55	श्री विनोद कुमार सिंह	राजस्व निरीक्षक

**इन्दौर संभाग**

56	श्री राधेश्याम धाकड़	राजस्व निरीक्षक
57	श्री मुकेश मालवीय	राजस्व निरीक्षक

(1)	(2)	(3)
58	श्री आदर्श शर्मा	नायब तहसीलदार
59	श्री आर. सी. मण्डलोई	अधीक्षक
60	श्री छगनलाल नागराज	राजस्व निरीक्षक
61	श्री सुधीर शर्मा	राजस्व निरीक्षक
62	श्री राघवेन्द्र पवनीकर	राजस्व निरीक्षक
63	श्री कैलाश सिसौदिया	राजस्व निरीक्षक
64	श्री रमेश कुमार रावले	राजस्व निरीक्षक
65	श्री कच्छेदी लाल जैन	राजस्व निरीक्षक
66	श्री संतोष पाराशर	सहायक अधीक्षक, भू-अभिलेख
67	श्री नरेश बिवलकर	राजस्व निरीक्षक
68	श्री श्रीकान्त सारोलकर	राजस्व निरीक्षक
69	श्री प्रदीप शिंगुल	राजस्व निरीक्षक
70	श्री महेन्द्र कुमार बड़ोले	राजस्व निरीक्षक

#### जबलपुर संभाग

71	श्री देवेन्द्र सिंह नेताम	राजस्व निरीक्षक
72	श्री रविशंकर धुर्वे	राजस्व निरीक्षक
73	श्री लोकमन कोरी	राजस्व निरीक्षक
74	श्री दीपक कुमार मेश्राम	राजस्व निरीक्षक
75	श्री हीरालाल तिवारी	सहायक अधीक्षक, भू-अभिलेख
76	श्री ज्ञानचंद राय	राजस्व निरीक्षक
77	श्री रामलोचन तिवारी	राजस्व निरीक्षक
78	श्री आलोक कुमार सोरी	राजस्व निरीक्षक
79	श्री राजकुमार उईके	राजस्व निरीक्षक
80	श्रीमती दुर्गा पटेल	राजस्व निरीक्षक
81	श्री आर. के. कटारया	राजस्व निरीक्षक
82	श्री इन्द्रजीत सिंह	राजस्व निरीक्षक
83	श्री गणेश प्रसाद सिंगौरै	राजस्व निरीक्षक
84	श्री देवेन्द्र प्रसाद सिंगौरै	राजस्व निरीक्षक
85	श्री राजेश कुमार दुबे	राजस्व निरीक्षक
86	श्री सुन्दरलाल धुर्वे	राजस्व निरीक्षक
87	श्री अमृतलाल धुर्वे	राजस्व निरीक्षक
88	श्रीमती मंजुषा शर्मा	सहायक अधीक्षक, भू-अभिलेख
89	श्री केशरीचंद बघेल	राजस्व निरीक्षक
90	श्री कल्याण सिंह क्षत्रिय	राजस्व निरीक्षक
91	श्री मनीराम आमो	राजस्व निरीक्षक
92	श्री लालमणि माण्डेय	राजस्व निरीक्षक
93	श्री राम प्रसाद मार्को	राजस्व निरीक्षक

(1)	(2)	(3)
94	श्री रायसिंह कुशराम	राजस्व निरीक्षक
95	श्री अनूप कुमार चौरसिया	राजस्व निरीक्षक
96	श्री नारायण प्रसाद कुशवाह	राजस्व निरीक्षक
97	श्री रतन सिंह धुर्वे	राजस्व निरीक्षक

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
अनुराग श्रीवास्तव, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी.

कार्यालय, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी,  
नीमच, मध्यप्रदेश

नीमच, दिनांक 11 जून 2012

क्र. सा.लेख-2012-संशोधन.—कार्यालयीन अधिसूचना क्रमांक 1530-सां.लेख-2011, दिनांक 20 अक्टूबर 2011 द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973-1974 की धारा 2 के खण्ड एस में पुलिस थाना का स्थानीय क्षेत्र विनिर्दिष्ट करने की राज्य शासन की शक्तियां मध्यप्रदेश शासन, गृह (पुलिस) विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ-2(क)15-99-बी-3-दो, दिनांक 11 अक्टूबर 2004 से जिले के भीतर थानों/चौकियों की सीमाओं के निर्धारण का अधिकार जिला कलेक्टर समिति को दिया गया है. कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक एवं जिला अभियोजन अधिकारी की समिति निहित की गई है. उपरोक्तानुसार प्राधिकृत समिति के निर्णय दिनांक 18 अक्टूबर 2011 अनुसार दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 2 के खण्ड एस के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए स्तंभ क्रमांक (1) में वर्णित राजस्व ग्रामों या उसके भाग को स्तंभ क्रमांक (2) में वर्णित पुलिस थाने के स्थानीय क्षेत्र से उन्मोचित करते हुए स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित पुलिस थानों के स्थानीय क्षेत्र में सम्मिलित किया गया था. विवरण इस प्रकार है:—

क्रमांक	राजस्व ग्राम का नाम	वर्तमान थाना क्षेत्राधिकार	थाना क्षेत्र जिसमें सम्मिलित किया स्तंभ क्र. (3)
1	सगराना (संबंधित हाईवे)	बघाना	नीमच
2	धसुण्डी (संबंधित हाईवे)	बघाना	नीमच
3	हिंगोरिया (संबंधित हाईवे)	बघाना	नीमच
4	चोथखेडा	बघाना	नीमच

(1)	(2)	(3)	(4)
5	जमुनिया खुर्द	बघाना	नीमच
6	आसपुरा	जीरन	बघाना
7	ग्वालदेवीय	जीरन	बघाना
8	पालसोड़ा	बघाना	जीरन
9	आम्बा	रतनगढ़	सिंगोली
10	परलाई	रतनगढ़	सिंगोली
11	बागरेड खेड़ा	जावद	मनासा
12	देपालपुरा	जावद	मनासा
13	सावन	नीमच केन्ट	मनासा
14	सावन कुण्ड	नीमच केन्ट	मनासा

### दिनांक 7 मई 2012 को आयोजित कलेक्टर समिति की बैठक का कार्यवाही विवरण:

आज दिनांक 7 मई 2012 को माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ, इन्दौर को द्वारा रिट याचिका क्रमांक 880/2012 में पारित आदेश दिनांक 18 अप्रैल 2012 के पालन में श्री मुकेश शर्मा, सरपंच ग्राम पंचायत सावन, जिला नीमच द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र मय आदेश की नकल एवं माननीय प्रभारी मंत्री महोदय जिला नीमच के पत्र सहित प्रस्तुत किया आवेदन-पत्र पर विचार करने के लिए बैठक का आयोजन किया गया।

उक्त अधिसूचना के विरुद्ध माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ, इन्दौर में श्री मुकेश शर्मा, सरपंच ग्राम पंचायत सावन, जिला नीमच द्वारा दायर रिट याचिका क्रमांक 880/2012 में पारित आदेश दिनांक 18 अप्रैल 2012 के पालन में श्री मुकेश शर्मा, सरपंच, ग्राम पंचायत सावन, जिला नीमच द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र मय आदेश की नकल एवं माननीय प्रभारी मंत्री महोदय जिला नीमच के पत्र सहित प्रस्तुत किया जाकर आवेदन-पत्र पर विचारार्थ निवेदन किया गया।

प्रस्तुत प्रकरण में कलेक्टर समिति जिला नीमच द्वारा तहसील एवं विधान सभा क्षेत्र नीमच के अन्तर्गत ग्राम पंचायत सावन को होने के कारण ग्रामवासियों की इच्छानुसार माननीय उच्च न्यायालय, इन्दौर के आदेश दिनांक 18 अप्रैल 2012 के अनुपालन में विचारोपरान्त ग्राम पंचायत सावन जिसमें ग्राम सावन, सावनकुण्ड सम्मिलित है पूर्ववत् नीमच पुलिस थाना के अन्तर्गत ही रखे जाने का निर्णय सर्वानुमति से लिया गया तथा पूर्व में किये गये उपर्युक्त निर्धारण सारणी के सरल क्रमांक 13 एवं 14 जिसमें ग्राम पंचायत सावन को थाना नीमच केन्ट से मनासा में सम्मिलित किया गया था उस निर्धारण को सर्वानुमति से निरस्त करते हुए निम्नानुसार संशोधित सारणी के स्तंभ क्रमांक (1) में वर्णित राजस्व ग्रामों या उसके भाग को स्तंभ क्रमांक (2) में वर्णित पुलिस थाने के स्थानीय क्षेत्र से उन्मोचित करते हुए स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित पुलिस थानों के स्थानीय क्षेत्र में सम्मिलित किया जाता है। विवरण निम्नानुसार है:—

क्रमांक	राजस्व ग्राम का नाम	वर्तमान थाना क्षेत्राधिकार	थाना क्षेत्र जिसमें सम्मिलित किया स्तंभ क्र. (3)
1	सावन	मनासा	नीमच केन्ट
2	सावन कुण्ड	मनासा	नीमच केन्ट

लोकेश कुमार जाटव, जिला दण्डाधिकारी एवं पदेन उपसिचव (गृह)।

मध्यप्रदेश शासन, गृह (पुलिस) विभाग, मंत्रालय, भोपाल के पत्र क्रमांक एफ 2(क) 15-99-बी-3-दो, भोपाल, दिनांक 11 अक्टूबर 2004 अनुसार जिले के भीतर थानों/चौकियों की सीमाओं के निर्धारण का अधिकार जिला कलेक्टर समिति को दिया गया है। जिला समिति में कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक, जिला अभियोजन अधिकारी, नीमच की समिति को सीमाओं के निर्धारण का अधिकार राज्य शासन द्वारा प्रत्यायोजित किया है। इसके पालन में माननीय उच्च न्यायालय के आदेश अनुसार जिला समिति की बैठक का आयोजन किया गया है। माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 18 अप्रैल 2012 के द्वारा याचिकाकर्ता के आवेदन-पत्र पर कलेक्टर समिति द्वारा विचार किया जाकर आवश्यक आदेश पारित किया जाना है।

समिति द्वारा विचार किया गया। जिला योजना समिति की बैठक दिनांक 16 अप्रैल 2012 के कार्यवाही विवरण पर भी विचार किया गया। इस कार्यवाही विवरण के अन्त में सर्वानुमति से निर्णय लिया गया है कि ग्राम पंचायत सावन को पुलिस थाना नीमच अन्तर्गत रखे जाने हेतु प्रस्ताव शासन को भेजे जायें।

समिति के द्वारा विचारार्थ माननीय उच्च न्यायालय का आदेश, सरपंच ग्राम पंचायत सावन का आवेदन-पत्र, माननीय प्रभारी मंत्री महोदय जिला नीमच का पत्र प्रस्तुत है। यह बताया गया कि, ग्राम पंचायत सावन विधान सभा क्षेत्र नीमच के अन्तर्गत आती है तथा तहसील नीमच है। ग्रामवासियों के द्वारा पूर्व में ग्राम सावन एवं सावन कुण्ड को पुलिस थाना नीमच के अन्तर्गत ही रखे जाने के बारे में आवेदन-पत्र दिये गये थे। विचारणीय बिन्दु यह है कि क्या दूरी के मापदण्ड पर विचार कर ग्रामवासियों एवं उपरोक्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए ग्राम पंचायत सावन जिसमें ग्राम सावन, सावनकुण्ड सम्मिलित है पूर्ववत् नीमच पुलिस थाना के अन्तर्गत ही रखा जाना उचित होगा।

समिति के सदस्यों के द्वारा तहसील एवं विधान सभा क्षेत्र नीमच के अन्तर्गत ग्राम पंचायत सावन को होने के कारण ग्रामवासियों की इच्छानुसार माननीय उच्च न्यायालय, इन्दौर के आदेश दिनांक 18 अप्रैल 2012 के अनुपालन में विचारोपरान्त ग्राम पंचायत सावन जिसमें ग्राम सावन, सावनकुण्ड सम्मिलित है. पूर्ववत नीमच पुलिस थाना के अन्तर्गत ही रखे जाने का निर्णय सर्वानुमति से लिया गया तथा पूर्व में किये गये निर्धारण जिसमें ग्राम पंचायत सावन को थाना मनासा में सम्मिलित किया गया था. उस निर्धारण को सर्वानुमति से निरस्त करने का निर्णय लिया गया. जिला दण्डाधिकारी, नीमच समिति के निर्णय के पालन में संशोधित अधिसूचना जिला दण्डाधिकारी, नीमच की ओर से जारी करने हेतु अधिकृत किये जाते हैं.

लोकेश कुमार जाटव, कलेक्टर.

कार्यालय, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी,  
सिवनी, मध्यप्रदेश

सिवनी, दिनांक 12 दिसम्बर 2011

क्र. 9378-एस.डब्लू-11.—दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 (1974 का अधिनियम संख्यांक 2) की धारा 2(द) (ध) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, जिला दण्डाधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला अभियोजन अधिकारी, सिवनी की गठित समिति की अनुशंसा के आधार पर सिवनी जिले के थाना छपारा के अन्तर्गत आने वाले ग्राम सेमरताल को थाना छपारा सीमा क्षेत्र से हटाकर थाना लखनादौन की सीमा क्षेत्र में परिसीमन किया जाता है.

अजीत कुमार, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी.

### परिसीमन हेतु प्रस्ताव

स.क्र.	थाना का नाम	ग्राम का नाम	ग्राम की दूरी	ग्रामों को जिस थाना थाने से दूरी में सम्मिलित किया जाना है उस थाने का नाम		रिमार्क
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	थाना छपारा	सेमरताल	15 कि.मी.	थाना लखनादौन	22 कि.मी.	ग्राम सेमरताल से थाना छपारा का रास्ता अत्यन्त उबड़ खाबड़, दुर्गम एवं जंगली रास्ता है जिससे ग्रामवासियों को थाना छपारा तक आने में कठिनाई होती है. जबकि ग्राम सेमरताल के आसपास के ग्राम थाना लखनादौन क्षेत्र में आते हैं. जहां से ग्रामवासियों को लखनादौन जाने के लिये सुगम रास्ता उपलब्ध होने से लखनादौन आने व जाने में सुगमता होगी.

## राज्य शासन के आदेश

कार्यालय, कलेक्टर, जिला छतरपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग  
छतरपुर, दिनांक 26 मई 2012

प्र. क्र. 34-अ-82-11-12.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (6) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को, उक्त भूमि के संबंध में, उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है:—

### अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का विवरण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
छतरपुर	गोरीहार	पचवरा	4.15	अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, लवकुशनगर.	बरियारपुर बांयी नहर की चुकाटा डिस्ट्रीब्यूटरी की पचवरा माइनर एवं चुकाटा डिस्ट्रीब्यूटरी के ग्राम पचवरा का पूरक भू-अर्जन.

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है—बरियारपुर बांयी नहर की चुकाटा डिस्ट्रीब्यूटरी की पचवरा माइनर एवं चुकाटा डिस्ट्रीब्यूटरी के ग्राम पचवरा का पूरक भू-अर्जन.
- (3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी कार्यालय, लवकुशनगर में किया जा सकता है.

छतरपुर, दिनांक 8 जून 2012

प्र. क्र. 36-अ-82-11-12.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (6) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को, उक्त भूमि के संबंध में, उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है:—

### अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	(2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का विवरण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
छतरपुर	चन्दला	रमझाला	1.200	अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, लवकुशनगर.	बरियारपुर बांयी नहर की उमराहा शाखा नहर के अंतर्गत रमझाला वितरक नहर की पटली माइनर.

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है—बरियारपुर बांयी नहर की उमराहा शाखा नहर के अंतर्गत रमझाला वितरक नहर की पटली माइनर पर भू-अर्जन.
- (3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी कार्यालय, लवकुशनगर में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
राहुल जैन, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

## कार्यालय, कलेक्टर, जिला बुरहानपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

बुरहानपुर, दिनांक 30 मई 2012

क्र. क-वाचक भू-अर्जन-2012-प्र. क्र. 5-अ-82-2011-12.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के पद (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (6) में उसके सामने दर्शाये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को, उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

## अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बुरहानपुर	बुरहानपुर	मोहद	13.71	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, बुरहानपुर.	मोतियादेव बांध योजना के नहर निर्माण हेतु.

- (2) अर्जन की जाने वाली भूमि से संबंधित नक्शा, प्लान कलेक्टर कार्यालय एवं भू-अर्जन अधिकारी, बुरहानपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
आशुतोष अवस्थी, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

## कार्यालय, कलेक्टर, जिला कटनी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

कटनी, दिनांक 7 जून 2012

प्र. क्र. 6-अ-82-10-11.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को, उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

## अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कटनी	बड़वारा	प.ह.नं. भजिया-64 छपरवाह-64 पनसोखर-64 अहार-65 परसेल-65	3.57 2.30 2.14 0.38 1.82	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग.	झिरगिरी जलाशय योजना नहर कार्य
			कुल		
			10.21		

- (2) भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी कटनी के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
अशोक सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.



## कार्यालय, कलेक्टर, जिला खण्डवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

खण्डवा, दिनांक 6 जून 2012

भू-अर्जन प्र. क्र. 30-अ-82-11-12-नस्ती क्र. 75-2011 एलए.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को, उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

## अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
खण्डवा	पुनासा	बिलाया	1.66	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 28, पुनासा.	सनावद वितरण शाखा की उपशाखा के अंतर्गत नहर निर्माण हेतु.

(2) भूमि के नक्शे व प्लान आदि (1) कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 28, पुनासा (2) कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, खण्डवा में देखा जा सकता है.

भू-अर्जन प्र. क्र. 29-अ-82-11-12-नस्ती क्र. 146-2011 एलए.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को, उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

## अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
खण्डवा	पुनासा	इनपुन	0.404	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 28, पुनासा.	सनावद वितरण शाखा की माईनर 21 की सब माईनर 3 के निर्माण हेतु.

(2) भूमि के नक्शे व प्लान आदि (1) कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 28, पुनासा (2) कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, खण्डवा में देखा जा सकता है.

भू-अर्जन प्र. क्र. 28-अ-82-11-12-नस्ती क्र. 127-2011 एलए.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को, उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

### अनुसूची

जिला	भूमि का वर्णन			धारा 4 की उपधारा (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
खण्डवा	पुनासा	वनग्राम हंतिया	13.34	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 28, पुनासा.	गोराड़िया वितरण शाखा की माईनर क्र. एम-9, एम-10 के निर्माण हेतु.

(2) भूमि के नक्शे व प्लान आदि (1) कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 28, पुनासा (2) कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, खण्डवा में देखा जा सकता है.

भू-अर्जन प्र. क्र. 31-अ-82-11-12-नस्ती क्र. 76-2011 एलए.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को, उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

### अनुसूची

जिला	भूमि का वर्णन			धारा 4 की उपधारा (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
खण्डवा	पुनासा	पिपल्या सैलानी	1.69	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 28, पुनासा.	सनावद वितरण शाखा की उपशाखा के अन्तर्गत नहर निर्माण हेतु.

(2) भूमि के नक्शे व प्लान आदि (1) कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 28, पुनासा (2) कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, खण्डवा में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
कवीन्द्र क्रियावत, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

## कार्यालय, कलेक्टर, जिला सिंगरौली, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सिंगरौली, दिनांक 11 जून 2012

क्र. 490-भू-अर्जन-2012.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5(अ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध लागू होते हैं :—

## अनुसूची

भूमि का वर्णन		धारा 4 की उपधारा (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी		सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)
सिंगरौली	सिंगरौली	गड़हरा खुर्द	300.00	भू-अर्जन अधिकारी, सिंगरौली एशडाइक निर्माण हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी सिंगरौली के कार्यालय एवं जिला सिंगरौली में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
एम. सेलवेन्द्रन, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

## कार्यालय, कलेक्टर, जिला सागर, मध्यप्रदेश एवं पदेन अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सागर, दिनांक 11 जून 2012

क्र.-प्र.भू.अ.-2012-4585.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें नीचे दी गई अनुसूची के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (7) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (6) में उल्लेखित अधिकारी को, उक्त भूमि के संबंध में, उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है:—

## अनुसूची

भूमि का वर्णन		धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी		सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) कुल कुल ख. नं. रकबा	
(1)	(2)	(3)	(4) (5)	(7)
सागर	मालथौन	डबडेरा	14 9.43	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. 1, सागर. बांध डूब क्षेत्र एवं स्पिल चैनल निर्माण कार्य.

नोट.—भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, खुरई में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
ई. रमेश कुमार, कलेक्टर एवं पदेन अपर सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सतना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सतना, दिनांक 12 जून 2012

भू-अर्जन-प्र. क्र. एफ.-12-पत्र क्र.-1318-भू-अर्जन-12.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, उसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को, उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकबा (हेक्टेयर में )	(2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	उचेहरा	रगला	1.835	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण संभाग क्र. 7, सतना.	नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण परियोजना अंतर्गत बरगी नहर निर्माण हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर कार्यालय में देखा जा सकता है.

भू-अर्जन-प्र. क्र. एफ.-12-पत्र क्र.-1319-भू-अर्जन-12.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, उसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को, उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकबा (हेक्टेयर में )	(2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	मैहर	उदयपुर	0.043	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण संभाग क्र. 7, सतना.	नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण परियोजना अंतर्गत बरगी नहर निर्माण हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर कार्यालय में देखा जा सकता है.

सतना, दिनांक 19 जून 2012

भू-अर्जन-प्र. क्र. एफ.-12-पत्र क्र.-1948-भू-अर्जन-12.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की

उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, उसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को, उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है। राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :-

### अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकबा (हेक्टेयर में)	(2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	रघुराजनगर	सतना	0.162	अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी रघुराजनगर जिला-सतना.	उप बस स्टैण्ड सतना के निर्माण हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
के. के. खरे, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला शिवपुरी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

शिवपुरी, दिनांक 13 जून 2012

क्र. क्यू-भू-अर्जन-905.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (7) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (6) में उल्लिखित अधिकारी को, उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :-

### अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा	सार्वजनिक प्रयोजन	
जिला	तहसील/ तालुका	नगर/ ग्राम	खसरा नंबर	भू-अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में)	(2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
शिवपुरी	नरवर	जैतपुर	1458	0.17	कार्यपालन यंत्री, सिंध	सिंध परियोजना द्वितीय चरण
			1459	0.14	परि. दांया तट नहर	के अंतर्गत दांया तट नहर
			1460	0.02	संभाग नरवर,	की किशनपुर मायनर के
			1461	0.37	जिला शिवपुरी (म. प्र.)	निर्माण हेतु.
			1525	0.04		
			1835	0.06		
			1838	0.10		
			1839	0.06		
			1840	0.20		
			1849	0.36		
			1858	0.13		
			1860	0.10		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			1861	0.02		
			1862/1	0.01		
			1862/2	0.06		
			1862/3	0.29		
			1862/4	0.05		
			1886/1	0.24		
			1886/2	0.25		
			1886/3	0.03		
			1887	0.12		
			1889	0.01		
			1892	0.43		
			1893/1	0.14		
			1893/2	0.16		
			2167/1	0.10		
			2167/4	0.07		
			2171/1	0.12		
			2171/2	0.05		
			2172/2	0.01		
			2172/3/1	0.02		
			2172/3/2	0.01		
			2173/1	0.01		
			2174/1	0.19		
			2177	0.08		
			योग :	4.22		

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, शिवपुरी के कार्यालय में देखा जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
जॉन किंग्सली, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला पन्ना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

पन्ना, दिनांक 15 जून 2012

प्र. क्र. 136-अ-82 वर्ष 2011-12.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :-

भूमि का वर्णन				अनुसूची	
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
पन्ना	गुनौर	मुड़वारी	निजी 0.230 एवं शासकीय भूमि रकबा 0.300 कुल रकबा 0.530	कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग सेतु निर्माण, सागर संभाग सागर.	सुनवारी-मुड़वारी मार्ग में केन नदी पर पुल एवं पहुंच मार्ग निर्माण कार्य हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 137-अ-82 वर्ष 2011-12.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

### अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	(2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
पन्ना	गुनौर	मुड़वारी	निजी 0.340 एवं शासकीय भूमि रकबा 5.842 <u>कुल रकबा 6.182</u>	कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग सेतु निर्माण, सागर संभाग सागर.	सुनवारी-मुड़वारी मार्ग में गलको नदी पर पुल एवं पहुंच मार्ग निर्माण कार्य हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 135-अ-82 वर्ष 2011-12.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को, उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

### अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	(2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
पन्ना	पवई	सुनवारी	निजी 0.600 एवं शासकीय भूमि रकबा 0.000 <u>कुल रकबा 0.600</u>	कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग सेतु निर्माण, सागर संभाग सागर.	सुनवारी-मुड़वारी मार्ग में केन एवं गलको नदी पर पुल एवं पहुंच मार्ग निर्माण कार्य हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 133-अ-82 वर्ष 2011-12.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा,

अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :-

### अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	(2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
पन्ना	पवई	कुटमी बंडोरा	निजी 0.340 एवं शासकीय भूमि रकबा 0.150 <u>कुल रकबा 0.490</u>	कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग सेतु निर्माण, सागर संभाग सागर.	इटॉय-मैहर मार्ग के कि. मी. 20/10 में केन नदी पर पुल के पहुंच मार्ग निर्माण कार्य हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 134-अ-82 वर्ष 2011-12.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :-

### अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	(2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
पन्ना	पवई	पिपरियादौन	निजी 0.580 एवं शासकीय भूमि रकबा 0.113 <u>कुल रकबा 0.693</u>	कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग सेतु निर्माण, सागर संभाग सागर.	इटॉय-मैहर मार्ग के कि. मी. 20/10 में केन नदी पर पुल के पहुंच मार्ग निर्माण कार्य हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
धनंजय सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला दमोह, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

दमोह, दिनांक 19 जून 2012

क्रमांक-क-भू-अर्जन-2012.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता



पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :-

### अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 की उपधारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील/ नगर	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	(2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दमोह	दमोह	हलगजिया, हलगज, हिनौता	3.68	कार्यपालन यंत्री, लो.नि.वि., दमोह. (म. प्र.)	हलगजिया, हलगज, हिनौता मार्ग निर्माण हेतु.

- (2) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) हलगजिया, हलगज, हिनौता तथा कार्यपालन यंत्री, लो. नि. वि. दमोह के कार्यालय में देखा जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
स्वतंत्र कुमार सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला राजगढ़, (ब्यावरा) मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

राजगढ़, दिनांक 19 जून 2012

क्र.-6737-भू-अर्जन-2010.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, एतद्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :-

### अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 (2) के	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजगढ़	राजगढ़	खैरासी	1.258 योग . . <u>1.258</u>	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, राजगढ़.	खैरासी तालाब के वेस्टवेयर में प्रभावित भूमि का अर्जन.

- (2) भूमि का नक्शा (प्लान) आदि का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) राजगढ़/भू-अर्जन अधिकारी राजगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
एम. बी. ओझा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन  
उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

रीवा, दिनांक 20 जून 2012

क्र.-1731-प्रका.-भू-अर्जन-2011-12.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को, उक्त भूमि के संबंध में, उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं. द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 (2) के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन का
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)	प्राधिकृत अधिकारी	वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सीधी	रामपुर नैकिन	मझिगंवा	1.17	कार्यपालन यंत्री, लोवर सिंहावल नहर संभाग चुरहट जिला-सीधी (म. प्र.).	बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत सिंहावल मुख्य नहर के मझिगंवा शाखा माइनर क्र.-1 के निर्माण हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र.-1733-प्रका.-भू-अर्जन-2011-12.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को, उक्त भूमि के संबंध में, उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं. द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 (2) के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन का
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)	प्राधिकृत अधिकारी	वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सीधी	रामपुर नैकिन	बसैंणी	1.425	कार्यपालन यंत्री, लोवर सिंहावल नहर संभाग चुरहट जिला-सीधी (म. प्र.).	बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत सिंहावल मुख्य नहर के बसैंणी माइनर क्र.-2 के निर्माण हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

रीवा, दिनांक 21 जून 2012

क्र. 1754-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को, उक्त भूमि के संबंध में, उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं:—

## अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा (4) की उपधारा	सार्वजनिक प्रयोजन का
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)	(2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सीधी	रामपुर नैकिन	नौड़िया	0.12	कार्यपालन यंत्री, लोवर सिहावल नहर संभाग चुरहट, जिला-सीधी (म. प्र.).	डिठौरा सब-माईनर नहर निर्माण हेतु.

क्र. 1756-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को, उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

## अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा (4) की उपधारा	सार्वजनिक प्रयोजन का
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)	(2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सीधी	रामपुर नैकिन	झाला	2.42	कार्यपालन यंत्री, लोवर सिहावल नहर संभाग चुरहट, जिला-सीधी (म. प्र.).	डिठौरा सब-माईनर नहर निर्माण हेतु.

क्र. 1760-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को, उक्त भूमि के संबंध में, उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं:—

## अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा (4) की उपधारा	सार्वजनिक प्रयोजन का
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)	(2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सीधी	रामपुर नैकिन	बुढ़गौना	1.081	कार्यपालन यंत्री, लोवर सिहावल नहर संभाग चुरहट, जिला-सीधी (म. प्र.).	बाणसागर सिहावल के अंतर्गत नहर निर्माण में आने वाले ग्रामों के निजी भूमि के लिए भूमि तथा उस पर स्थिति संपत्तियों का अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 1762-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को, उक्त भूमि के संबंध में, उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम के धारा 5 अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं:—

#### अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन का
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)	प्राधिकृत अधिकारी	वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सीधी	चुरहट	टीकट खुर्द	0.62	कार्यपालन यंत्री, लोवर सिंहावल नहर संभाग चुरहट जिला-सीधी (म. प्र.).	बाणसागर सिंहावल के अंतर्गत नहर निर्माण में आने वाले ग्रामों के निजी भूमि के लिए भूमि तथा उस पर स्थित संपत्तियों का अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण प्रशासक, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 1764-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को, उक्त भूमि के संबंध में, उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम के धारा 5 अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं:—

#### अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन का
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)	प्राधिकृत अधिकारी	वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सीधी	रामपुर नैकिन	चोरगड़ी	2.754	कार्यपालन यंत्री, लोवर सिंहावल नहर संभाग चुरहट जिला-सीधी (म. प्र.).	बाणसागर सिंहावल के अंतर्गत नहर निर्माण में आने वाले ग्रामों के निजी भूमि के लिए भूमि तथा उस पर स्थित संपत्तियों का अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण प्रशासक, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 1766-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को, उक्त भूमि के संबंध में, उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम के धारा 5 अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं:—

#### अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन का
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)	प्राधिकृत अधिकारी	वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सीधी	चुरहट	मवाई	4.86	कार्यपालन यंत्री, लोवर सिंहावल नहर संभाग चुरहट जिला-सीधी (म. प्र.).	बाणसागर सिंहावल के अंतर्गत नहर निर्माण में आने वाले ग्रामों के निजी भूमि के लिए भूमि तथा उस पर स्थित संपत्तियों का अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण प्रशासक, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
बी. बी. श्रीवास्तव, प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.

## कार्यालय, कलेक्टर, जिला बैतूल, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

बैतूल, दिनांक 21 जून 2012

प्र. क्र. 15 अ-82-वर्ष 2011-12-भू-अर्जन-5240.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है, राज्य शासन यह भी निर्देश देता है, कि उक्त अधिनियम की धारा 5 "क" के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) एवं (4) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

## अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 (2) के अंतर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हैक्टर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बैतूल	मुलताई	रायसेड़ा	2.459	सहायक महाप्रबंधक म. प्र. सड़क विकास निगम बैतूल.	बार्डर चेक पोस्ट विस्तारीकरण हेतु निजी भूमि का अर्जन.

(2) भूमि के नक्शे (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, मुलताई के न्यायालय में देखा जा सकता है.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) सहायक महाप्रबंधक, मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम, सदर बैतूल के कार्यालय में भी देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 16 अ-82-वर्ष 2011-12-भू-अर्जन-5241.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है, राज्य शासन यह भी निर्देश देता है, कि उक्त अधिनियम की धारा 5 "क" के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) एवं (4) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

## अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 (2) के अंतर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हैक्टर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बैतूल	मुलताई	सोमलापूर	0.740	सहायक महाप्रबंधक, म. प्र. सड़क विकास निगम, बैतूल.	बार्डर चेक पोस्ट विस्तारीकरण हेतु निजी भूमि का अर्जन.

(2) भूमि के नक्शे (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, मुलताई के न्यायालय में देखा जा सकता है.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) सहायक महाप्रबंधक, मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम, सदर बैतूल के कार्यालय में भी देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
बी. चंद्रशेखर, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला मण्डला, मध्यप्रदेश एवं  
पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन,

राजस्व विभाग

मण्डला, दिनांक 5 जून 2012

क्र. भू-अर्जन-01(अ-82)-2011-12.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—मण्डला  
(ख) तहसील—नैनपुर  
(ग) ग्राम—इटका, प.ह.नं. 18  
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.165 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
46	0.165
योग . .	<u>0.165</u>

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—छिंदवाड़ा-नैनपुर-मण्डला फोर्ट ब्राडगेज हेतु.  
(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, कलेक्टर, मण्डला में किया जा सकता है.

क्र. भू-अर्जन-02 (अ-82)-2011-12.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—मण्डला  
(ख) तहसील—नैनपुर

- (ग) ग्राम—समनापुर, प.ह.नं. 16,  
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.340 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
195	0.200
194	0.060
196	0.080
योग . .	<u>0.340</u>

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—छिंदवाड़ा-नैनपुर-मण्डला फोर्ट ब्राडगेज हेतु.  
(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, कलेक्टर, मण्डला में किया जा सकता है.

क्र. भू-अर्जन-03 (अ-82)-2011-12.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—मण्डला  
(ख) तहसील—नैनपुर  
(ग) ग्राम—चिरईडोंगरी, प.ह.नं. 35,  
(घ) लगभग क्षेत्रफल—1.05 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
15	0.16
16/1	0.04
16/2	0.10
16/4	0.12
112	0.03
162	0.36
111	0.12
113/1	0.05
113/2	0.06
120	0.01
योग . .	<u>1.05</u>

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—छिंदवाड़ा-नैनपुर-मण्डला फोर्ट ब्राडगेज हेतु.
- (3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, कलेक्टर, मण्डला में किया जा सकता है.

क्र. भू-अर्जन-04 (अ-82)-2011-12.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

### अनुसूची

- (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—मण्डला  
(ख) तहसील—नैनपुर  
(ग) ग्राम—पीपरदौन, प.ह.नं. 34,  
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.06 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
5	0.06
योग . .	<u>0.06</u>

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—छिंदवाड़ा-नैनपुर-मण्डला फोर्ट ब्राडगेज हेतु.
- (3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, कलेक्टर, मण्डला में किया जा सकता है.

क्र. भू-अर्जन-05 (अ-82)-2011-12.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

### अनुसूची

- (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—मण्डला  
(ख) तहसील—मण्डला

- (ग) ग्राम—बम्हनी, प.ह.नं. 05,  
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.383 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
813/1, 815	0.060
813/2ख	0.056
814	0.060
812	0.087
811/7 क	0.117
811/7ख 4	0.003
योग . .	<u>0.383</u>

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—छिंदवाड़ा-नैनपुर-मण्डला फोर्ट ब्राडगेज हेतु.
- (3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, कलेक्टर, मण्डला में किया जा सकता है.

क्र. भू-अर्जन-06 (अ-82)-2011-12.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

### अनुसूची

- (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—मण्डला  
(ख) तहसील—मण्डला  
(ग) ग्राम—ठरका, प.ह.नं. 07,  
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.13 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
551/1	0.02
554	0.11
योग . .	<u>0.13</u>

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—छिंदवाड़ा-नैनपुर-मण्डला फोर्ट ब्राडगेज हेतु.
- (3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, कलेक्टर, मण्डला में किया जा सकता है.

क्र. भू-अर्जन-07 (अ-82)-2011-12.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

### अनुसूची

#### (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—मण्डला  
(ख) तहसील—मण्डला  
(ग) ग्राम—लिमरूआ, प.ह.नं. 08  
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.13 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
563	0.01
564/2	0.03
567	0.06
568	0.03
योग . .	<u>0.13</u>

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—छिंदवाड़ा-नैनपुर-मण्डला फोर्ट ब्राडगेज हेतु.  
(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय कलेक्टर मण्डला में किया जा सकता है.

क्र. भू-अर्जन-08 (अ-82)-2011-12.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

### अनुसूची

#### (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—मण्डला  
(ख) तहसील—मण्डला

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
494	0.02
495/1	0.05
495/2	0.10
496	0.18
502	0.09
503	0.06
504	0.05
505	0.11
532	0.05
533	0.03
योग . .	<u>0.74</u>

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—छिंदवाड़ा-नैनपुर-मण्डला फोर्ट ब्राडगेज हेतु.  
(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय कलेक्टर मण्डला में किया जा सकता है.

मण्डला, दिनांक 8 जून 2012

क्र. भू-अर्जन-09 (अ-82)-2011-12.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

### अनुसूची

#### (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—मण्डला  
(ख) तहसील—मण्डला  
(ग) ग्राम—पेटेगांव, प.ह.नं. 16  
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.19 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
114/3	0.01
131	0.01
132	0.01
133/2	0.01



(1)	(2)
113/2	0.02
113/3	0.01
130	0.01
619/1	0.03
619/2	0.02
600/1	0.03
600/2	0.03
	योग . . . <u>0.19</u>

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—छिंदवाड़ा-नैनपुर-मण्डला फोर्ट ब्राडगेज हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय कलेक्टर मण्डला में किया जा सकता है.

क्र. भू-अर्जन-10 (अ-82)-2011-12.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

#### अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—मण्डला  
(ख) तहसील—मण्डला  
(ग) ग्राम—पौड़ी, प.ह.नं. 17  
(घ) लगभग क्षेत्रफल—1.05 हेक्टेयर.

खसरा	रकबा
नम्बर	(हेक्टर में)
(1)	(2)
86	0.54
8	0.51
	योग . . . <u>1.05</u>

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—छिंदवाड़ा-नैनपुर-मण्डला फोर्ट ब्राडगेज हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय कलेक्टर मण्डला में किया जा सकता है.

क्र. भू-अर्जन-11 (अ-82)-2011-12.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित

सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

#### अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—मण्डला  
(ख) तहसील—मण्डला  
(ग) ग्राम—महाराजपुर, प.ह.नं. 18  
(घ) लगभग क्षेत्रफल—3.792 हेक्टेयर.

खसरा	रकबा
नम्बर	(हेक्टर में)
(1)	(2)
294/1	0.360
295/9	0.448
295/3	0.152
307	0.324
306/1	0.050
308/1, 309/1	0.500
295/4	0.486
297/1	0.203
297/2	0.203
297/3	0.203
297/4	0.203
308/2क	0.080
308/10 क	0.220
308/2ड	0.090
308/6	0.090
308/7	0.090
308/5	0.050
308/15	0.040
	योग . . . <u>3.792</u>

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—छिंदवाड़ा-नैनपुर-मण्डला फोर्ट ब्राडगेज हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय कलेक्टर मण्डला में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
स्वाति मीणा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश  
एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन,  
राजस्व विभाग

ग्वालियर, दिनांक 12 जून 2012

प्र. क्र. 70-अ-82-10-11-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक-एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की निम्न प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—ग्वालियर  
(ख) तहसील—ग्वालियर  
(ग) ग्राम—रमटापुर  
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.020 हेक्टर.

सर्वे नम्बर	रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
11/42	0.020

योग : 0.020

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—स्वर्ण रेखा नदी चौड़ीकरण हेतु भूमि का अर्जन.  
(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
**पी. नरहरि, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.**

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सतना, मध्यप्रदेश एवं  
पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग  
सतना, दिनांक 12 जून 2012

क्र. एफ-1320-भू-अर्जन-12.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 संशोधन 1984 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—(म. प्र. शासन/निजी खाता)

- (क) जिला—सतना  
(ख) तहसील—उचहेरा

(ग) नगर/ग्राम—पथरहटा

(घ) लगभग क्षेत्रफल—1.344 हेक्टर.

खसरा नम्बर	अर्जित रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
248	0.081
249	0.060
250	0.202
251	0.014
245	0.111
244	0.022
243	0.155
241	0.030
489	0.005
242	0.052
240	0.089
239	0.015
235	0.077
238	0.011
697/2	0.056
697/1	0.012
697/1324/1	0.043
697/1324/2	0.029
696	0.011
695	0.049
692	0.003
691	0.005
709	0.009
711	0.080
710	0.036
712	0.087
निजी खाता भूमि योग . .	<u>1.344</u>

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है—नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण अंतर्गत नहर निर्माण हेतु.  
(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर (भू-अर्जन), जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है.

क्र. एफ-1320-भू-अर्जन-12.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894

संशोधन 1984 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

### अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—(म. प्र. शासन/निजी खाता)

(क) जिला—सतना

(ख) तहसील—उचहेरा

(ग) नगर/ग्राम—इटहा खोखरा

(घ) लगभग क्षेत्रफल—6.961 हेक्टर.

खसरा अर्जित रकबा  
नम्बर (हेक्टर में)

(1)	(2)
21	0.319
22	0.263
25/1	0.147
25/3	0.310
46	0.022
47	0.013
48	0.200
50/1	0.112
83	0.115
84	0.267
85	0.119
104/1	0.141
104/2	0.167
105	0.146
106	0.246
107	0.217
108	0.208
117	0.064
195	0.011
221	0.207
222/1	0.004
223/1	0.235
224/1	0.151
271	0.584
272	0.107
243	0.154
244	0.150
26	0.314
23	0.045
226/1	0.048
249	0.231
250	0.195
248	0.063

(1) (2)

252 0.035

253 0.212

254 0.312

260 0.048

261 0.337

273 0.207

192 0.042

192/286 0.061

192/287 0.132

निजी खाता भूमि योग . . . 6.961

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है—नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण अंतर्गत नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर (भू-अर्जन), जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है.

क्र. एफ-1322-भू-अर्जन-12.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 संशोधन 1984 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

### अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—(म. प्र. शासन/निजी खाता)

(क) जिला—सतना

(ख) तहसील—उचहेरा

(ग) नगर/ग्राम—इचौल

(घ) लगभग क्षेत्रफल—2.084 हेक्टर.

खसरा अर्जित रकबा

नम्बर (हेक्टर में)

(1) (2)

878/1 0.002

878/2 0.104

880 0.010

882 0.006

884 0.012

885/1 0.022

885/2 0.063

886/1 0.034

886/2 0.005

887/1 0.004

(1)	(2)	(ग) नगर/ग्राम—खोह कोठार	
895	0.008	(घ) लगभग क्षेत्रफल—6.808 हेक्टर.	
896	0.055	खसरा	अर्जित रकबा
897	0.060	नम्बर	(हेक्टर में)
898	0.020	(1)	(2)
899	0.007	4/9/1	0.105
905/1	0.007	4/9/2	0.168
905/2	0.003	4/9/3	0.190
906/1	0.226	4/9/4	0.032
906/2	0.018	12/1	0.113
906/3	0.003	12/2	0.119
907	0.010	55/1क	0.196
908	0.012	12/3	0.082
909	0.054	12/4	0.049
910	0.017	12/5	0.272
911	0.039	18	0.014
951/2	0.320	23/1क/2	0.052
952	0.007	23/2/2	0.032
136	0.102	23/2/1	0.232
139	0.230	23/1क/1	0.249
140	0.136	25/1	0.008
189/1ख	0.487	25/2	0.009
निजी खाता भूमि योग . .	<u>2.084</u>	26	0.076
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है—नर्मदा		23/1ख	0.130
घाटी विकास प्राधिकरण अंतर्गत नहर निर्माण हेतु.		9	0.030
(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर (भू-अर्जन), जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है.		55/3	0.027
		55/4	0.085
		56	0.064
		57/3	0.206
		57/1	0.198
		57/2	0.211
		64	0.379
		65	0.034
		79/2	0.100
		80/2	0.062
		82/2	0.173
		87/2	0.048
		88/1	0.232
(1) भूमि का वर्णन—(म. प्र. शासन/निजी खाता)		87/3	0.017
(क) जिला—सतना		88/2	0.043
(ख) तहसील—उचेहरा			

(1)	(2)	(1)	(2)
89/1/2	0.114	8	0.227
90/1	0.022	131	0.005
90/2	0.041	9	0.241
90/3	0.036	10	0.071
90/4	0.012	12	0.203
91/1	0.163	13	0.074
113	0.590	14	0.106
114	0.424	15	0.074
116	0.132	16	0.099
117/1	0.284	17	0.104
117/2	0.362	18	0.119
120	0.052	19	0.179
121	0.539	21	0.151
निजी खाता भूमि योग . .	<u>6.808</u>	22	0.175
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है—नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण अंतर्गत नहर निर्माण हेतु.		23/1	0.182
(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर (भू-अर्जन), जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है.		23/2	0.163
		23/3	0.090
		35/1	0.012
		34/1	0.014
क्र. एफ-1324-भू-अर्जन-12.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 संशोधन 1984 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—		34/2	0.189
		35/2	0.005
		32/1	0.005
		32/2	0.094
		33	0.149
		30/4	0.135
(1) भूमि का वर्णन—(म. प्र. शासन/निजी खाता)		28/4	0.064
(क) जिला—सतना		29	0.058
(ख) तहसील—उचेहरा		30/2	0.126
(ग) नगर/ग्राम—मुगहनी कला		28/3	0.005
(घ) लगभग क्षेत्रफल—4.477 हेक्टेयर.		30/3	0.042
खसरा अर्जित रकबा		निजी खाता भूमि योग . .	<u>4.477</u>
नम्बर (हेक्टर में)			
(1)	(2)	(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है—नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण अंतर्गत नहर निर्माण हेतु.	
2	0.159	(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर (भू-अर्जन), जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है.	
3	0.337		
4	0.155		
6/1	0.665		

क्र. एफ-1325-भू-अर्जन-12.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 संशोधन 1984 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

### अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—(म. प्र. शासन/निजी खाता)

(क) जिला—सतना

(ख) तहसील—उचेहरा

(ग) नगर/ग्राम—नरहटी

(घ) लगभग क्षेत्रफल—3.558 हेक्टेयर.

खसरा अर्जित रकबा

नम्बर (हेक्टर में)

(1) (2)

630 0.034

637 0.071

631 0.005

635 0.004

640 0.026

641 0.018

511 0.005

639 0.034

636 0.058

642 0.140

643 0.011

647 0.048

648 0.028

649 0.074

650 0.008

524 0.124

501 0.139

502 0.039

500/3 0.131

500/1क 0.094

499/1 0.008

500/1ख 0.019

152/1 0.082

(1) (2)

132/3 0.118

132/5 0.142

132/1 0.112

131/1 0.007

132/2 0.011

131/2 0.006

130 0.130

129 0.013

136/1 0.097

126 0.011

137 0.037

139 0.152

138 0.025

123 0.009

121 0.165

122 0.005

120 0.053

119 0.029

115 0.007

118 0.101

117 0.007

240/1 0.097

241/1 0.011

371 0.113

368 0.045

369 0.019

370 0.004

367 0.005

364 0.090

363 0.050

362 0.034

358 0.075

357/3 0.018

303/2 0.008

303/5 0.036

303/1 0.062

303/3 0.049

336 0.026

337 0.005

327 0.049

(1)	(2)	(1)	(2)
304/1	0.010	110	0.72
304/1028	0.066	112	0.72
326	0.006	122	0.45
325	0.033	123	0.65
316	0.118	125	0.14
320	0.005	126	0.06
317	0.035	127	0.72
315	0.015	128	1.05
587	0.018	129	0.05
588	0.019	130	0.06
निजी खाता भूमि योग . .	<u>3.558</u>	131	1.12
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है—नर्मदा		132/1	0.467
घाटी विकास प्राधिकरण अंतर्गत नहर निर्माण हेतु.		132/2	0.16
(3) भूमि का नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर		133	0.40
(भू-अर्जन), जिला सतना के न्यायालय में किया जा		134	0.40
सकता है.		139/901	0.44
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,		135	0.50
के. के. खरे, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.		136	0.95
		137	0.42
		138	0.32
कार्यालय, कलेक्टर, जिला सागर, मध्यप्रदेश एवं		139	0.32
पदेन अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग		140	0.60
सागर, दिनांक 13 जून 2012		141	0.36
क्र. क-प्र.भू.-अर्जन-05अ-82-वर्ष 11-12.—चूंकि, राज्य शासन		142	0.41
को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची के		143	0.32
खाने (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (2) में उल्लेखित		144	0.85
सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन		145	0.52
अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत		146	0.28
इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त		147	0.70
प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—		148	0.96
		149/1	0.80
अनुसूची		149/2	1.10
(1) भूमि का विवरण—अशासकीय भूमि का अर्जन		150	0.82
(क) जिला—सागर		152/1	0.40
(ख) तहसील—सागर		152/2	0.20
(ग) ग्राम—सेमरागोपालमन, प. ह. नं.		153	0.081
(घ) लगभग क्षेत्रफल—22.307 हेक्टर.		166	0.114
खसरा नं. में से	रकबा	167	0.082
	(हेक्टर में)	157	0.0960
(1)	(2)	164	0.158
108/2	0.34	165	0.130
109	0.63	181	0.153
		159	0.024

(1)	(2)
193	0.096
294	0.067
295	0.052
357	0.266
351	0.110
349/1	0.120
447	0.060
448	0.105
450	0.072
562	0.028
569	0.032
565	0.044
564	0.120
563	0.020
572	0.092
578	0.166
577	0.052
576	0.108
575	0.044
827	0.104
826	0.120
825/2	0.052
824/1	0.12
126	0.012

योग . . . 22.307

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये आवश्यकता है—खजुरिया जलाशय योजना के बांध एवं नहर कार्य हेतु कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. 1, सागर.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), सागर के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
ई. रमेश कुमार, कलेक्टर एवं पदेन अपर सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बड़वानी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग बड़वानी, दिनांक 29 मई 2012

क्र. 1005-भू-अर्जन-री.-2012-प्र. क्र. 23-अ-82-2011-12.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि

नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

### अनुसूची

#### (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—बड़वानी  
(ख) तहसील—बड़वानी  
(ग) ग्राम—पांचपुला दक्षिण भाग-3 (निजी कृषि भूमि)  
(घ) लगभग क्षेत्रफल—10.966 हेक्टर.

खसरा	क्षेत्रफल
नम्बर	(हेक्टर में)
(1)	(2)

434/2, 434/3, 683/2,	0.607
683/3, 683/4, 683/5,	
683/6, 683/7, 683/8	
428/1, 429/2	0.081
222/19, 432/6	0.162
191/2, 191/4, 193,	2.869
201, 202/2	
172/3, 176/3, 177/2	1.109
159/9	0.910
137/3, 148/1	3.127
124/5	2.000
68/4	0.101

योग . . . 10.966

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए निजी कृषि भूमि की आवश्यकता है—लोअर गोई परियोजना की मुख्य बांध निर्माण हेतु.

नोट.—भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी, लोअर गोई परियोजना बांध बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-12 राजपुर, जिला बड़वानी के कार्यालय में, कार्यालयीन समय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
श्रीमन शुक्ला, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.



कार्यालय, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर  
परियोजना, जिला रीवा मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव,

मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

रीवा, दिनांक 19 जून 2012

क्र. 1706-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

### अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—सीधी  
(ख) तहसील—चुरहट  
(ग) ग्राम—डिहुली  
(घ) क्षेत्रफल—0.93 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	रकबा (हे. में)
(1)	(2)
1209	0.010
1210	0.010
1211/2	0.050
1221	0.020
1222/2	0.060
1223/2	0.060
1224	0.010
1225	0.090
1226	0.040
1230	0.010
1231	0.040
1245	0.110
1250	0.170
1253	0.040
1254	0.030
1255	0.050
1256	0.010
1257	0.020
1258	0.100
योग . .	0.93

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना के नहर निर्माण में आने वाले ग्रामों की निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण प्रशासक, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 1708-भू-अर्जन-2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

### अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—सीधी  
(ख) तहसील—चुरहट  
(ग) ग्राम—लकोड़ा  
(घ) क्षेत्रफल—0.75 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	रकबा (हे. में)
(1)	(2)
2	0.08
3	0.07
4	0.01
5	0.04
8	0.01
9	0.04
20	0.13
21	0.01
95/2	0.01
96	0.11
97/2	0.04
99/2	0.01
100	0.02
101	0.02
102	0.02
109	0.02
110	0.06
124	0.02
172	0.03
योग . .	0.75

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना के नहर निर्माण में आने वाले ग्रामों की निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.	(1)	(2)
	206	0.04
	207	0.07
(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण प्रशासक, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.	209	0.04
	210	0.01
	212	0.07
क्र. 1710-भू-अर्जन-2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—	214	0.10
	215	0.01
	217	0.06
	231	0.16
	313	0.03
	337	0.07
	339	0.01
अनुसूची	340	0.11
(1) भूमि का वर्णन—	341	0.03
	342	0.02
(क) जिला—सीधी	352	0.01
(ख) तहसील—चुरहट	353	0.01
(ग) ग्राम—कुस्परी	354	0.02
(घ) क्षेत्रफल—5.14 हेक्टेयर.	416	0.03
खसरा नम्बर	रकबा (हे. में)	
(1)	(2)	
3	0.14	417
13/2	0.07	418
14/1	0.08	419
14/2	0.08	420
15	0.10	421
114	0.04	422
115/1/2	0.08	423
116	0.16	424
153	0.10	425
154	0.20	426
156	0.03	427
157	0.01	428
163	0.02	429
164	0.06	430
182	0.08	431
183	0.03	432
196	0.01	433
202	0.01	434
203	0.02	435
204	0.01	436
		437
		438
		439
		440
		441
		442
		443
		444
		445
		446
		447
		448
		449
		450
		451
		452
		453
		454
		455
		456
		457
		458
		459
		460
		461
		462
		463
		464
		465
		466
		467
		468
		469
		470
		471
		472
		473
		474
		475
		476
		477
		478
		479
		480
		481
		482
		483
		484
		485
		486
		487
		488
		489
		490
		491
		492
		493
		494
		495
		496
		497
		498
		499
		500

(1)	(2)	क्र. 1712-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान
761	0.04	हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की,
785	0.02	अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये
788	0.12	आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन्
818	0.06	1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, घोषित किया जाता है कि
819	0.06	निजी/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—
825	0.06	
826	0.05	<b>अनुसूची</b>
831	0.24	(1) भूमि का वर्णन—
837	0.16	(क) जिला—सीधी
838	0.01	(ख) तहसील—रामपुर नैकिन
847	0.02	(ग) ग्राम—बाघड़ खास
846	0.03	(घ) क्षेत्रफल लगभग—0.295 हेक्टेयर.
848/1	0.06	खसरा नम्बर                      अर्जित रकबा (हे. में)
862	0.02	(1)                                      (2)
864	0.01	38                                      0.014
865	0.05	39                                      0.050
866	0.03	40                                      0.001
867	0.02	45                                      0.073
872	0.03	64                                      0.060
873	0.11	47                                      0.056
874	0.03	48                                      0.032
875	0.02	63                                      0.009
882	0.15	योग . . . <u>0.295</u>
883/1	0.02	(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—बाणसागर
883/2	0.02	परियोजना के अंतर्गत शिकारगंज वितरक नहर क्र. 2 का
883/3	0.02	निर्माण कार्य के अन्तर्गत आने वाली निजी/शासकीय भूमियों
884	0.04	पर स्थित सम्पत्तियों के अर्जन हेतु.
885	0.05	(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण प्रशासक, भू-अर्जन
886	0.04	एवं पुनर्वास, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
888/1	0.01	
888/2	0.02	क्र. 1714-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान
889	0.05	हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की,
895	0.15	अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये
115/1/3	0.08	आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन्
	योग . . . <u>5.14</u>	1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, घोषित किया जाता है कि
		निजी/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

**अनुसूची**

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना के नहर निर्माण में आने वाले ग्रामों की निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्तियों के अर्जन हेतु.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है

**(1) भूमि का वर्णन—**

- (क) जिला—सीधी  
(ख) तहसील—रामपुर नैकिन

(ग) ग्राम—अमहाटोला

(घ) क्षेत्रफल लगभग—0.917 हेक्टेयर.

(ग) ग्राम—बरहा टोला

(घ) क्षेत्रफल लगभग—1.701 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	अर्जित रकबा (हे. में)	खसरा नम्बर	अर्जित रकबा (हे. में)
(1)	(2)	(1)	(2)
42	0.002	17	0.040
43	0.002	49	0.089
44	0.013	50	0.032
45	0.004	51	0.124
149	0.070	64	0.002
35	0.070	65	0.014
63	0.194	66	0.014
62	0.009	67	0.064
64	0.079	127	0.003
65	0.035	128	0.004
66	0.012	129	0.059
129	0.107	130	0.018
124	0.046	144	0.035
123	0.045	145	0.048
131	0.022	142	0.009
132	0.036	143	0.019
133	0.014	147	0.107
134	0.012	152	0.108
135	0.065	151	0.009
137	0.065	170	0.009
	<b>शासकीय</b>	171	0.140
136	0.015	173	0.041
	योग . . . 0.917	174	0.026
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना के अंतर्गत शिकारगंज वितरक नहर क्र. 2 का निर्माण कार्य के अन्तर्गत आने वाली निजी/शासकीय भूमियों पर स्थित सम्पत्तियों के अर्जन हेतु.		175	0.019
		176	0.052
		177	0.048
		178	0.025
(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.		180	0.024
		195	0.099
क्र. 1716-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—		194	0.096
		291	0.090
		293	0.170
		189	0.008
		190	0.030
			<b>शासकीय</b>
		18	0.026
(1) भूमि का वर्णन—			योग . . . 1.701
(क) जिला—सीधी			
(ख) तहसील—रामपुर नैकिन			

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना के अंतर्गत शिकारगंज वितरक नहर क्र. 2 का निर्माण कार्य के अन्तर्गत आने वाली निजी/शासकीय भूमियों पर स्थित सम्पत्तियों के अर्जन हेतु.	(1) 208 211 210 197	(2) 0.088 0.016 0.072 0.120
(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.	194	0.060
		योग . . 1.339

क्र. 1718-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

### अनुसूची

#### (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—सीधी  
(ख) तहसील—रामपुर नैकिन  
(ग) ग्राम—बाघड़ धवैया  
(घ) क्षेत्रफल लगभग—1.339 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	अर्जित रकबा (हे. में)
(1)	(2)
20	0.052
21	0.154
22	0.016
40	0.009
41	0.083
38	0.012
39	0.076
64	0.045
65	0.148
66	0.060
67	0.012
70	0.003
71	0.120
72	0.006
203	0.072
204	0.088
205	0.005
209	0.022

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना के अंतर्गत शिकारगंज वितरक नहर क्र. 2 का निर्माण कार्य के अन्तर्गत आने वाली निजी/शासकीय भूमियों पर स्थित सम्पत्तियों के अर्जन हेतु.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

रीवा, दिनांक 21 जून 2012

क्र. 1758-भू-अर्जन-2011-2012.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

### अनुसूची

#### (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—रीवा  
(ख) तहसील—सिरमौर  
(ग) ग्राम—देवरा ज. नं. 247  
(घ) क्षेत्रफल लगभग—0.058 हेक्टेयर, छुटे हुये रकबे.

खसरा नम्बर	रकबा (हे. में)
(1)	(2)
532/1067/2	0.058
	योग . . 0.058

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना क्यौंटी नहर की देवरा माइनर नं. 1 एवं 2 के अंतर्गत आने वाले निजी/शासकीय भूमि पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
बी. बी. श्रीवास्तव, प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर  
परियोजना, जिला रीवा मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव,  
मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग  
रीवा, दिनांक 20 जून 2012

क्र. 1739-प्रका.-भू-अर्जन-2011-12.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

#### अनुसूची

##### (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—सीधी  
(ख) तहसील—रामपुर नैकिन  
(ग) ग्राम—नैकिन  
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.44 हेक्टेयर.

खसरा नं.	कुल रकबा (हे. में.)	अर्जित रकबा (हे. में.)
(1)	(2)	(3)

##### (अ) निजी भूमि का विवरण

1256	1.78	0.25
2201	0.02	0.02
2209	0.49	0.12
2210	0.07	0.01
2188	0.06	0.01
2189	0.40	0.03
कुल योग . .		0.44

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है.—बाणसागर परियोजना के अंतर्गत सिहावल मुख्य नहर प्रणाली की रघुनाथपुर माइनर की उपशाखा नहर क्र.-4 के लिये निजी भूमि तथा उस पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 1741-प्रका.-भू-अर्जन-2011-12.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद

(1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

#### अनुसूची

##### (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—सीधी  
(ख) तहसील—रामपुर नैकिन  
(ग) ग्राम—मझिगांवा  
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.234 हेक्टेयर.

खसरा नं.	कुल रकबा (हे. में.)	अर्जित रकबा (हे. में.)
(1)	(2)	(3)

##### (अ) निजी भूमि का विवरण

1019	0.56	0.096
1020	0.07	0.01
1022/2	0.26	0.128
कुल योग . .		0.234

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है.—बाणसागर परियोजना के अंतर्गत सिहावल मुख्य नहर प्रणाली की रघुनाथपुर माइनर की उपशाखा नहर क्र.-6 के लिये निजी भूमि तथा उस पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 1745-प्रका.-भू-अर्जन-2011-12.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

#### अनुसूची

##### (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—सीधी  
(ख) तहसील—रामपुर नैकिन

(ग) ग्राम—नैकिन			(1)	(2)	(3)
(घ) लगभग क्षेत्रफल—4.07 हेक्टेयर.			1510	0.16	0.06
खसरा	कुल रकबा	अर्जित रकबा			
नं.	(हे. में.)	(हे. में.)			
(1)	(2)	(3)			
(अ) निजी भूमि का विवरण			1523	0.11	0.01
708	0.538	0.02	1541	0.18	0.01
714	0.25	0.07	1540	0.22	0.04
709	0.414	0.01	1552	0.07	0.03
710/1	0.15	0.01	1550	0.82	0.02
712	0.24	0.01	1551	0.07	0.04
713	0.02	0.08	1553	0.05	0.02
734	0.16	0.04	1556	0.06	0.02
735	0.14	0.3	1555	0.02	0.02
737/1	0.30	0.02	1554	0.01	0.01
743	0.87	0.09	1564	0.14	0.03
742/2	0.19	0.03	1562	0.05	0.02
745/1	0.19	0.01	1567	0.42	0.04
747	0.42	0.02	1449	0.03	0.02
746	0.77	0.18	1568	0.07	0.006
955	0.36	0.12	1450	0.03	0.01
1006	0.41	0.12	2023	0.44	0.12
1007	0.11	0.09	2024	0.04	0.01
1015	0.99	0.04	2090	0.61	0.06
1112	0.42	0.05	2089	0.80	0.10
1111	0.74	0.12	2025	0.62	0.06
1110	0.26	0.09	2026	0.06	0.01
1148	0.04	0.04	2074	1.85	0.12
1159	0.05	0.03	2073	0.24	0.001
1160	0.04	0.05	2027	0.47	0.05
1161	0.11	0.02	2030	0.05	0.01
1105	0.87	0.01	2031	0.76	0.03
1163	0.04	0.03	2056	1.00	0.12
1164	0.11	0.03	2055	0.07	0.01
1490	0.30	0.03	2054	01.33	0.04
1491	0.30	0.03	2042	0.58	0.03
1486	0.02	0.03	2048	0.05	0.02
1487	0.17	0.01	2049	0.40	0.07
1498	0.24	0.04			

(1)	(2)	(3)
2052/2	0.31	0.08
2052/1/1	0.36	0.06
2052/1/2	0.31	0.07
2037	0.40	0.10
2310	0.25	0.08
2307	0.60	0.03
2308	0.05	0.01
2405	0.14	0.05
2406	0.14	0.001
2410	0.35	0.01
2411	0.06	0.01
2402	0.13	0.01
2412	0.04	0.01
2415	0.09	0.01
2416	0.09	0.01
2421	0.08	0.01
2422	0.09	0.03
2426	0.06	0.02
2427	0.06	0.01
2431	0.18	0.01
2432	0.18	0.01
2433	0.18	0.01
2434	0.17	0.03
2454	0.40	0.01
2448	0.08	0.02
2447	0.55	0.01
2446	0.08	0.002
2470/1	1.84	0.01
2470/2	1.55	0.07
2471	0.33	0.04
2518/1	0.05	0.01
2518/2	0.05	0.02
<b>( ब ) म. प्र. शासन की भूमि का विवरण—</b>		
1489	0.05	0.04
1485	0.02	0.01
1509	0.06	0.06
1499	0.05	0.01
1508	0.02	0.01

(1)	(2)	(3)
1507	0.01	0.01
1524	0.03	0.01
योग . .		0.15
महायोग . .		4.07

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है.—बाणसागर परियोजना के अंतर्गत सिहावल मुख्य नहर प्रणाली की रघुनाथपुर माइनर की उपशाखा क्र.-2 के लिये निजी भूमि तथा उस पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 1747-प्रका.-भू-अर्जन-2011-12.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

#### अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—सीधी  
(ख) तहसील—रामपुर नैकिन  
(ग) ग्राम—नैकिन  
(घ) लगभग क्षेत्रफल—2.32 हेक्टेयर.

खसरा नं.	कुल रकबा (हे. में.)	अर्जित रकबा (हे. में.)
(1)	(2)	(3)

(अ) निजी भूमि का विवरण

168/3	0.27	0.02
169	0.44	0.22
170/1	0.29	0.05
185	0.23	0.04
184	0.18	0.06
174	0.35	0.02
180	1.15	0.09
206	0.10	0.10
207	1.39	0.02
205	0.25	0.05



(1)	(2)	(3)
224	0.60	0.12
225	0.11	0.06
230	0.35	0.08
231	0.89	0.24
246	0.84	0.22
260	1.56	0.22
275	0.93	0.09
274	1.85	0.09
273	0.33	0.16
271	0.53	0.06
292	1.65	0.16
316	0.84	0.10
317/1	0.42	0.10
योग . .		<u>2.32</u>

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है.—बाणसागर परियोजना के अंतर्गत सिहावल मुख्य नहर प्रणाली की रघुनाथपुर माइनर की उपशाखा क्र.-1 के लिये निजी भूमि तथा उस पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. 1749-प्रका.-भू-अर्जन-2011-12.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

#### अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—सीधी

(ख) तहसील—रामपुर नैकिन

(ग) ग्राम—नैकिन

(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.39 हेक्टेयर.

खसरा नं.	कुल रकबा (हे. में.)	अर्जित रकबा (हे. में.)
(1)	(2)	(3)

#### (अ) निजी भूमि का विवरण

1087/1	0.284/5	0.09
1085	0.03	0.01
1219	0.30	0.08

(1)	(2)	(3)
1220	0.68	0.08
1232	0.68	0.11
1222	0.03	0.02
योग . .		<u>0.39</u>

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है.—बाणसागर परियोजना के अंतर्गत सिहावल मुख्य नहर प्रणाली की नैकिन उपशाखा माइनर क्र.-5 के लिये निजी भूमि तथा उस पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. 1751-प्रका.-भू-अर्जन-2011-12.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

#### अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—सीधी

(ख) तहसील—रामपुर नैकिन

(ग) ग्राम—मऊ

(घ) लगभग क्षेत्रफल—2.178 हेक्टेयर.

खसरा नं.	कुल रकबा (हे. में.)	अर्जित रकबा (हे. में.)
(1)	(2)	(3)

#### (अ) निजी भूमि का विवरण

868	0.31	0.38
867	0.49	0.44
866	0.08	0.01
828	0.18	0.06
829	0.29	0.57
830/1	0.66	0.008
830/2	0.23	0.009
830/3	0.23	0.64
831	0.68	0.84
832	0.39	0.44
855	0.09	0.44
854	0.08	0.16

(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)
846	0.05	0.38	2513	0.45	0.94
847	0.06	0.54	2515	0.26	0.05
932/1	0.03	0.32	2516/1	0.24	0.32
932/2	0.04	0.32	2516/2	0.08	0.32
931	0.29	0.19	2517	0.04	0.03
930	0.27	0.25	2518/1	0.56	0.06
929	0.18	0.54	2518/2	0.12	0.06
922	0.09	0.08	2395	1.13	0.16
949	0.14	0.19	2396	0.16	0.06
948	0.12	0.08	2397	0.31	0.51
921	0.07	0.54	2225/1	0.02	0.32
948	0.20	0.12	2225/2	0.01	0.32
949	0.15	0.35		योग . . .	<u>2.178</u>
950	0.05	0.44	(2)	सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है.—बाणसागर परियोजना के अंतर्गत सिहावल मुख्य नहर प्रणाली की रघुनाथपुर माइनर रघुनाथपुर उपशाखा नहर के लिये निजी भूमि तथा उस पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.	
952	0.09	0.06	(3)	भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.	
954	0.12	0.25		क्र. 1735-प्रका.-भू-अर्जन-2011-12.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—	
959	0.12	0.48		अनुसूची	
958	0.08	0.57	(1)	भूमि का वर्णन—	
962	0.13	0.12		(क) जिला—सीधी	
963	0.19	0.38		(ख) तहसील—रामपुर नैकिन	
964	0.04	0.25		(ग) ग्राम—वीरपुर	
966	0.20	0.35		(घ) लगभग क्षेत्रफल—1.696 हेक्टेयर.	
965	0.14	0.41		खसरा	कुल रकबा
1020	0.15	0.03		नं.	अर्जित रकबा
1021	0.18	0.12		(हे. में.)	(हे. में.)
1022	0.07	0.76		(1)	(2)
2443	0.06	0.03		(3)	
2442	0.25	0.09		(अ) निजी भूमि का विवरण	
2444	0.08	0.64	245	0.19	0.096
2445	0.10	0.118	247	0.27	0.12
2455	0.38	0.128	252	0.71	0.14
2456	0.32	0.06			
2457/1	0.08	0.20			
2457/2	0.20	0.20			
2457/3	0.12	0.22			
2459	0.92	0.07			
2511	0.05	0.45			
2512	0.57	0.64			

(1)	(2)	(3)
253	0.12	0.03
254	0.35	0.07
274	0.28	0.10
277	0.41	0.17
282	0.11	0.05
288	0.10	0.06
294/1	0.21	0.08
296/2	0.20	0.08
329	0.12	0.05
321	0.15	0.16
318	0.20	0.02
317	0.18	0.07
332	0.70	0.02
344	0.35	0.03
345	0.06	0.02
346	0.14	0.02
343	0.38	0.06
352	0.11	0.02
353	0.13	0.03
363	0.29	0.09
362	0.38	0.09
371	0.09	0.02
377	0.16	0.02
372	0.09	0.02
376	0.11	0.02
	योग . .	<u>1.696</u>

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है.—बाणसागर परियोजना के अंतर्गत सिहावल मुख्य नहर प्रणाली की रघुनाथपुर माइनर की उपशाखा क्र.-5 के लिये निजी भूमि तथा उस पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
बी. बी. श्रीवास्तव, प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला डिण्डौरी, मध्यप्रदेश  
एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन,  
राजस्व विभाग

डिण्डौरी, दिनांक 21 जून 2012

क्र.-भू-अर्जन-(अ-82)-2011-2012.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद

(1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

### अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—डिण्डौरी

(ख) तहसील—डिण्डौरी

(ग) ग्राम—अमनी पिपरिया रै.

(घ) लगभग क्षेत्रफल—3.060 हेक्टेयर.

सर्वे नम्बर	प्रस्तावित रकबा (हे. में)
-------------	---------------------------

(1)	(2)
-----	-----

बाँयी तट नहर कार्य निजी भूमि

204	0.130
203	0.190
217	0.700
222/1	0.040
222/2	0.330
219	0.290

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—भरद्वारा (अमनी) जलाशय दाँयी तट एवं बाँयी तट नहर कार्य हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, जिलाध्यक्ष कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र.-भू-अर्जन (अ-82)-2011-2012.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत

इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

**अनुसूची**

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—डिण्डौरी

(ख) तहसील—डिण्डौरी

(ग) ग्राम—शाहपुर

(घ) लगभग क्षेत्रफल—6.090 हेक्टेयर.

सर्वे प्रस्तावित रकबा

नम्बर (हे. में)

(1) (2)

**नहर कार्य निजी भूमि**

1/1 0.080

1/2 0.080

2 0.300

10 0.020

11 0.200

12/1 0.080

12/2 0.050

12/3 0.050

12/4 0.040

13/1 0.190

17/3 0.070

18 0.150

19/2 0.080

19/3 0.070

25 0.060

27/1 0.100

28 0.190

29 0.300

30 0.040

333 0.200

334 0.060

336/2 0.140

336/3 0.230

336/4 0.190

336/1 0.060

343 0.200

344 0.320

346 0.110

347 0.140

(1) (2)

348 0.190

354 0.180

355 0.020

405/2 0.090

406/1 0.020

407 0.200

408/1 0.060

409/1 0.120

409/2 0.130

441 0.250

442 0.270

444 0.060

445/1 0.030

445/2 0.030

500 0.210

502 0.020

503 0.030

504/1 0.350

505 0.030

योग . . 6.090

**शासकीय भूमि**

3, 22, 24, 372, 473, | 0.18

501.

योग . . 6.270

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—गोरखपुर जलाशय नहर कार्य हेतु,

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, जिलाध्यक्ष कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र.-भू-अर्जन (अ-82)-2011-2012.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

**अनुसूची**

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—डिण्डौरी

(ख) तहसील—डिण्डौरी

(ग) ग्राम—पडरिया		(1)	(2)
(घ) लगभग क्षेत्रफल—2.851 हेक्टेयर.			
सर्वे	प्रस्तावित रकबा	194	0.217
नम्बर	(हे. में)	167/2	0.057
(1)	(2)	132	0.010
दॉयी तट नहर कार्य निजी भूमि			योग . . 2.851
1	0.100		
3	0.032		
25/1	0.064	8, 24, 54, 66, 67,	
23	0.019	83, 80, 104, 106,	0.83
29/2	0.100	109, 122, 133, 211,	
22	0.160	206, 200, 195.	योग . . 3.681
37	0.108		(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—गोपालपुर जलाशय योजना के अंतर्गत दॉयी तट नहर कार्य हेतु.
38	0.060		
41	0.060		(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, जिलाध्यक्ष कार्यालय में किया जा सकता है.
39	0.108		
40	0.020		क्र.-भू-अर्जन (अ-82)-2011-2012.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—
34	0.076		अनुसूची
60	0.010		(1) भूमि का वर्णन—
61	0.134		(क) जिला—डिण्डौरी
59	0.064		(ख) तहसील—डिण्डौरी
84	0.256		(ग) ग्राम—अमनी पिपरिया मा.
68	0.010		(घ) लगभग क्षेत्रफल—7.552 हेक्टेयर.
82	0.076		सर्वे प्रस्तावित रकबा
81/2	0.038		नम्बर (हे. में)
103	0.032		(1) (2)
107	0.115		नहर कार्य निजी भूमि
123	0.064		248 0.200
119	0.160		247 0.040
141	0.307		243 0.010
143	0.030		244 0.220
142	0.076		242 0.340
208	0.076		240 0.300
205	0.010		239 0.300
207	0.064		
199	0.100		
193	0.038		



सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

### अनुसूची

#### (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—डिण्डौरी  
(ख) तहसील—डिण्डौरी  
(ग) ग्राम—जमगाँव माल  
(घ) लगभग क्षेत्रफल—2.160 हेक्टेयर.

सर्वे नम्बर (1)	प्रस्तावित रकबा (हे. में) (2)
<b>शीर्ष कार्य निजी भूमि</b>	
54	0.120
493	0.230
494	0.260
495	0.110
483	0.120
479	0.140
435	0.090
345	0.020
344	0.200
343	0.020
515	0.110
514	0.080
514/616	0.040
521	0.070
524/1	0.280
525	0.020
524/1	0.200
524/2	0.050
योग . .	<u>2.160</u>

#### शासकीय भूमि

491, 482, 480,		0.460
489/622, 342, 491,		
505, 508, 512, 517,		
518, 520		
योग . .		

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—नागदमन जलाशय योजना नहर कार्य हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, जिलाध्यक्ष कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र.-भू-अर्जन (अ-82)-2011-2012.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

### अनुसूची

#### (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—डिण्डौरी  
(ख) तहसील—डिण्डौरी  
(ग) ग्राम—बरबसपुर रै.  
(घ) लगभग क्षेत्रफल—2.290 हेक्टेयर.

सर्वे नम्बर (1)	प्रस्तावित रकबा (हे. में) (2)
<b>शीर्ष कार्य निजी भूमि</b>	
12	0.210
27	0.190
30	0.080
96	0.080
97	0.160
117	0.030
118	0.090
125	0.160
129	0.030
144	0.140
146	0.110
148	0.030
149	0.150
150/1	0.020
150/2	0.020
229	0.190
230	0.160
231	0.100
243/2	0.190
244	0.040
246/1	0.050
246/2	0.060

योग . . 2.290

(1)	(2)
<b>शासकीय भूमि</b>	
86, 100, 119,	0.440
128, 132, 143,	
145, 147, 251	
योग . . . 2.730	

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—गोरखपुर जलाशय योजना नहर कार्य हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, जिलाध्यक्ष कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र.-भू-अर्जन (अ-82)-2011-2012.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

#### अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—डिण्डौरी  
(ख) तहसील—डिण्डौरी  
(ग) ग्राम—सूरजपुरा रै.  
(घ) लगभग क्षेत्रफल—1.230 हेक्टेयर.  
सर्वे प्रस्तावित रकबा  
नम्बर (हे. में)  
(1) (2)

#### शीर्ष कार्य निजी भूमि

24/1	0.100
26	0.140
27	0.190
82/1	0.280
28	0.260
81	0.260
योग . . . 1.230	

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—गोरखपुर जलाशय योजना नहर कार्य हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, जिलाध्यक्ष कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र.-भू-अर्जन (अ-82)-2011-2012.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत

इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

#### अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—डिण्डौरी  
(ख) तहसील—डिण्डौरी  
(ग) ग्राम—गोपालपुर  
(घ) लगभग क्षेत्रफल—2.964 हेक्टेयर.

सर्वे	प्रस्तावित रकबा
नम्बर	(हे. में)
(1)	(2)

#### दांयी तट नहर निजी भूमि

172/1	0.010
175	0.130
204	0.090
203	0.025
202	0.200
207	0.090
208	0.026
206	0.096
216	0.100
263/1	0.057
263/2	0.080
263/3	0.220
288	0.350
294	0.076
295	0.120

#### बांयी तट नहर निजी भूमि

171/2	0.038
167	0.050
222	0.190
156	0.250
147	0.166
152	0.220
229	0.210
232	0.170

योग . . . 2.964

#### शासकीय भूमि

187, 266, 262, 296,	0.224
218, 168, 159, 155	
योग . . . 3.188	

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—गोपालपुर जलाशय बांयी एवं दांयी तट नहर कार्य हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, जिलाध्यक्ष कार्यालय में किया जा सकता है.



क्र.-भू-अर्जन (अ-82)-2011-2012.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

### अनुसूची

#### (1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—डिण्डौरी

(ख) तहसील—डिण्डौरी

(ग) ग्राम—बरगा रै.

(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.280 हेक्टेयर.

सर्वे नम्बर (1)	प्रस्तावित रकबा (हे. में) (2)

#### निजी भूमि

529	0.152
525	0.128
योग . .	<u>0.280</u>

#### शासकीय भूमि

530, 526, 524	0.65
योग . .	<u>0.928</u>

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—बरगा (समनापुर) जलाशय नहर कार्य हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, जिलाध्यक्ष कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र.-भू-अर्जन (अ-82)-2011-2012.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

### अनुसूची

#### (1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—डिण्डौरी

(ख) तहसील—शहपुरा

(ग) ग्राम—छीरपानी

(घ) लगभग क्षेत्रफल—4.260 हेक्टेयर.

सर्वे नम्बर (1)	प्रस्तावित रकबा (हे. में) (2)

#### शीर्ष कार्य निजी भूमि

412	0.760
413/1	0.320
413/2	0.520
422	0.140
410/1	0.100
421	0.080
410/2	0.430
419	0.880
420	1.030
योग . .	<u>4.260</u>

#### शासकीय भूमि

353	0.600
योग . .	<u>4.860</u>

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—छीरपानी जलाशय योजना शीर्ष कार्य हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, जिलाध्यक्ष कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र.-भू-अर्जन (अ-82)-2011-2012.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

### अनुसूची

#### (1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—डिण्डौरी

(ख) तहसील—डिण्डौरी

(ग) ग्राम—ग्वारा

(घ) लगभग क्षेत्रफल—5.571 हेक्टेयर.

सर्वे नम्बर (1)	प्रस्तावित रकबा (हे. में) (2)

#### नहर कार्य निजी भूमि

188	0.150
189	0.438

(1)	(2)	(1)	(2)
190	0.126	268	0.110
234	0.102	458	0.282
192	0.057	457	0.030
193	0.146	455	0.048
181/1	0.108	282	0.310
181/2	0.060	452	0.002
180	0.207	281/534	0.018
196	0.102	283	0.030
198	0.012	284	0.030
202	0.114	286	0.001
204	0.102	287	0.093
205	0.060	444	0.042
206	0.090	443	0.030
207	0.072	442	0.060
210	0.015	441	0.020
208	0.168	440	0.004
209	0.066	435/1	0.065
216	0.078	435/2	0.065
218	0.072	436/1	0.066
217	0.030	436/2	0.114
219	0.342	436/3	0.048
221	0.282	434	0.080
222	0.036	424	0.015
224	0.096	425	0.122
223	0.018	426	0.085
249	0.270		योग . . 5.571
267	0.156		शासकीय भूमि
265	0.198	235, 191, 197, 259	0.438
264	0.028		योग . . 6.009
		(2)	सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—सारंगपुर पडरिया जलाशय नहर कार्य हेतु.
		(3)	भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, जिलाध्यक्ष कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र.-भू-अर्जन (अ-82)-2011-2012.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

### अनुसूची

#### (1) भूमि का वर्णन—

सर्वे नम्बर (1)	प्रस्तावित रकबा (हे. में) (2)
<b>शेष नहर कार्य निजी भूमि</b>	
293	0.210
226	0.312
227/2	0.120
223	0.435
220	0.120
219	0.072
218	0.090
216/1	0.252
354	0.276
358	0.246
357	0.186
356	0.060
214/1	0.279
214/2	0.096
213	0.144
212	0.120

योग . . . 3.018

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—सारंगपुर पडरिया जलाशय शेष नहर कार्य हेतु.
- (3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, जिलाध्यक्ष कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
जी. वी. रश्मि, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सीधी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सीधी, दिनांक 22 जून 2012

क्र. 381-भू-अर्जन-2012.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

### अनुसूची

#### (1) भूमि का वर्णन—

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हे. में) (2)
<b>शेष नहर कार्य निजी भूमि</b>	
(क) जिला—सीधी	
(ख) तहसील—गोपद बनास	
(ग) नगर/ग्राम—खैरही 46	
(घ) लगभग क्षेत्रफल—3.34 (अति. रकबा) हेक्टेयर.	
130	0.06
87	0.39
88	0.03
86	0.20
85	0.02
95	0.02
96	0.02
73	0.03
74	0.40
75	0.05
66	0.03
67	0.14
68	0.23
69	0.09
70	0.06
71	0.01
64	0.46

(1)	(2)	(1)	(2)
62	0.18	174	0.10
63	0.21	176	0.03
59	0.18	177	0.07
60	0.32	178	0.04
61	0.01	179	0.04
58	0.13	173	0.23
57	0.06	191	0.07
56	0.01	240	0.06
	योग . . 3.34		
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—नहर निर्माण हेतु,		236	0.01
		241	0.12
(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर सीधी के कार्यालय में किया जा सकता है.		242	0.05
		243	0.03
क्र. 383-भू-अर्जन-2012.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—		223	0.08
		226	0.03
		227	0.03
		221	0.06
		213	0.16
		208	0.01
अनुसूची			
(1) भूमि का वर्णन—		209	0.04
(क) जिला—सीधी		248	0.03
(ख) तहसील—रामपुर नैकिन		252	0.05
(ग) नगर/ग्राम—कथरिहा		253	0.06
(घ) लगभग क्षेत्रफल—2.15 (अति. रकबा) हेक्टेयर.		255	0.15
		260	0.01
खसरा नम्बर	रकबा (हे. में)	257	0.05
(1)	(2)		योग . . 2.15
132	0.04	(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—नहर निर्माण हेतु.	
146	0.45		
131	0.02	(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर सीधी के कार्यालय में किया जा सकता है.	
148	0.03		

क्र. 385-भू.-अर्जन-2012.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-

### अनुसूची

#### (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—सीधी  
(ख) तहसील—गोपद बनास  
(ग) नगर/ग्राम—विजयपुर  
(घ) लगभग क्षेत्रफल—2.25 (अति. रकबा) हेक्टेयर.

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
142	0.05
144	0.02
145	0.04
146	0.32
234	0.11
233	0.08
135	0.13
235	0.25
237	0.04
238	0.07
214	0.03
220	0.18
226	0.07
227	0.05
222	0.10
223	0.06
224	0.02
226	0.10
227	0.02
201	0.01
202	0.02
200	0.03
198	0.31
197	0.14
योग	2.25

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर सीधी के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 387-भू.-अर्जन-2012.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-

### अनुसूची

#### (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—सीधी  
(ख) तहसील—गोपद बनास  
(ग) नगर/ग्राम—जमोड़ी कला  
(घ) लगभग क्षेत्रफल—3.35 (अति. रकबा) हेक्टेयर.

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
377	0.03
379	0.13
380	0.18
382	0.01
383	0.35
387	0.08
389	0.04
390	0.05
392	0.05
394	0.10
393	0.04
398	0.13
399	0.06
397	0.06
408	0.09
409	0.08
405	0.01
407	0.01
431	0.16
432	0.02
342	0.01
433	0.09



(1)	(2)	(1)	(2)
159	0.01	591	0.03
174	0.07	592	0.04
172	0.09	593	0.01
170	0.01	519	0.02
171	0.03	589	0.04
189	0.03	587	0.02
195	0.01	588	0.02
469	0.12	584	0.04
474	0.19	585	0.03
475	0.04	586	0.03
481	0.37	606	0.01
योग . .	<u>7.90</u>	608	0.03
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—नहर निर्माण हेतु.		611	0.01
		612	0.02
		613	0.02
		614	0.03
(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर, सीधी के कार्यालय में किया जा सकता है.		616	0.02
		1085	0.03
		987	0.01
क्र. 391-भू.-अर्जन-2012.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-		988	0.01
		989	0.01
		990	0.02
		991	0.02
		992	0.03
		993	0.02
		994	0.01
		962	0.04
		970	0.01
		965	0.04
		966	0.01
		995	0.01
		964	0.10
		963	0.04
		847	0.14
		912	0.02
		579	0.12
		1032	0.03
		योग . .	<u>1.36</u>
खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)		
472	0.06	(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—नहर निर्माण हेतु.	
474	0.03		
473	0.01	(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर, सीधी के कार्यालय में किया जा सकता है.	
595	0.02		
594	0.10		

क्र. 393-भू-अर्जन-2012.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-

### अनुसूची

#### (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—सीधी  
(ख) तहसील—गोपद बनास  
(ग) नगर/ग्राम—पुरुषोत्तमगढ़  
(घ) लगभग क्षेत्रफल—1.92 (अति. रकबा) हेक्टेयर.

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
211	0.07
207	0.08
208	0.04
209	0.06
210	0.07
202	0.28
203	0.02
204	0.05
205	0.04
206	0.24
201	0.08
208	0.12
198	0.15
195	0.02
193	0.35
194	0.04
186	0.01
192	0.04
189	0.12
187	0.04
योग . .	<u>1.92</u>

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर, सीधी के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 395-भू-अर्जन-2012.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-

### अनुसूची

#### (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—सीधी  
(ख) तहसील—रामपुर नैकिन  
(ग) नगर/ग्राम—गेदुरहा-23  
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.98 (अति. रकबा) हेक्टेयर.

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
232	0.10
236	0.09
237	0.13
238	0.07
240	0.25
249	0.05
241	0.02
242	0.05
243	0.22
योग . .	<u>0.98</u>

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर, सीधी के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 397-भू-अर्जन-2012.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके



द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-

### अनुसूची

#### (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—सीधी  
(ख) तहसील—गोपद बनास  
(ग) नगर/ग्राम—मुठिगवाँ कला  
(घ) लगभग क्षेत्रफल—2.17 (अति. रकबा) हेक्टेयर.

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
111	0.05
115	0.07
117	0.30
110	0.07
118	0.05
108	0.17
121	0.06
170	0.14
171	0.50
169	0.01
204	0.13
203	0.26
207	0.01
209	0.01
223	0.02
224	0.02
225	0.14
229	0.05
230	0.11
योग . . . 2.17	

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर, सीधी के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 399-भू-अर्जन-2012.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम,

1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-

### अनुसूची

#### (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—सीधी  
(ख) तहसील—गोपद बनास  
(ग) नगर/ग्राम—सीधी खुर्द  
(घ) लगभग क्षेत्रफल—4.28 (अति. रकबा) हेक्टेयर.

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
111	0.16
109	0.13
113	0.07
106/1	0.80
108	0.06
104	0.07
103	0.07
82	0.10
83	0.09
76	0.52
70	0.23
71	0.04
74	0.03
73	0.06
59	0.03
60	0.02
64	0.21
219	0.01
250	0.08
254	0.02
258	0.02
62	0.07
63	0.11
251	0.06
65	0.05
61	0.08
216/1	0.20
216/2	0.08
216/3	0.05
216/5	0.01

(1)	(2)	(1)	(2)
225	0.07	232	0.01
263/5	0.17	230	0.02
249/1	0.04	231	0.03
259	0.05	233	0.01
260	0.33	234	0.01
266	0.04	236/1	0.06
265	0.05	236/2	0.06
योग . .	<u>4.28</u>	235	0.01
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—नहर निर्माण हेतु.		238/1	0.05
		245	0.03
		242	0.01
		243	0.08
(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर, सीधी के कार्यालय में किया जा सकता है.		247	0.03
		246	0.01
		270	0.02
क्र. 401-भू-अर्जन-2012.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-		223	0.01
		222	0.01
		216	0.08
		217	0.06
		218	0.03
		220/2	0.01
		277	0.05
		280/1	0.61
		205	0.04
		192	0.02
		284/1	0.50
(1) भूमि का वर्णन—		191/1	0.10
(क) जिला—सीधी		287	0.02
(ख) तहसील—गोपद बनास		288	0.03
(ग) नगर/ग्राम—नौगवॉ धीर सिंह		296	0.01
(घ) लगभग क्षेत्रफल—8.83 (अति. रकबा) हेक्टेयर.		295	0.35
		294	0.03
खसरा	रकबा	290/1	0.07
नम्बर	(हेक्टेयर में)	289	0.01
(1)	(2)	293	0.03
205	0.04	308	0.03
206	0.01	310	0.09
208	0.13	162/1	0.02
211	0.04	312	0.13
215	0.02	315	0.21
213	0.13	318	0.09
225/2	0.13	324	0.03
226	0.01	323	0.04
263	0.03	325	0.04
227	0.02		

(1)	(2)	(1)	(2)
328	0.06	518	0.02
330/679	0.06	517	0.02
330	0.02	499	0.14
327	0.03	500	0.01
332	0.11	505	0.08
333	0.08	502	0.16
335	0.09	504	0.01
337	0.10	550	0.03
339	0.02	596	0.04
176	0.02	597	0.07
373	0.02	594	0.02
372	0.02	595	0.03
370	0.02	598	0.13
369	0.17	619	0.10
389	0.06	620	0.01
388	0.08	643	0.02
387	0.03	644	0.04
386	0.04	645	0.06
390	0.06	646	0.01
385	0.03	642	0.00
421	0.11	641	0.06
422	0.03	649	0.29
434	0.08	654	0.05
433	0.1	655	0.02
432	0.10		योग . . . 8.83
444	0.23		
453	0.02	(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—नहर	
452	0.06	निर्माण हेतु,	
458	0.23	(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर, सीधी के	
461	0.12	कार्यालय में किया जा सकता है.	
462	0.02		
473	0.11		
472	0.09	क्र. 403-भू.-अर्जन-2012.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात	
475	0.04	का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में	
476	0.16	वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक	
547	0.09	प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम,	
551	0.18	1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके	
548	0.01	द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के	
544	0.00	लिए आवश्यकता है :—	
535	0.01		
536	0.07		अनुसूची
537	0.06	(1) भूमि का वर्णन—	
538	0.02	(क) जिला—सीधी	
523	0.58	(ख) तहसील—गोपद बनास	
519	0.02		

- (ग) नगर/ग्राम—पड़रा  
(घ) लगभग क्षेत्रफल—10.12 (अति. रकबा) हेक्टेयर.

- (3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर, सीधी के कार्यालय में किया जा सकता है.

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
58	0.03
64	0.01
65	0.24
66	0.05
67	0.01
69	0.03
70	0.05
72	0.27
73	0.05
82	0.03
85	0.08
86	0.06
87	0.06
88	0.46
89	0.79
90	0.15
95	0.4
113	0.04
117	0.02
118	0.24
119	0.09
116	0.28
97	0.48
101/1	0.453
102	0.15
104	0.01
105	0.18
107	0.13
109	0.09
114	0.26
115	0.05
132	3.59
133	1.24
134	0.05
योग . .	<u>10.12</u>

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—नहर निर्माण हेतु.

क्र. 405-भू.-अर्जन-2012.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-

### अनुसूची

- (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—सीधी  
(ख) तहसील—गोपद बनास  
(ग) नगर/ग्राम—रामगढ़-II  
(घ) लगभग क्षेत्रफल—1.24 (अति. रकबा) हेक्टेयर.

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
1	0.03
8	0.03
34	0.06
128	0.06
40	0.06
129	0.13
134	0.10
41	0.17
31	0.10
29	0.08
28	0.02
26	0.02
24	0.06
130	0.08
131	0.08
132	0.01
133	0.15
योग . .	<u>1.24</u>

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—नहर निर्माण हेतु.  
(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर सीधी के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 407-भू.-अर्जन-2012.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-

### अनुसूची

#### (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—सीधी  
(ख) तहसील—गोपदबनास  
(ग) नगर/ग्राम—मौहरिया कला  
(घ) लगभग क्षेत्रफल—2.90 (अति. रकबा) हेक्टेयर.

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
200	0.17
191	0.27
186	0.03
187/1	0.04
187/2	0.04
189	0.09
185	0.07
73	0.01
74	0.84
75	0.05
76	0.09
77	0.03
87	0.05
88	0.19
89	0.02
90	0.09
91	0.05
92	0.05
94	0.13
95	0.02
53	0.14
54	0.03
55	0.36
59	0.04
योग . .	<u>2.90</u>

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर, सीधी के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 409-भू.-अर्जन-2012.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-

### अनुसूची

#### (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—सीधी  
(ख) तहसील—गोपदबनास  
(ग) नगर/ग्राम—बन्जारी  
(घ) लगभग क्षेत्रफल—6.01 (अति. रकबा) हेक्टेयर.

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
13	0.23
14	0.68
15	0.61
34	0.21
35	0.07
36	0.30
37	0.74
859	0.06
871	1.06
872	0.46
874	0.05
875	0.08
876	1.44
879	0.01
33	0.01
योग . .	<u>6.01</u>

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर, सीधी के कार्यालय में किया जा सकता है.	(1)	(2)
	255	0.01
	254	0.11
क्र. 411-भू.-अर्जन-2012.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-	114	0.02
	120	0.28
	101	0.10
	100	0.10
	98	0.23
	91	0.25
	266	0.03
	269	0.07
अनुसूची	270	0.01
	330	0.05
(1) भूमि का वर्णन—	331	0.09
(क) जिला—सीधी	332	0.06
(ख) तहसील—गोपदबनास	328	0.19
(ग) नगर/ग्राम—पनवार चौहानन टोला	305	0.25
(घ) लगभग क्षेत्रफल—25.74 (अति. रकबा) हेक्टेयर.	306	0.07
	317	0.17
खसरा	318	0.02
नम्बर	319	0.02
(1)	(2)	320
27	0.16	321
26	0.08	314
29	0.02	312
30	0.04	313
32	0.43	297
38	0.04	541
37	0.19	542
109	0.03	329
108	0.14	543
107	0.13	544
103	0.05	547
104	0.03	547/1184
42	0.01	545
43	0.07	546
45	0.01	292/1
44	0.04	292/2
102	0.08	293/3
46	0.06	292/4
105	0.03	444
106	0.07	445
111	0.22	446
112	0.03	362
256	0.03	447
257	0.02	448
		0.45

(1)	(2)	(1)	(2)
484	0.08	107	0.08
485	0.11	1079	0.11
486	0.07	1057	0.09
487	0.19	1060	0.01
504	0.17	1174	0.09
505	0.05	1175	0.67
503	0.01	1172	0.39
506	0.10	1171	0.03
507	0.03	1161	0.10
515	0.04	1162	0.35
603	0.03	1157	0.02
959	1.69	1163	0.43
1005	0.03	1156	1.17
1007	0.12	1164	0.40
1008	0.02	1165	0.02
1010	0.89	1166	0.10
1006	0.36	1167	0.06
1004	0.57	1168	0.40
1003	0.29	1169	0.09
1001	0.05	1176	0.05
1000	0.05	1177	0.16
1046	0.26	1080	0.15
1047	0.74	1081	0.10
999	0.07	1131	0.18
997	0.01	1130	0.09
1048	0.28	1129	0.45
1049	0.32	1127	0.04
1050	0.02	1173/1	0.23
1056	0.02	1173/2	0.10
1084	4.09	1173/3	0.11
1055	0.01		योग . . . 25.74
1058	0.10		
1059	0.05	(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—नहर निर्माण हेतु,	
1061	0.01		
1070	0.01	(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर, सीधी के कार्यालय में किया जा सकता है.	
1071	0.09		
1072	0.04		
1073	0.07		
1074	0.02	क्र. 413-भू.-अर्जन-2012.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम,	
1075	0.02		
1076	0.02		

1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-

### अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—सीधी  
(ख) तहसील—गोपदबनास  
(ग) नगर/ग्राम—सोनाखॉड  
(घ) लगभग क्षेत्रफल—1.247 (अति. रकबा) हेक्टेयर.

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
156	0.05
155	0.06
154	0.07
153	0.04
18	0.04
31	0.11
23	0.02
32	0.01
157	0.02
25	0.01
26	0.03
33	0.12
34	0.08
35	0.01
36	0.097
37	0.03
38	0.01
39	0.03
40/1/क	0.11
40/1/ख	0.07
40/1/ग	0.06
40/1/घ	0.10
42	0.04
43	0.03
योग . .	<u>1.247</u>

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—नहर निर्माण हेतु.  
(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर, सीधी के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 415-भू.-अर्जन-2012.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-

### अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—सीधी  
(ख) तहसील—गोपदबनास  
(ग) नगर/ग्राम—जरौंदा-78  
(घ) लगभग क्षेत्रफल—1.34 (अति. रकबा) हेक्टेयर.

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
2	0.10
3	0.11
4	0.10
6	0.11
7	0.05
8	0.09
10	0.03
15	0.04
16	0.04
17	0.03
240	0.11
23	0.53
योग . .	<u>1.34</u>

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—नहर निर्माण हेतु.  
(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर, सीधी के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 417-भू.-अर्जन-2012.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके



द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-

अनुसूची		(1)	(2)
(1) भूमि का वर्णन—		331	0.05
(क) जिला—सीधी		332	0.01
(ख) तहसील—गोपदबनास		339	0.01
(ग) नगर/ग्राम—रोझौहाँ		340	0.03
(घ) लगभग क्षेत्रफल—1.35 (अति. रकबा) हेक्टेयर.		489	0.01
		490	0.02
		634	0.08
		834/875	0.02
			योग . . . 0.25
खसरा	रकबा		
नम्बर	(हेक्टेयर में)		
(1)	(2)		
266	0.06		
268	0.10		
270	0.11		
271	0.50		
262	0.52		
272	0.06		
	योग . . . 1.35		

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—नहर निर्माण हेतु.
- (3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर, सीधी के कार्यालय में किया जा सकता है.

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर, सीधी के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 421-भू.-अर्जन-2012.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-

### अनुसूची

क्र. 419-भू.-अर्जन-2012.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-

अनुसूची		खसरा	रकबा
		नम्बर	(हेक्टेयर में)
(1)	(2)	(1)	(2)
(1) भूमि का वर्णन—			
(क) जिला—सीधी		171	0.03
(ख) तहसील—गोपदबनास		172	0.03
(ग) नगर/ग्राम—करगिल		177	0.08
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.25 (अति. रकबा) हेक्टेयर.		170	0.01
		178	0.01
		179	0.01
		180	0.08
		176	0.01
खसरा	रकबा		
नम्बर	(हेक्टेयर में)		
(1)	(2)		
87	0.02		

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—सीधी
- (ख) तहसील—गोपदबनास
- (ग) नगर/ग्राम—जमोड़ी खुर्द
- (घ) लगभग क्षेत्रफल—3.01 (अति. रकबा) हेक्टेयर.

(1)	(2)	(1)	(2)
184	0.05	480	0.03
183	0.03	479	0.10
182	0.06	556	0.04
164	0.04	524	0.06
189	0.02	525	0.12
162	0.17	526	0.06
190	0.06	527	0.04
191	0.07	553	0.13
254	0.07	546	0.18
248	0.04	547	0.03
249	0.01	578	0.02
246	0.06	579	0.07
247	0.01	577	0.04
192	0.01	581	0.03
244	0.07	545	0.02
242	0.02	582	0.07
313	0.06	583	0.04
312	0.07	584	0.01
314	0.22		योग . . . 3.01
322	0.01	(2)	सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—नहर निर्माण हेतु.
321	0.01	(3)	भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर, सीधी के कार्यालय में किया जा सकता है.
318	0.01		
317	0.01		
315	0.05		क्र. 423-भू.-अर्जन-2012.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—
495	0.03		
494	0.04		
496	0.04		
498	0.06		
499	0.07		
505	0.09		अनुसूची
504	0.02	(1)	भूमि का वर्णन—
481	0.07	(क)	जिला—सीधी
507	0.01	(ख)	तहसील—गोपदबनास

(ग) नगर/ग्राम—रामगढ़-I

(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.87 (अति. रकबा) हेक्टेयर.

(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.26 (अति. रकबा) हेक्टेयर.

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)	खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
		28	0.02
351	0.02	29	0.03
352	0.01	37	0.02
359	0.01	38	0.03
387	0.01	39	0.04
390	0.01	36	0.03
391	0.01	53	0.04
392	0.01	42	0.02
384	0.04	93	0.10
383	0.01	30	0.01
370	0.01	51	0.03
382	0.03	59	0.03
379	0.08	58	0.11
378	0.01	92	0.06
	योग . . . 0.26		

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर, सीधी के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 425-भू.-अर्जन-2012.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-

### अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—सीधी  
(ख) तहसील—गोपदबनास  
(ग) नगर/ग्राम—मूड़ीताल

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर, सीधी के कार्यालय में किया जा सकता है.

योग . . . 0.87

क्र. 427-भू.-अर्जन-2012.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-

### अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—सीधी

(ख) तहसील—गोपदबनास

(ग) नगर/ग्राम—तेन्दुआ-93

(घ) लगभग क्षेत्रफल—11.82 (अति. रकबा) हेक्टेयर.

खसरा

नम्बर

(1)

100

101

117

120

121

124

149

645

646

649

651

720

716

717

707

709

706

758

705

रकबा

(हेक्टेयर में)

(2)

0.03

0.01

0.05

0.16

0.04

0.05

0.06

0.02

0.01

0.20

0.01

0.04

0.08

0.11

0.01

0.01

0.01

0.02

0.04

(1)

703

704

701

763

668

867

865

876

877

866

879

881

882

883

910

909

912

925

924

941

943

949

959

969

970

966

1037

1038

1062

1063

1066

1060

1068

(2)

0.01

0.01

0.01

0.01

0.01

0.02

0.01

0.02

0.03

0.01

0.02

0.03

0.01

0.01

0.01

0.01

0.03

0.02

0.02

0.02

0.03

0.01

0.01

0.01

0.01

0.04

0.02

0.02

0.02

0.02

0.12

0.01

0.02

(1)	(2)	(1)	(2)
1056	0.00	1010	0.07
1057	0.01	1011	0.45
1055	0.01	1018	0.03
1054	0.01	1106	0.22
1081	0.01	1101	0.06
1082	0.02	1103	0.01
1083	0.02	1104	0.01
1088	0.01	1105	0.05
1090	0.00	1107	0.25
1087	0.03	1118	0.02
1091	0.02	1119	0.17
1092	0.03	1120	0.02
1094	0.01	1121	0.59
1086	0.01	1122	0.04
1013	0.06	1134	0.18
1012	0.54	1135	0.00
1110	0.02	1136	0.00
1112	0.01	1137	0.07
1114	0.28	1138	0.08
823	0.05	1133	0.07
822	0.05	1145	0.02
831	0.25	1143	0.20
834	0.08	1144	0.30
845	0.84	1147	0.11
847	0.16	1148	0.30
987	2.14	1149	0.02
989/990	0.26		योग . . . <u>11.82</u>
991	0.09		
993	0.06	(2)	सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—नहर निर्माण हेतु.
1020	1.57	(3)	भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर, सीधी के कार्यालय में किया जा सकता है.
1008	0.21		

क्र. 429-भू-अर्जन-2012.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

### अनुसूची

#### (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—सीधी  
(ख) तहसील—गोपद बनास  
(ग) नगर/ग्राम—जोगीपुर  
(घ) लगभग क्षेत्रफल—1.78 (अति. रकबा) हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
150	0.23
151	0.04
154	0.03
157	0.10
121	0.15
119	0.04
118	0.07
117	0.06
109	0.05
100	0.09
234	0.03
236	0.02
354	0.03
355	0.37
348	0.01
366	0.08
367	0.06
369	0.26
341	0.06

योग : 1.78

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—नहर निर्माण हेतु.  
(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर, सीधी के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 431-भू-अर्जन-2012.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

### अनुसूची

#### (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—सीधी  
(ख) तहसील—गोपद बनास  
(ग) नगर/ग्राम—पनवार बघेलान  
(घ) लगभग क्षेत्रफल—3.69 (अति. रकबा) हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
1	0.05
17	0.19
18	0.06
19	0.14
15	0.02
4	0.02
20	0.35
42	0.14
64	0.29
66	0.02
67	0.06
68	0.04
70	0.02
71	0.06
69	0.06
69/571	0.13
94	0.38
99	0.03
107	0.07
108	0.02
109	0.05
110	0.04
122	0.02
121	0.02
123	0.11
125	0.02
124	0.09
120	0.01
156	0.04

(1)	(2)
157	0.19
152	0.15
163	0.03
164	0.25
161	0.01
162	0.03
176	0.02
177	0.11
175	0.02
178	0.16
181	0.17

योग : 3.69

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—नहर निर्माण हेतु.
- (3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर, सीधी के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 433-भू-अर्जन-2012.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

### अनुसूची

#### (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—सीधी
- (ख) तहसील—गोपद बनास
- (ग) नगर/ग्राम—पडैनिया पवाई
- (घ) लगभग क्षेत्रफल—0.41 (अति. रकबा) हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
90	0.08
105	0.02
104	0.10
99	0.03
103	0.01
117	0.03
118	0.03
138	0.06
139	0.03
146	0.02
योग : <u>0.41</u>	

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—नहर निर्माण हेतु.
- (3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर, सीधी के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 435-भू-अर्जन-2012.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

### अनुसूची

#### (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—सीधी
- (ख) तहसील—गोपद बनास
- (ग) नगर/ग्राम—अमरवाह
- (घ) लगभग क्षेत्रफल—2.16 (अति. रकबा) हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
1226	0.03
1228/1	0.03
1229	0.02
1230	0.03
1257	0.02
1258	0.02
1259	0.05
1262	0.04
1264	0.04
1270	0.04
1282	0.02
1307	0.22
1313	0.03
1314	0.01
1315	0.60
1316	0.01
1317	0.02
1320	0.04
1310	0.06
1329	0.10
1335	0.26
1333	0.06

(1)	(2)	(1)	(2)
1334	0.09	973	0.06
1344	0.10	968	0.08
1345	0.02	987	0.04
1348	0.20	988	0.05
	योग : 2.16	992	0.27
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—नहर निर्माण हेतु,		1027	0.04
		1028	0.07
(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर, सीधी के कार्यालय में किया जा सकता है.		1026	0.42
		1025	0.13
		1104	0.26
		1039	0.04
		1103	0.39
		1201	0.23
		1194	0.25
		1193	0.04
		1207	0.13
		1213	0.01
		1214	0.03
		1185	0.18
		1182	0.38
		1181	0.03
		436	0.03
		योग : 4.93	
क्र. 437-भू-अर्जन-2012.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—			
अनुसूची			
(1) भूमि का वर्णन—			
(क) जिला—सीधी			
(ख) तहसील—गोपद बनास			
(ग) नगर/ग्राम—गाड़ा बबन सिंह			
(घ) लगभग क्षेत्रफल—4.93 (अति. रकबा) हेक्टेयर.			
खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)	(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—नहर निर्माण हेतु,	
(1)	(2)	(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर, सीधी के कार्यालय में किया जा सकता है.	
417	0.02		
418	0.03		
419	0.11		
420	0.05		
425	0.18		
426	0.27		
435	0.09		
961	0.12		
962	0.09		
960	0.01		
984	0.02		
983	0.23		
982	0.25		
981	0.04		
980	0.03		
979	0.03		
974	0.20		
		क्र. 439-भू-अर्जन-2012.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—	
		अनुसूची	
		(1) भूमि का वर्णन—	
		(क) जिला—सीधी	
		(ख) तहसील—गोपद बनास	
		(ग) नगर/ग्राम—गाड़ा लोतर सिंह	



(घ) लगभग क्षेत्रफल—2.60 (अति. रकबा) हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
267	0.10
240	0.16
249	0.01
245	0.04
243	0.05
242	0.02
225	0.03
430	0.23
223	0.01
431	0.04
435	0.11
436	0.01
437	0.05
440	0.16
468	0.05
466	0.21
571	0.02
631	0.02
632	0.03
633	0.02
647	0.01
618	0.01
635	0.02
636	0.02
637	0.05
666	0.14
671	0.01
628	0.16
663	0.02
670	0.06
674	0.03
1158	0.03
1159	0.01
1155	0.01
1156	0.15
1153	0.02
1150	0.13
1151	0.01
1148	0.21
1124	0.10
638	0.03

योग : 2.60

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर, सीधी के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 441-भू-अर्जन-2012.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

## अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—सीधी

(ख) तहसील—गोपद बनास

(ग) नगर/ग्राम—पड़खुरी

(घ) लगभग क्षेत्रफल—17.25 (अति. रकबा) हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
149	0.09
150	0.22
151	0.01
152	0.56
153	0.05
154	0.01
155	0.03
156	0.06
157	0.01
158	0.24
159	0.34
160	0.14
162	0.16
163	0.18
304	0.04
305	0.06
301	0.71
302	0.11
299	0.16
300	0.05
341	0.09
297	0.05
298	0.03
274	0.07
275	0.02
273	0.06

(1)	(2)	(1)	(2)
271	0.03	568	0.05
272	0.07	569	0.01
276	0.04	578	0.06
277	0.06	646	0.18
270	0.07	645	0.83
259	0.12	644	0.01
260	0.15	647	0.01
261	0.04	638	0.08
262	0.11	639	0.10
263	0.06	640	0.31
269	0.13	641	0.33
187	0.41	642	0.03
188	0.02	643	0.50
186	0.07	297	0.08
185	0.33	342	0.01
184	0.01	341	0.08
238	0.07	344	0.20
239	0.06	348	0.04
237	0.03	347	0.12
189	0.14	350	0.01
190	0.11	371	0.29
191	0.10	372	0.19
192	0.33	374	0.28
193	0.26	375	0.03
176	1.03	376	0.12
177	0.01	378	0.02
194	0.05	379	0.11
195	0.04	386	0.10
196	0.02	383	0.01
197	0.01	384	0.09
198	0.01	322	0.03
199	0.01	345	0.01
562	0.04	15	0.06
563	0.10	43	0.01
564	0.10	45	0.04
561	0.04	46	0.03
558	0.90	58	0.09
126	0.08	57	0.26
127	0.02	60	0.03
565	0.08	88	0.04
567	0.38	90	0.09
575	0.13	99	0.01
574	0.14	100	0.04
572	0.03	106	0.07
573	0.12	107	0.06
571	0.19	82	0.04
570	0.01	83	0.04

(1)	(2)	(1)	(2)
84	0.01	223	0.19
76	0.08	228	0.05
79	0.43	229	0.08
80	0.02	230	0.04
121	0.02	231	0.36
122	0.07	232	0.01
124	0.39	233	0.51
603	0.01	234	0.22
566	0.06	108	0.10
559	0.37	110	0.03
550	0.01	111	0.12
553	0.04	112	0.04
554	0.23	113	0.02
555	0.04	114	0.01
687	0.19	115	0.19
688	0.02	191	0.05
557	0.12	157	0.06

योग : 17.25

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—नहर निर्माण हेतु.
- (3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर, सीधी के कार्यालय में किया जा सकता है.

141	0.03
142	0.09
143	0.12
150	0.06
151	0.20

योग : 4.76

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—नहर निर्माण हेतु.
- (3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर, सीधी के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 443-भू-अर्जन-2012.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

#### अनुसूची

- (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—सीधी  
(ख) तहसील—गोपदबनास  
(ग) नगर/ग्राम—सेमरिया  
(घ) लगभग क्षेत्रफल—4.76 (अति. रकबा) हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
1	0.03
2	0.17
3	0.15
8	0.85
104	0.04
107	0.92
109	0.02

क्र. 445-भू-अर्जन-2012.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

#### अनुसूची

- (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—सीधी  
(ख) तहसील—गोपदबनास  
(ग) नगर/ग्राम—धनखोरी  
(घ) लगभग क्षेत्रफल—1.65 (अति. रकबा) हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
137	0.08
138	0.02
141	0.05

(1)	(2)	(1)	(2)
134	0.04	146	0.07
142	0.34	147	0.01
143	0.06	148	0.07
145	0.08	34	0.05
144	0.03	154	0.01
146	0.04	157	0.19
70	0.03	161	0.04
65	0.13		
66	0.01		
64	0.13		
237	0.22		
236	0.02		
235	0.01		
229	0.24		
230	0.03		
250	0.02		
42	0.07		
	योग : 1.65		योग : 1.30

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर, सीधी के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 447-भू-अर्जन-2012.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

### अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—सीधी  
(ख) तहसील—गोपदबनास  
(ग) नगर/ग्राम—महाराजपुर  
(घ) लगभग क्षेत्रफल—1.30 (अति. रकबा) हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
1	0.06
54	0.04
56	0.30
63	0.29
143	0.12
144	0.05

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—नहर निर्माण हेतु.  
(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर, सीधी के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 449-भू-अर्जन-2012.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

### अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—सीधी  
(ख) तहसील—गोपदबनास  
(ग) नगर/ग्राम—रामपुर-182  
(घ) लगभग क्षेत्रफल—1.96 (अति. रकबा) हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
1	0.36
106	0.02
104	0.02
120/1	0.03
107	0.10
108	0.10
39	0.10
40	0.06
41	0.03
42	0.01
43	0.02
44	0.02
45	0.06
46	0.03
47	0.07
48	0.09

(1)	(2)	(1)	(2)
32	0.10	142	0.10
33	0.01	164	0.02
34	0.01	163	0.08
35	0.01	162	0.14
36	0.01	156	0.03
27	0.10	157	0.22
12	0.10	161	0.26
13	0.03	196	0.01
14	0.05	204	0.04
15	0.01	261	0.02
17	0.14	259	0.03
18	0.02	253	0.05
19	0.01	205	0.06
20	0.02	206	0.01
22	0.04	207	0.02
23	0.05	246	0.03
26	0.01	247	0.03
11	0.09	248/249	0.04
109	0.03	250	0.05

योग : 1.96

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर, सीधी के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 451-भू-अर्जन-2012.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

### अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—सीधी

(ख) तहसील—गोपदबनास

(ग) नगर/ग्राम—बटौली

(घ) लगभग क्षेत्रफल—1.83 (अति. रकबा) हेक्टेयर.

खसरा नम्बर . रकबा (हेक्टेयर में)

(1)	(2)
137	0.11
165	0.03

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर, सीधी के कार्यालय में किया जा सकता है.

योग : 1.83

क्र. 453-भू-अर्जन-2012.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में

वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

### अनुसूची

(1)	(2)
177	0.05
180/243	0.10
141	0.07
175	0.05
176	0.02

योग : 1.73

#### (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—सीधी  
 (ख) तहसील—गोपदबनास  
 (ग) नगर/ग्राम—बसौड़हा  
 (घ) लगभग क्षेत्रफल—1.73 (अति. रकबा) हेक्टेयर.

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—नहर निर्माण हेतु.  
 (3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर, सीधी के कार्यालय में किया जा सकता है.

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
14	0.03
16	0.04
13	0.01
17	0.14
20	0.02
21	0.03
22	0.07
23	0.01
7	0.13
8	0.02
135	0.03
136	0.22
137	0.04
138	0.06
134	0.01
143	0.03
144	0.11
179	0.02
145	0.05
182	0.14
166	0.06
167	0.03
168	0.03
162	0.02
183	0.02
161	0.02
174	0.02
160	0.03

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
 मसूद अख्तर, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला झाबुआ, मध्यप्रदेश एवं  
 पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

झाबुआ, दिनांक 22 जून 2012

क्र. 2225-भू-अर्जन-2012-माही-रा.प्र.क्र.27-अ-82-2010-11-संशोधित.—कार्यालयीन पत्र क्रमांक 1349-भू-अर्जन-2010, झाबुआ, दिनांक 3 मई 2011 द्वारा ग्राम दुलाखेड़ी, तहसील पेटलावद, जिला झाबुआ का रकबा 3.22 हेक्टेयर के भू-अर्जन प्रकरण में भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन 1894)की धारा 6 के अंतर्गत नहर निर्माण से प्रभावित का प्रकाशन मध्यप्रदेश राजपत्र, भाग-एक के पृष्ठ क्र. 1767, दिनांक 20 मई 2011 पर तथा हिन्दी समाचार-पत्र प्रसारण में दिनांक 14 मई 2011 को जी नम्बर 13003/11 द्वारा प्रकाशित की गई है. पूर्व प्रकाशित प्रविष्टियों को निरस्त करते हुए, संशोधित प्रविष्टियां निम्नानुसार प्रकाशित की जाती हैं :-

### सूची

स.क्र.	सर्वे नम्बर	रकबा (हे. में)	
		पूर्व प्रकाशित	संशोधित प्रकाशन
(1)	(2)	(3)	(4)
1	755	-	0.20
2	756	-	0.20
3	760/1	-	0.19
योग	3	-	0.59

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
 जयश्री कियावत, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.